

v/; k; -II

fu"i knu ys[kki jh{kk

f' k{kk foHkkx

2-1 e/; k°u Hkkstu ; kstuk

fnYyh ea e/; k°u Hkkstu ; kstuk N% dk; kJo; u , tfl ; ka ds }jkj Lora- : i l s dk; kflor dh tkrh gA f' k{kk funs' kky;] ; kstuk ds dk; kJo; u ds fy, ukMy , t h gS tks ekuo l d k/ku fodkl ea=ky; %ek-l afo-ea% Hkkjr l jdkj , oa l eLr vU; , tfl ; ka ds l kFk l ello; dk dk; Z djrk gA egRo i w kZ ys[kki jh{kk fu"d" kZ uhps fn, x, g%

f' k"Vrk, j

- स.शि.अ. के अंतर्गत समर्थित शि.गा.यो. एवं वै.न.शि. केंद्रों में अध्ययनरत 18000 बच्चों में से केवल 1154 बच्चों को 2013-14 के दौरान सम्मिलित किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2.1)

- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं धारणीयता को नहीं बढ़ाया जा सका था। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, औसत उपस्थिति 2009-10 के 74 प्रतिशत से कम होकर 2013-14 में 66 प्रतिशत हो गई।

(पैराग्राफ 2.1.4.1 एवं 2.1.4.3)

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में विनिर्धारित दिनों की संख्या तक म.भो. नहीं दिया गया था। 2010-14 के दौरान पकाए गए भोजन के 2102 नमूनों में से, कुल 1876 नमूने (89 प्रतिशत) पोषण मूल्य के लिए परीक्षण में विफल रहे।

(पैराग्राफ 2.1.5.2 (ii) व (iii))

- सेवा प्रदाताओं ने खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया एवं सिविक एजेंसियों व अग्नि विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिये ही अपनी रसोई चला रहे थे।

(पैराग्राफ 2.1.5.2 (iv))

2-1-1 iLrkouk

अगस्त 1995 में प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) प्राथमिक विद्यार्थियों के नामांकन, धारणीयता व उपस्थिति को बढ़ाकर साथ ही उनके पोषण के प्रभाव को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। दिल्ली में योजना शिक्षा निदेशालय

(निदेशालय) एवं पाँच स्थानीय निकायों¹ द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित की जाती है। निदेशालय, नोडल एजेंसी है जो बजट के आबंटन व जारी करने के मामलों में अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.), भारत सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। दिल्ली में विद्यालयों में पकाए गए मध्याह्न भोजन (म.भो.) की आपूर्ति हेतु विभिन्न गै.स.सं. को आउटसोर्स किया गया है जिसके लिए उन्हें भारतीय खाद्य निगम (भा.खा.नि.) द्वारा खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

2-1-1-1 | ँBukRed <kpk

मा.सं.वि.मं. देश में योजना के व्यापक कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है एवं मा.सं.वि.मं. का कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (का.अ.बो.) सभी राज्यों में योजना की स्थिति व प्रगति की समीक्षा करता है। प्रधान सचिव (शिक्षा) रा.रा.क्षे.दि.स., दिल्ली में योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है एवं निदेशालय के निदेशक, अपर निदेशक, उ.नि.शि. (म.भो.), सहा.नि.शि.(म.भो.), उ.नि.शि.(जिला), निदेशालय के शिक्षा अधिकारी (क्षेत्र) उसकी सहायता करते हैं। विद्यालय में विद्यालय के प्रमुख (वि.प्र.) एवं म.भो. प्रभारी विद्यालय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की देखभाल करते हैं।

2-1-1-2 ys[kki j h{kk {ks= , oa dk; 7 z kkyh

2009-14 की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा पीपीएसडब्ल्यूओआर² पद्धति (जिले में विद्यालयों की संख्या के रूप में आकार माप के साथ) द्वारा चयनित 13 जिलों में से दो जिलों (पूर्वी व दक्षिणी) एवं एसआरएसडब्ल्यूओआर³ पद्धति द्वारा चयनित 60 विद्यालयों (पू.दि.न.नि. एवं द.दि.न.नि. के 40 प्राथमिक विद्यालय एवं निदेशालय के 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय) के अभिलेखों की जाँच करते हुए अगस्त 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच संचालित की गयी थी। लेखापरीक्षा ने निदेशालय में म.भो. शाखा, पू.दि.न.नि. एवं द.दि.न.नि. के शिक्षा विभाग के अभिलेखों की नमूना-जाँच की। दिल्ली में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वयन के निष्पादन लेखापरीक्षा को मार्च 2006 (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन) को समाप्त वर्ष के लिए नि. एवं महा ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के खण्ड II में शामिल किया गया था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए, शिक्षा निदेशक के साथ प्रवेश सम्मेलन (अक्टूबर 2014) का आयोजन किया गया था। समापन सम्मेलन का आयोजन (मार्च 2015) किया गया था एवं बाद में प्राप्त सरकार के उत्तर को उचित रूप से रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

2-1-1-3 ys[kki j h{kk ml's ;

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या :

¹उत्तरी दिल्ली नगर निगम (उ.दि.न.नि.), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (द.दि.न.नि.), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (पू.दि.न.नि.), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् व दिल्ली छावनी बोर्ड (दि.छा.बो.)

²बिना बदलाव किए संभावित आनुपातिक आकार

³बिना बदलाव किए सामान्य यादृच्छिक नमूना

- यह योजना सभी पात्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयी बच्चों को सम्मिलित करने हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जा रही थी,
- आबंटित निधियों का मितव्ययी तथा प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा था,
- योजना ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, धारणीयता व उपस्थिति बढ़ाने, और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के पोषण की स्थिति सुधारने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और
- योजना के कार्यान्वयन की प्रभावशाली ढंग से निगरानी की जा रही थी।

ys[kki jh{kk fu"d"kl

2-1-2 ; kst uk

2-1-2-1 f'k-xk-; ks@o\$u-f'k- dltæka rFkk enjI ka dks I fEefyr fd; k tkuk

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शि.गा.यो.⁴/वै.न.शि.⁵ केन्द्रों एवं मदरसों के सम्मिलित किये जाने में कमियाँ थीं जबकि कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (का.अ.बो.) ने अपनी बैठक (मई 2009) में, रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2013-14 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.) के अंतर्गत समर्थित शि.गा.यो. तथा वै.न.शि. केन्द्रों में, सभी 18000 पढ़ने वाले बच्चों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, योजना के अंतर्गत केवल तीन वै.न.शि. केन्द्रों तथा पाँच मूक व बधिर विद्यालयों के 1154 बच्चों को, सम्मिलित किया गया था। इसका उल्लेख पूर्ववर्ती रिपोर्ट में भी किया गया था, हालाँकि, कोई पर्याप्त सुधार नहीं देखा गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि केवल 2047 बच्चे गै.स.सं./मदरसों द्वारा चलाए जा रहे 19 केन्द्रों में अध्ययन कर रहे हैं एवं उन्हें अप्रैल 2015 से योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाएगा। इनका उत्तर, शि.गा.यो. तथा वै.न.शि. केन्द्रों के सभी बच्चों का पता लगाने एवं सम्मिलित करने में निदेशालय की दोषपूर्ण योजना को इंगित करता है। इनका उत्तर स.शि.अ. के अन्तर्गत बच्चों के आच्छादन के संबंध में मौन है।

2-1-2-2 e-Hkks ; kst uk dsi fr tkx: drk mRi Uuk dj usgrq; kst uk dk xj & i fri knu

मा.सं.वि.मं. के परिपत्र (22 जुलाई 2013) में पणधारियों, विशेषतः बच्चों व सामुदायिक सदस्यों के बीच में, टी.वी., रेडियो, प्रिंट मीडिया इत्यादि के माध्यम से योजना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निदेशालय ने पणधारियों के बीच स्कीम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई योजना नहीं बनायी थी। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

2-1-2-3 mPp i kFkfed fo | ky; ka ea ; kst uk ds dk; kJo; u ea njh

सितम्बर 2007 में मा.सं.वि.मं. ने रा.रा.क्षे.दि.स. को वर्ष 2008-09 से इस योजना के उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तार करने का निर्देश दिया था। परंतु, निदेशालय ने इस योजना

⁴शिक्षा गारंटी योजना

⁵वैकल्पिक एवं नवीन शिक्षा

को 29 सितम्बर 2009 अर्थात् 18 महीने की देरी से उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित किया।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि सेवा प्रदाताओं के नाम सूची में लिखने की प्रक्रिया में अधिक समय लगा जिसके कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में योजना के कार्यान्वयन में देरी हुई।

2-1-3 ; kst uk foYk

2-1-3-1 ; kst uk fuf/k; k ds vllrxlr fujrj cpr

2009-14 के दौरान मा.सं.वि.मं. व रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा अनुमोदित तथा जारी की गई निधियाँ, और किए गए वास्तविक व्यय का विवरण rkfydk 2-1-1 में निम्नवत है:

rkfydk 2-1-1% vkcfVr] tkjh dh xbl fuf/k; k; vkj okLrfod 0; ; 1/2009&14 1/2

₹ djkM+e

o"KZ	ek-l afo- ea fuf/k; k dk v0; f; r vf/k' k'k	ek-l afo- ea }kjk tkjh dh xbl fuf/k; k;	jk-jk-{ks fn-l - }kjk tkjh dh xbl fuf/k; k;	dy mi yC/k fuf/k; k;	0; ;	cpra %i fr' krrk 1/2
2009-10	33.27	19.80	20.32	73.39	61.60	11.79 (16)
2010-11	11.79	85.53	20.69	118.01	94.96	23.05 (20)
2011-12	23.05	65.62	22.21	110.88	107.83	3.05 (3)
2012-13	3.05	85.24	20.67	108.96	99.35	9.61 (9)
2013-14	9.61	99.48	37.72	146.81	117.09	29.72 (20)
dy	80.77	355.67	121.61	558.06	480.83	77.23 (14)

स्रोत: निदेशालय द्वारा दी गई सूचना

इस प्रकार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरंतर बचतें हुई, जो 20 प्रतिशत तक थीं।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि मा.सं.वि.मं. की ओर से निधियों के किस्त के अनुदान में हुई देरी के परिणामस्वरूप निधियों का कम उपयोग हुआ।

2-1-3-2 fuf/k; k dh njh l s i kflr , oa mi ; ksx

म.भो. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मा.सं.वि.मं. द्वारा प्रत्येक वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर के दौरान निधियों की दूसरी किस्त, पहली किस्त में किये गये व्यय की प्रगति के आधार पर जारी की जानी चाहिए और राज्य वित्त विभाग को योजना निधियाँ शीघ्र जारी करनी चाहिए। दिल्ली में, निदेशालय वित्त विभाग को एजेंसीवार आबंटन का प्रस्ताव अनुमोदन के लिये प्रस्तावित करता है और अनुमोदन मिलने के बाद, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियाँ जारी करता है। लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि मा.सं.वि.मं. से निधियों की देरी से प्राप्ति हुई थी और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियाँ जारी नहीं हुई थीं/निधियों के जारी होने में देरी हुई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है:

- (i) वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 2010-11 के लिये अप्रैल 2011 में मा.सं.वि.मं. से ₹ 30.49 करोड़ की निधियाँ प्राप्त की, जिसका 2010-11 के दौरान उपयोग नहीं किया जा सका। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 5.83 करोड़ एवं वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 27.32 करोड़ क्रमशः फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया गया था जिसका सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में उपयोग नहीं किया जा सका।
- (ii) वित्त विभाग द्वारा जनवरी 2014 में प्राप्त, वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 10.45 करोड़ की निधियों को, 31 मार्च 2014 तक कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी नहीं किया गया था।
- (iii) निदेशालय ने दि.न.नि., न.दि.न.पा. और दि.छा.बो. को 29 मार्च, 31 मार्च और 30 मार्च 2011 को क्रमशः ₹10.11 करोड़, ₹ 78.80 लाख और ₹ 4.98 लाख जारी किया था परन्तु इन एजेंसियों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त किया गया (अप्रैल 2011)।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि मा.सं.वि.मं. से निधियों की प्राप्ति के पश्चात निधियाँ जारी करने में कई चरण लग जाते हैं जो कि अपरिहार्य देरी का कारण बना। इसने आगे कहा कि मा.सं.वि.मं. एवं वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से समय पर निधियाँ प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

2-1-3-3 i cɔ/ku] fuxjkuh , oa eW; kɔdu fuf/k dk de mi ; ksx

मा.सं.वि.मं. के परिपत्र (जून 2010) के अनुसार, प्रबन्धन, निगरानी एवं मूल्यांकन (प्र.नि.मू.) के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदान के 50 प्रतिशत का उपयोग विद्यालयों द्वारा स्टेशनरी और साबुन इत्यादि की खरीद पर और 50 प्रतिशत का उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श्रमशक्ति को किराये पर लेने, बाह्य निगरानी और मूल्यांकन तथा प्रचार इत्यादि पर करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यान्वयन एजेंसियों ने प्र.नि.मू. के अन्तर्गत मा.सं.वि.मं. द्वारा जारी किए गए ₹ 12.01 करोड़ के प्रति केवल ₹ 4.69 करोड़ का उपयोग किया। 2009-14 के दौरान निधियों का 35 से 84 प्रतिशत तक कम उपयोग किया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि प्र.नि.मू. निधियों के उपयोग के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पुनः निर्देश दिया जाएगा एवं निदेशालय भी इस मामले पर और अधिक ध्यान देगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि विभाग ने पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इस मुद्दे के उठाए जाने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया।

2-1-4 fo | ky; kɔ eɔ cPpka ds ukekɔdu i j i Hkko

2-1-4-1 ukekɔdr rFkk l fEefyr fd, x, cPps

2009-14 की अवधि के दौरान नामांकित बच्चों तथा जिन्होंने म.भो. का लाभ उठाया, का विवरण rkfydk 2-1-2 में दर्शाया गया है:

रकfydk 2-1-2% ukekfd r cPpka rFkk ftlglkus e-Hkks dk ykHk mBk; k dk foj .k

¼ a yk[k e

o"kl	cPpka dk ukekadu			e-Hkks dk ykHk mBkus okys cPpka dh l a[; k			l ffe fyr fd; s x; s cPpka dh i fr' krrk
	i kFkfed	mPp i kFkfed	dy	i kFkfed	mPp i kFkfed	dy	
2009-10	11.75	6.98	18.73	8.23	4.89	13.12	70
2010-11	11.31	4.90	16.21	8.14	3.53	11.67	72
2011-12	11.53	6.68	18.21	7.84	4.54	12.38	68
2012-13	11.61	7.13	18.74	7.55	4.64	12.19	65
2013-14	11.34	7.12	18.46	7.37	4.63	12.00	65

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, कुल नामांकन 2009-10 के 18.73 लाख से कम होकर 2010-11 में 16.21 लाख हो गया, इसके बाद यह 2012-13 में बढ़कर 18.74 लाख हो गया और पुनः घटकर 2013-14 में 18.46 लाख हो गया। म.भो. का लाभ उठाने वाले बच्चों की प्रतिशतता 2009-10 के 70 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में जब यह 72 प्रतिशत थी को छोड़कर 2013-14 में 65 प्रतिशत हो गई। इस मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निदेशालय ने विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिये न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किया था न ही नामांकन बढ़ाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई ठोस कदम उठाया था। नामांकन में बढ़ोत्तरी करने के लिए, 40 प्राथमिक विद्यालयों में से 21 प्राथमिक विद्यालयों ने प्रवेश मेला⁶ तथा प्रभात फेरी⁷ इत्यादि का आयोजन जुलाई माह में किया।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि केवल उन विद्यार्थियों को म.भो. दिया जाता है जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त, दि.न.नि./निदेशालय के विद्यालयों में "दाखिला अभियान"⁸ के लिए अप्रैल के महीने में विज्ञापन जारी करके नामांकन बढ़ाने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को नामांकन बढ़ाने के लिए संवेदनशील बनाया जाता है।

2-1-4-2 cPpka dk fo | ky; ka dks NkM+ nsuk

2009-14 के दौरान, चयनित प्राथमिक विद्यालयों में से 5749 बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया जबकि चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 1235 बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया। वार्षिक तौर पर, चयनित प्राथमिक विद्यालयों में 1306 से 1007 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 97 से 362 तक बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया था। इस मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में उठाया गया था।

कुल 60 चयनित विद्यालयों में से, 29 प्राथमिक तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के वि.प्र. ने

⁶प्रवेश शिविर

⁷अध्यापकों की विद्यार्थियों के साथ प्रभात फेरी

⁸नामांकन अभियान

बच्चों के विद्यालय छोड़ने के लिए गरीबी, भाई-बहनों के देख-रेख का उत्तरदायित्व, आवास का बदलना, इत्यादि को उत्तरदायी ठहराया। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि अधिकतम प्रतिवेदित विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक सम्भाव्यता का कारण प्रवासी मुद्दे थे।

2-1-4-3 fo | ky; ka ea cPpka dh mi fLFkfr i j i Hkko

निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों से यह प्रदर्शित हुआ कि योजना का विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पर मिश्रित प्रभाव पड़ा था। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में औसत उपस्थिति 2009-10 के 74 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 66 प्रतिशत हो गई जबकि यह उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2009-10 के 74 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 78 प्रतिशत हो गई। चूँकि योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन, धारणीयता व उपस्थिति को बढ़ाना था, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति में घटती प्रवृत्ति से संकेतित होता है कि योजना उपस्थिति पर वांछित प्रभाव नहीं डाल सकी। उपस्थिति में घटती प्रवृत्ति के मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि शिक्षा का अधिकार (शि. का अ.) अधिनियम 2009 के अनुसार कोई न्यूनतम उपस्थिति मानदण्ड नहीं है। इनका उत्तर घटती प्रवृत्ति को रोकने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मौन है।

2-1-5 cPpka ds i kSkf.kd Lrj ea l q/kkj yk, tkus ds l Ecl/k ea fØ; kdyki ka dk eW; kadu

2-1-5-1 [kk | kUUKka dk vkcfVr] mBko rFkk mi ; ksx

(i) [kk | kUUKka dk mi ; ksx% भारत सरकार द्वारा योजना में प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यालय दिवस प्रति बच्चा 100 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम की दर से निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है। खाद्यान्न का.अ.बो. द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर मा.सं.वि.मं. के द्वारा आबंटित किया जाता है। 2009-14 के दौरान दिल्ली में सभी छः एजेंसियों के द्वारा आबंटित, उठाए तथा उपयोग किए गये खाद्यान्नों की समग्र स्थिति, rkfydk 2-1-3 में दी गई है।

rkfydk 2-1-3% vkcfVr] mBk, rFkk mi ; ksx fd, x, [kk | kUUK

%ek=k ehfv'd Vu eB

o"z	cPpka dh l a; k %i Nys o"z ds 30 fl rEcj rd%		vFk 'kSk		vkcfVr fd; k x; k [kk kUUK		mBk; k x; k [kk kUUK		mi ; ksx fd; k x; k [kk kUUK	
	i kFkfed	mPp i kFkfed	i kFkfed	mPp i kFkfed	i kFkfed	mPp i kFkfed	i kFkfed	mPp i kFkfed	i kFkfed	mPp i kFkfed
2009-10	1175365	698118	-2021.57	0	20290.86	21162.84	17929.22	7666.43	16124.67	7452.37
2010-11	1131264	489944	-217.02	214.06	18899.98	17935.94	15051.95	13330.67	15312.96	12831.84
2011-12	1152596	668204	-478.025	712.89	18900	15787.1	16388.6	14148.24	16094.25	13724.69
2012-13	1161129	713378	-183.67	1136.45	17262	14722.22	15696.4	11805.32	14692.55	13479.11
2013-14	1133901	711763	818.18	-535.48	14390.58	14748.52	13621.57	14703.1	14330.58	13369.17
dy	5754255	3281407	-2082.105	1527.92	89743.42	84356.62	78687.74	61653.76	76555.01	60857.18

स्रोत: शिक्षा निदेशालय

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान, छः कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 174100.04 मीट्रिक टन के आबंटन के प्रति केवल 140341.50 मीट्रिक टन खाद्यान्न (81 प्रतिशत) उठाया गया था। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि प्रेक्षण रिकार्ड की बात है। यह भी कहा गया कि खाद्यान्नों को बच्चों की उपस्थिति के आधार पर म.भो. की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उठाया गया था। सरकार का दावा सही नहीं है क्योंकि अथ शेष में ऋणात्मक आँकड़ों से संकेतित होता है कि सेवा प्रदाता को अपने स्वयं के खाद्यान्नों का उपयोग करना था।

(ii) [kk | KUUKka ds cQj LVKWB dh xj&mi yC/krk% म.भो. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता इकाई आकस्मिक अत्यावश्यकताओं के कारण होने वाली कठिनाई को दूर करने हेतु एक महीने के लिए आवश्यक खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार रखे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं ने एक महीने के लिए निर्धारित सुरक्षित भंडार का रख-रखाव नहीं किया था क्योंकि उन्होंने भोजन देने के 30 से 50 दिनों के पश्चात खाद्यान्नों को प्राप्त किया था। निदेशालय ने खाद्यान्नों के उठाव में देरी का कारण प्रशासनिक कारणों को बताया (जनवरी 2015)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.भो. मानकों के अंतर्गत एक महीने का बफर स्टॉक एक कोडल आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, सेवाप्रदाताओं द्वारा स्वयं के खाद्यान्नों का प्रयोग, उपयोग किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि अब खाद्यान्नों को प्रत्येक महीने अग्रिम रूप में उठाया जाता है एवं सेवा प्रदाताओं के बीच वितरित किया जाता है तथा सेवा प्रदाताओं को बफर स्टॉक रखने का निर्देश दिया जाएगा।

(iii) j | kb?kj ka ea fuEu dksV dk [kk | KUUK% का.अ.बो. ने अपनी बैठक (अप्रैल 2012) में, वि.सं.अ.के.⁹ द्वारा फील्ड-दौरों के परिणाम पर टिप्पणी की, जिसमें पाया गया कि उठाव के समय खाद्यन्न 'ए' ग्रेड के रूप में प्राप्त किये जा रहे थे। लेकिन उसी गुणवत्ता का खाद्यान्न म.भो. रसोईघर में नहीं पहुँचा। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक सेवा प्रदाता (मैसर्स मैत्री रिसर्च तथा डेवलपमेंट फाउंडेशन) के केन्द्रीय रसोईघर में उपलब्ध खाद्यान्नों का उपलब्ध स्टॉक उचित औसत गुणवत्ता (उ.औ.गु.) का नहीं था। चावल निम्न गुणवत्ता का, कीड़ों से भरा तथा अखाद्य तत्वों सहित था जिसमें काफी सफाई की जरूरत थी। विशेष सचिव (शिक्षा), रा.रा.क्षे.दि.स. ने बैठक (3 अप्रैल 2012) में सूचित किया कि मामले की जाँच की जा रही थी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेखापरीक्षा ने, यद्यपि, पाया कि निदेशालय ने चूककर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि ई-निविदा के माध्यम से जाँच प्रयोगशाला का मनोनयन प्रक्रियाधीन है। इनका उत्तर, हालाँकि, वि.सं.अ.के. के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई पर मौन है।

2-1-5-2 Hkkstu i dkuk , oa fo | ky; ka ea bl dh vki Wr

(i) i dk, x, Hkkstu dh vki Wr ea 0; o/kku@#dkoV% चयनित विद्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से पकाए गए भोजन की आपूर्ति में व्यवधान के निम्नलिखित मामलों

⁹विकास संघों के अध्ययन हेतु केन्द्र

का पता चला:

- 25 नवम्बर 2009 को एस.के.वी. विद्यालय, त्रिलोकपुरी में सेवा प्रदाता (मैसर्स राव रघुवीर सिंह सेवा समिति) द्वारा दूषित भोजन की आपूर्ति के कारण 126 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया था और भोजन की आपूर्ति 10 दिनों के लिए रोक दी गई थी।
- जीबीएसएस विद्यालय, डेरा गाँव में चार दिनों तक पकाए गए भोजन की आपूर्ति नहीं की गई थी। प्रधानाचार्य ने बताया कि सेवा प्रदाता का वाहन खराब हो जाने के कारण भोजन की आपूर्ति नहीं हो पायी थी और इसके लिए उसने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी।
- चयनित विद्यालयों में, पकाए गए भोजन की गुणवत्ता में कमी के कारण 2009-10 में आठ अवसरों पर एवं 2010-11 में एक दिन के लिए पकाए गए भोजन को वापस कर दिया गया था।
- मई 2012 से मई 2013 की अवधि के दौरान, कुल 55216 (45 प्रतिशत) पकाए गए भोजन को सरकारी सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटी माइन्स के विद्यार्थियों द्वारा नहीं लिया गया था, यद्यपि विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति 123275 थी। प्रधानाचार्य ने म.भो. न लेने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए भोजन की कम गुणवत्ता को उत्तरदायी ठहराया।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि सेवा प्रदाता (मैसर्स राव रघुवीर सिंह सेवा समिति) को पैन्ल से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गाँव डेरा विद्यालय में म.भो. की गैर-आपूर्ति के मामले में, चार दिनों का भुगतान उसके बिल से काट लिया गया था। आठ विद्यालयों में भोजन के वापसी के मामले में यह कहा गया कि म.भो. समिति भोजन परोसने से पहले सतर्क थी, इस प्रकार कम गुणवत्ता का भोजन बच्चों को नहीं दिया गया था। भाटी माइन्स विद्यालय के मामले में, यह कहा गया कि विद्यार्थियों ने म.भो. लेने में रुचि नहीं ली थी, परन्तु अब सभी विद्यार्थी भोजन ले रहे हैं। इनका उत्तर म.भो. की आपूर्ति में व्यवधान को रोकने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मौन है।

(ii) 200 नमूना जाँच मामलों¹⁰ में से 169 में, का.अ.बो. द्वारा निर्धारित एक वर्ष में 210 कार्य दिवसों के लक्ष्य के प्रति 179 से 209 कार्य दिवसों तक के लिए भोजन की आपूर्ति की गई थी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, सभी 76 नमूना जाँच मामलों में, 220 दिनों (2009-10 के लिए 210 दिन) के लक्ष्य के प्रति 160 से 206 दिनों तक के लिए भोजन की आपूर्ति की गई थी। इस मुद्दे को पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि कभी-कभी विभिन्न कारणों से म.भो. वापस कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, आपूर्ति किए गए म.भो. के दिनों की संख्या कम हो गई थी। इसने आगे कहा कि पू.दि.न.नि. एवं. द.दि.न.नि. ने एक वर्ष में 200 दिनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। हालाँकि, तथ्य यह है कि का.अ.बो. द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

¹⁰40 चयनित प्राथमिक विद्यालय × 5 वर्ष = 200 मामले

(iii) **गै.स.सं.** के नियोजन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार, गै.स.सं. का निष्पादन विश्वसनीय मूल्यांकन पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए एवं अगले वर्ष के लिए गै.स.सं. के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण, निष्पादन पर निर्भर करेगा। अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदाताओं को विनिर्धारित पोषण मूल्य¹¹ के पके भोजन की आपूर्ति करनी थी। आगे यह अनुबंध था कि यदि विशेष व्यंजन सूची में पोषण मूल्य में म.भो. का नमूना प्रतिवेदन लगातार असफल होता है तो अनुबंध रद्द हो जायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2010-14 की अवधि के दौरान श्री.रा.औ.अ.सं.¹² द्वारा 37 सेवा प्रदाताओं के पके हुए भोजन के 2102 नमूनों की जाँच की गई थी, जिनमें से 1876 नमूने (89 प्रतिशत) असफल हुए। 2013-14 के लिए निदेशालय के चयनित जिलों के मामले में, असफलता की दर 100 प्रतिशत थी। निदेशालय ने इन 37 चूककर्ता सेवा प्रदाताओं पर कुल ₹ 77.25 लाख का अर्थदण्ड लगाया। इसमें से इसने 31 सेवा प्रदाताओं के आपूर्ति आदेशों को 31 मार्च 2014 को विस्तारित किया। इसमें वे 12 सेवा प्रदाता भी शामिल थे जिन पर पिछले चार वर्षों से प्रतिवर्ष अर्थदण्ड लगाया जा रहा था, जिससे लगातार असफलता का संकेत होता है।

द.दि.न.नि. में 2012-14 के दौरान 137 में से 44 नमूने विफल रहे जबकि पू.दि.न.नि. में 2011-14 के दौरान 249 में से 113 नमूने निर्धारित कैलोरी व प्रोटीन मूल्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। पू.दि.न.नि. तथा द.दि.न.नि. ने निम्न कोटि के भोजन की आपूर्ति के लिए सेवा प्रदाताओं पर न तो कोई जुर्माना उद्ग्रहित किया और न ही उनकी सेवाओं को बन्द किया। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि पू.दि.न.नि. ने सभी सेवा प्रदाताओं को नमूनों की असफलता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है एवं निदेशालय द्वारा अपनायी गई नीति के अनुरूप सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। हालाँकि, इनका उत्तर चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के आपूर्ति आदेशों के विस्तार के कारणों के संबंध में मौन है।

(iv) **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**, के अनुसार सेवा प्रदाताओं को खाद्य सुरक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है। आगे, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को दि.न.नि. के स्वास्थ्य विभाग एवं अग्नि विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना था। अन्य अनुमतियों एवं अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रों को भी प्राप्त किया जाना था। पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में इस मुद्दे के उठाए जाने के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009-14 के दौरान आवश्यक लाइसेंस अथवा अनुमतियों/प्रमाण-पत्रों को किसी सेवाप्रदाता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि 23 सेवा प्रदाता (31 में से) आवश्यक खाद्य सुरक्षा लाइसेंस प्राप्त कर चुके हैं एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने हेतु सेवा प्रदाताओं को नये सिरे से निर्देश जारी किये जाएंगे। हालाँकि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा में इस मुद्दे के उठाए जाने के बाद लाइसेंस प्राप्त किए गए थे।

¹¹(i) प्राथमिक विद्यालयों में 450 कि.कैलोरी एवं प्रोटीन का 12 ग्राम (ii) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति भोजन 700 कि.कैलोरी एवं प्रोटीन का 20 ग्राम

¹²श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान

(v) **fun's kky; }kjk tkjh fd; s x; s l kekl; fun' kka dk ikyu u djuk%** निदेशालय ने मा.भो. योजना के कार्यान्वयन हेतु पालन किए जाने वाले सामान्य निर्देशों को जारी किया (दिसम्बर 2009, सितम्बर 2010 एवं जनवरी 2012)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

¼d½ पूर्वी जिले के शि.अ. (क्षेत्र-I)¹³ एवं शि.अ. (क्षेत्र-III)¹⁴ के निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि या तो कीट नियंत्रण नहीं किया गया था अथवा सेवा प्रदाताओं द्वारा इस संबंध में अभिलेख नहीं बनाया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा रसोईघरों में नियमित धूम्रिकरण और कीट नियंत्रण पर आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका।

¼K½ अनुबंध के अनुसार, सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित था कि अपने-अपने रसोईघरों में जल शोधन प्रणाली की स्थापना एवं उसका रख-रखाव करें। संबंधित उ.नि.शि. तथा शि.अ. के निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि- (i) मैसर्स जन चेतना जागृति शैक्षण विकास मंच, (ii) मैसर्स दलित प्रहरी तथा (iii) मैसर्स भारतीय मानव कल्याण परिषद के रसोईघरों में जल शोधन प्रणाली स्थापित नहीं थी अथवा काम नहीं कर रही थी।

¼X½ चयनित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के दौरों में लेखापरीक्षा ने देखा कि भोजन वितरकों ने कुछ विद्यालयों में ऐप्रन, हेडगियर्स तथा दस्ताने नहीं पहने थे। साथ ही, 24 प्राथमिक तथा चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें पहचान पत्र भी जारी नहीं किए गए थे।

¼?K½ निदेशालय द्वारा रसोइया-सह-सहायक (र.स.स.) को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था।

(क) से (ग) तक उठाए गए मुद्दों के संबंध में सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। रसोइया-सह-सहायक के संबंध में, यह कहा गया कि सेवा प्रदाताओं द्वारा नियोजित 60 र.स.स. की एक सूची, पर्यटन मंत्रालय, भा.स. के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए फरवरी 2014 में मा.सं.वि.मं. को अग्रेषित की गई थी, परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2-1-5-3 **i k'skd rRok; i k's.k Lrj rFkk LokLF; tk;p l s l æf/kr ekeys**

(i) **Hkkstu ea f}i k'skd ued dk iz; ksx ugha fd; k tkuk%** लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सेवा प्रदाता म.भो. को पकाने के लिए द्विपोषक नमक, जैसा कि दिशा-निर्देशों में अनुबंध है, का प्रयोग नहीं कर रहे थे। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि सभी सेवा प्रदाताओं को नये सिरे से निर्देश जारी किये जाएंगे।

(ii) **cPpka ds fy, l u(e&i k'skd rRok dk i ko/kku%** म.भो. दिशा-निर्देशों (2006) में सूक्ष्म-पोषक तत्वों के अनुपूरण तथा दवा देकर-(क) कीड़ों को मारने की छमाही खुराक तथा विटामिन-ए अनुपूरण, (ख) आयरन, फोलिक एसिड तथा जिंक का साप्ताहिक अनुपूरण, तथा (ग) सामान्य कमियों के आधार पर अन्य उपयुक्त अनुपूरण का प्रावधान है।

सरकारी विद्यालयों में चाचा नेहरू सेहत योजना के अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

¹³नवम्बर व दिसम्बर 2010 एवं नवम्बर 2011

¹⁴अप्रैल एवं अगस्त 2013

चलाया जाता है। दि.न.नि. के विद्यालयों में, यह संबंधित स्वास्थ्य विभागों द्वारा चलाया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा सूक्ष्म-पोषक तत्वों, विटामिन ए, कीड़े मारने की दवाएँ, फॉलिक एसिड तथा जिक टैब्लेट्स, विद्यार्थियों को बाँटे जाते हैं। अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दर्शाया गया है कि-

1/2 नौ चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2009-14 की अवधि के दौरान आयरन तथा फॉलिक एसिड के टैब्लेट्स एक से पाँच बार दिए गए जबकि चार विद्यालयों में वितरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। 13 विद्यालयों में, कीड़े मारने की दवा एक से पाँच बार दी गई तथा चार विद्यालयों में अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

2/2 2009-14 की अवधि के दौरान 16 चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, आयरन तथा फॉलिक एसिड के टैब्लेट्स केवल एक से पाँच बार दिए गए, जबकि चार विद्यालयों में ये वितरित नहीं किए गए। 32 विद्यालयों में, 2009-14 के दौरान कीड़े मारने की दवा एक से पाँच बार दी गई थी। छः विद्यालयों में, टैब्लेट्स के वितरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम विद्यालय के कक्षाध्यापकों/नोडल अध्यापकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और इस संबंध में अभिलेखों को रजिस्ट्रों में एवं ऑनलाइन तैयार किया जाता है। उत्तर से वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण संबंधित विद्यालयों द्वारा तैयार किए गए पंजीयकों एवं वि.प्र. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर है।

(iii) cPpka dh LokLF; & tkp% 2009-14 की अवधि में 60 चयनित विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के अनुसार, 66524 बच्चों को शामिल करते हुए कुल 513 स्वास्थ्य जाँच कैंप लगाए गए थे। यह देखा गया कि दो प्राथमिक तथा चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, कोई स्वास्थ्य जाँच कैंप नहीं लगाया गया था। दो प्राथमिक विद्यालयों तथा 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार भी कैंप नहीं लगाए गए थे। इन स्वास्थ्य कैंप से संबंधित अभिलेखों से यह प्रदर्शित होता है कि पाँच प्राथमिक विद्यालयों के 412 बच्चे कम वजन के पाए गए तथा 10 प्राथमिक विद्यालयों के 1187 बच्चे एनीमिया के शिकार थे। विशेषकर एमसीपी विद्यालय, छतरपुर में, एनीमिक बच्चों की संख्या 2012-13 में अधिकतम 40 प्रतिशत (900 में से 360) तथा 2013-14 में 28 प्रतिशत (801 में से 224) थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि चाचा नेहरू सेहत योजना के अन्तर्गत, नवंबर 2011 से दिसंबर 2014 तक दिल्ली सरकार के विद्यालयों एवं सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न विद्यालयों में कुल 17.66 लाख विद्यार्थियों के किसी भी रोग, कमी एवं अशक्तता की जाँच की गई थी। उत्तर से नियमित स्वास्थ्य-जाँच के गैर-संचालन के मुद्दे का पता नहीं चलता है।

2-1-6 fuxjkuh vkj eW; kdu

2-1-6-1 l pkyu&l g&fuxjkuh l fefr dk fuekZk vkj bl dh cBda

म.सं.वि.मं. का परिपत्र (30 अगस्त 2010), म.भो. योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तरों पर संचालन-सह-निगरानी समिति (सं.नि.स.) की स्थापना का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सं.नि.स. ने वर्ष 2009-14 के दौरान, न्यूनतम 10 बैठकों (छः माह में एक बार) के प्रति केवल चार बार बैठकें आयोजित की। इसी प्रकार, 2009-14 के दौरान, क्षेत्रीय सं.नि.स. की 50 बैठकों के लक्ष्य के प्रति, दक्षिणी जिले के क्षेत्र 23 और क्षेत्र 24 में क्रमशः 18 और 5 बैठकों का आयोजन हुआ। पूर्वी जिले के तीन क्षेत्रों में, क्रमशः 18, 16 और 7 बैठकों का आयोजन हुआ। पू.दि.न.नि. और द.दि.न.नि. ने क्षेत्र या जिले स्तर पर किसी सं.नि.स. का गठन नहीं किया गया।

60 चयनित विद्यालयों में से, तीन प्राथमिक और चार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय सं.नि.स. गठित नहीं की गई थी। सात प्राथमिक और सात उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यद्यपि सं.नि.स. गठित हुई, परन्तु किसी बैठक का आयोजन नहीं हुआ। 28 प्राथमिक विद्यालयों में, मासिक बैठकों की संख्या पाँच और 120 के मध्य थी और तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, यह एक और 30 के मध्य थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि राज्य सं.नि.स. की बैठकें प्रत्येक छः माह में आयोजित की जाएंगी तथा क्षेत्रीय एवं विद्यालय स्तर पर सं.नि.स. की नियमित बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। आगे, इसने यह कहा कि पू.दि.न.नि. तथा द.दि.न.नि. ने विद्यालय स्तरों पर म.भो. के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया है। तथापि तथ्य यह है कि पू.दि.न.नि. तथा द.दि.न.नि. में कोई क्षेत्रीय सं.नि.स. नहीं थीं।

2-1-6-2 ekfl d fuxjkuh fj i k/kk dks r\$ kj u djuk

उ.नि.शि. को क्षेत्रीय और विद्यालय स्तर पर म.भो. समिति के कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी और इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक शिक्षा (म.भो.) को ई-मेल के द्वारा मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना चाहिए थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप नि.शि. द्वारा मुख्यालय को मासिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि इस संबंध में जिलों के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-1-6-3 dPps [kk | kUUKka dh xq koYkk l s l cf/kr ekun. Mka dh xj &vuq kyuk

मा.सं.वि.मं. ने सभी राज्यों को निर्देश परिचालित किए (फरवरी 2010) कि भा.खा.नि. के गोदामों से उठाए गए कच्चे खाद्यान्नों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा इसके लिए भा.खा.नि. को समय से भुगतान किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- 2009-14 के दौरान निदेशालय एवं पूर्वी दि.न.नि. द्वारा भा.खा.नि. के साथ इस प्रकार का कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया था।
- रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भा.खा.नि. के अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति में नमूनों के उठाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।
- खाद्यान्नों के उठाव, भुगतान एवं गुणवत्ता के संबंध में भा.खा.नि. के साथ नियमित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं

नमूनों के संयुक्त निरीक्षण एवं संयुक्त उठाव से संबंधित मुद्दे पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में भी उठाए गए थे।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि जरूरत के अनुसार, बैठकों को आयोजित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे जैसा कि विनिर्धारित था।

2-1-6-4 fo | ky; ka dk fu; fer ekfl d fujh{k.k u fd; k tkuk

निदेशालय द्वारा जारी सामान्य निर्देशों के अनुसार, सभी शि.अ. को निगरानी उद्देश्यों हेतु माह में कम से कम एक बार म.भो. के वितरण के समय निरीक्षण करना था। इस प्रकार के दौरों के बारे पूछे जाने पर, दक्षिणी जिले के शि.अ. (क्षेत्र 23 और 24) और पूर्वी जिले के क्षेत्र 1, 2 और 3 के शि.अ. ने कहा (दिसम्बर 2014 और जनवरी 2015) कि उन्होंने आवश्यकतानुसार विद्यालय का दौरा किया। हालाँकि, विद्यालय-वार निरीक्षणों का विवरण शि.अ. के पास उपलब्ध नहीं था। सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि जिलों के सभी उ.नि.शि. एवं क्षेत्रों के शि.अ. को सामान्य अनुदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-1-6-5 m-fu-f'k- vkj f'k-v- }kjk j l kbzkj ka dk de fujh{k.k djuk

उ.नि.शि. को अपने क्षेत्रों के सेवा प्रदाताओं के रसोईघरों का माह में कम से कम एक बार और शि.अ. को पाक्षिक निरीक्षण करना चाहिए था। 2012-14 के दौरान 60 निरीक्षणों के लक्ष्य के प्रति केवल सात निरीक्षण किए गए जबकि 2009-12 के लिए निरीक्षणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। उ.नि.शि. (दक्षिणी) ने 2009-14 की अवधि के दौरान रसोईघरों का केवल पाँच बार निरीक्षण किया था। दक्षिणी जिले (क्षेत्र 23 और 24) के शि.अ. और पूर्वी जिले के क्षेत्र 1, 2 और 3 के शि.अ. द्वारा किए गए निरीक्षणों के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि वर्तमान आदेश के अनुसार जिलों के सभी उप नि.शि. एवं क्षेत्र के शि.अ. को रसोईघरों का दौरा करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2-1-6-6 f'kdk; rka dh l quokbz

निदेशालय के परिपत्र (13 सितम्बर 2010) के अनुसार, सभी विद्यालय प्रमुखों को शिकायतों/समस्याओं/सुझावों के लिए एक पंजिका रखनी चाहिये। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने, हालाँकि, दर्शाया कि 40 चयनित प्राथमिक विद्यालयों में से 13 और 20 चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 10 ने, इस तरह की कोई पंजिका नहीं बनायी थी।

सरकार ने कहा (अप्रैल 2015) कि म.भो. से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए जिलों के उपनिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने हेतु अप्रैल 2014 एवं जनवरी 2015 में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

2-1-7 fu"d"kl

निदेशालय, का.अ.बो. द्वारा लक्षित वै.न.शि./शि.गा.यो. केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों को शामिल करने में असफल रहा। इसने स्कीम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई योजना नहीं बनायी थी। कुल आबंटित बजट में निरंतर बचतें थीं एवं मा.सं.वि.मं. द्वारा निधियों के जारी करने में देरी हुई थी। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, औसत उपस्थिति कम हो गई थी एवं म.भो. के अंतर्गत बच्चों का आच्छादन भी कम हो गया था। सेवा प्रदाताओं ने एक माह के लिए निर्धारित खाद्यान्न का बफर स्टॉक नहीं रखा। पकाये हुये भोजन की आपूर्ति में व्यवधान/रूकावट के मामले थे या कई अन्य कारणों से जैसे- आस्थगित आपूर्ति,

सेवाप्रदाताओं के वाहन को नुकसान और निम्न स्तर के भोजन की आपूर्ति के कारण विद्यार्थियों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। पकाए गए भोजन के अधिकांश नमूने मानक पोषण मूल्य की पूर्ति करने में विफल रहे। निदेशालय ने उन आपूर्तिकर्ताओं के आपूर्ति आदेश को विस्तारित किया जिनको बार-बार अर्थदण्ड लगाया जा रहा था। विद्यालयों में, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण नहीं किया गया था। उ.नि.शि. और शि.अ. के स्तर पर खाद्यान्नों को उठाने और लाने ले जाने, रसोई घरों और पके भोजन को वितरित करने में निगरानी एवं निरीक्षण की कमी थी।

2-1-8 fl Qkfj 'ka

सरकार को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

- (i) वै.न.शि. और शि.गा.यो. केन्द्रों में पढ़ रहे बच्चों के नामांकन की स्थिति की वार्षिक समीक्षा करें,
- (ii) नामांकन को बढ़ाने के लिए जन-सामान्य के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु 'दाखिला अभियान' एवं 'प्रभात फेरी' जैसे और अधिक कार्यक्रमों को संचालित करें,
- (iii) सुनिश्चित करें कि सेवा प्रदाताओं द्वारा आपूरित खाद्य विनिर्धारित मानक पोषण मूल्य के अनुरूप हों, और
- (iv) विद्यालयों, रसोईघरों के नियमित निरीक्षण द्वारा निगरानी प्रक्रिया को मजबूत बनाएं तथा राज्य, क्षेत्र एवं विद्यालय स्तरों पर सं.नि.स. की बैठकें आयोजित करें।

x'g foHkkx

2-2 tsy iꣳku

तिहाड़ का केन्द्रीय कारागार, जिसमें नौ जेल एवं रोहिणी की 6250 कैदियों की कुल क्षमता वाली जनपद जेल शामिल है, एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। जेलों का प्रबंधन दिल्ली कारागार अधिनियम 2000 के अन्तर्गत होता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न प्रकार है :

fof'k"Vrk, j

- *tsyka ea 6250 dh {kerk ds epkcy 14209 dñh gkus ds dkj.k tsy vR; ar HkhM+ ; qñ FkhA ujsyk} ci jksyk , oa f?kVkj uh ea Hkñe vf/kxg.k ea njh ; k vf/kxg.k u gkus ds dkj.k ubz tsyka dk iLrkfor fuekZk dk; kñlor ugha gks l dka e. Mksyh tsy dk fuekZk vo/kkj.kkj cukov , oa vo' ; drkvka ea ckj&ckj cnyko ds dkj.k ijik ugha gks l dka
¼i §kxkQ 2-2-1] 2-2-4-1 (i) , oa (ii))*
- *l j {kk midj.kka tñ s l hl hVhoh ij vR; kf/kd [kpZ djus ds cktm] ifrcf/kr oLrpkka ds id'sk ij fu; æ.k vi ; kñr Fkka
¼i §kxkQ 2-2-3-5 rFkk 2-2-6-1½*
- *1% ds vHkh"V vuq kr ds epkcy} l ðoh—r l a; k ds vuq kj xkMZ deþkfj ; ka , oa dñn; ka dk vuq kr 1%1 l s 1%14 , oa okLrfod inkl hu l a; k ds vuq kj 1%6 l s 1%21 Fkka
¼i §kxkQ 2-2-3-6½*
- *fpdfRI dkj fpdfRI k deþkfj ; ka , oa iz; ksx'kkyk l fo/kkvka dh deh ds dkj.k 93224 dñh 2009&14 ds nkjku ckjñ vLi rkyka ea Hksts x; § ftuea l s 77232 dñy ckj; fpdfRI k l ðk ds fy, Hksts x; A
¼i §kxkQ 2-2-4-4½*
- *QDVh l pkyu ds ys[ks ugha cuk; s x; A l fonk inku djus , oa ykxr fu/kkj .k ea vfu; ferrkvka ds dkj.k i fjgk; l ?kkVs ds ekeys i k; s x; A
¼i §kxkQ 2-2-5-1½*

2-2-1- Hkñedk

तिहाड़ स्थित दिल्ली के केन्द्रीय कारागार में 5200 कैदियों की कुल क्षमतायुक्त नौ जेलें हैं, जो कि एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में से एक है। रोहिणी के जिला कारागार में 1050 कैदियों की क्षमता है। यह जेल दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशासित होती है, जो 25 अक्टूबर 2004 से कारागार अधिनियम 1894 की जगह प्रभाव में आया। 31 मार्च 2014 तक 10849 विचाराधीन कैदी, 3354 अपराधी एवं 06 सुधार बन्धकों सहित 6250 कैदियों की क्षमता के प्रति कुल 14209 कैदी थे।

2-2-1-1 l xBukRed <kpk

दिल्ली कारागार पूर्णतया रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। कारागारों का महानिदेशक जेल विभाग का प्रमुख हैं, जिनके सहायक कारागार

के अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं उप महानिरीक्षक हैं। एक जेल अधीक्षक नौ जेलों में से प्रत्येक जेल का प्रमुख होता है एवं उपअधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य संरक्षक एवं संरक्षक उसकी सहायता करते हैं। एक निवासी चिकित्सा अधिकारी सभी जेलों के चिकित्सीय प्रशासन की अध्यक्षता करता है।

जेल के कर्मचारीगण कैदियों की अभिरक्षा का कर्तव्य निभाते हैं जबकि तमिलनाडु विशेष पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस एवं केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल बाहरी सुरक्षा, गश्त, तलाशी, आदि का ध्यान रखते हैं। दिल्ली सशस्त्र पुलिस की एक टुकड़ी कैदियों को न्यायालय एवं अस्पताल ले जाने में मार्गरक्षी का कार्य संभालती है।

2-2-1-2 यक्षिज्क्षमिः

लेखापरीक्षा उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना था कि क्या :

- वित्तीय प्रबंधन प्रभावशाली था,
- कैदियों की हिरासत एवं अभिरक्षा सुरक्षित और संरक्षित थे,
- दिल्ली कारागार नियमावली में दी गई सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार कैदियों को मुहैया कराए जा रहे थे,
- सुधार एवं पुनर्वास की गतिविधियाँ अधिनियम तथा नियमों के उद्देश्यों के अनुरूप थी एवं
- योजनाएँ एवं परियोजनाएँ मितव्यय, कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से लागू की गई।

2-2-1-3 यक्षिज्क्षदक्ष-

निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-14 की अवधि के लिए अप्रैल तथा सितंबर 2014 में की गई थी। तिहाड़ जेल परिसर की नौ जेलों में से चार जेल (जेल सं. 1, 2, 3 व 6) एवं रोहिणी जिला जेल जिनमें मुख्य भण्डार, फैंक्ट्री इकाई, शस्त्रागार एवं केन्द्रीय जेल अस्पताल सम्मिलित हैं, विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच के लिए चुने गये। कारागार विभाग एवं जेलों का निर्माण व रखरखाव देखने वाले लोक निर्माण विभाग के पांच मंडलों के अभिलेखों की भी जाँच की गई। पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं में, जो मार्च 2005 में समाप्त वर्ष (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन) के प्रतिवेदन में छपी थी, जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या पर चर्चा हुई। निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली की चर्चा के लिए (मई 2014) डी.आई.जी. (कारागार) के साथ प्रवेश सम्मेलन किया गया था।

सरकार को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप प्रस्तुत किया गया एवं समाप्ति सम्मेलन (मार्च 2015) में महानिदेशक (कारागार) के साथ चर्चा की गई एवं सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार एवं तत्पश्चात महानिदेशक (कारागार) से प्राप्त टिप्पणियाँ प्रतिवेदन में सम्मिलित की गईं।

2-2-1-4 यक्षिज्क्षदिक्षह

लेखापरीक्षा को निम्नलिखित स्रोतों की कसौटी पर परखा गया है :

- दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000,
- दिल्ली जेल नियमावली,
- सामान्य वित्तीय नियम, एवं
- समय-समय पर रा.रा.क्ष. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश एवं अनुदेश।

ys[kki j h{kk fu" d" kZ

2-2-2 foYkh; i cdku

दिल्ली कारागार का 2009-14 की अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय rkfydk 2-2-1 में दिये गये हैं :

rkfydk % 2-2-1 ctV vkcM/u , oa 0; ; %jktLo%
 % djkm+ e%
 ; kstuxr xj ; kstuxr

o" kZ	; kstuxr			xj ; kstuxr		
	vkoM/u	0; ;	cpr	vkoM/u	0; ;	cpr
2009-10	3.15	3.03	0.12	111.75	111.02	0.73
2010-11	4.48	4.45	0.03	114.73	114.33	0.40
2011-12	8.36	8.29	0.07	132.58	132.08	0.50
2012-13	14.50	13.57	0.93	155.89	155.30	0.59
2013-14	12.10	10.27	1.83	164.16	139.27	24.89

स्रोत: सूचना कारागार मुख्यालय द्वारा प्रदान की गई।

2009-13 की अवधि में लगभग सभी आवंटित निधियों का उपयोग हो गया था। हालांकि वर्ष 2013-14 के दौरान 15 प्रतिशत की बचत हुई।

लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई वित्तीय अनियमितताएँ निम्न पैराग्राफों में दी गई हैं।

(i) ty i Hkkjka ds fy, ₹ 1-30 djkm+ dk vfrfj ä Hkqxrku% दिल्ली जल बोर्ड के दिसंबर 2009 की अधिसूचना के अनुसार यदि सरकारी कार्यालयों ने वर्षा जल के संरक्षण एवं/या बेकार पानी के पुनः प्रयोग के उपायों को अपनाया है तो वह पानी के बिलों पर 15 प्रतिशत की छूट के पात्र हैं। हालांकि तिहाड़ जेल परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली एवं सीवर संशोधन संयंत्र काम कर रहे थे, किन्तु विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड से छूट का दावा नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अवधि 2010-14 के दौरान ₹ 1.30 करोड़ (₹ 8.64 करोड़ का 15 प्रतिशत) अधिक भुगतान करना पड़ा।

महानिदेशक (कारागार) का कथन है कि विभाग ने लोक निर्माण विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है एवं मामला (जनवरी 2015) दिल्ली जल बोर्ड को जनवरी 2010 से छूट का अनुदान प्राप्त करने के लिए पेश कर दिया है।

(ii) t p k l u k a d k v f u ; f e r f g l k c & f d r k c % 2009-14 के दौरान कारागार विभाग ने आपूर्तिकारों पर विलम्ब से आपूर्ति के लिए ₹ 1.41 करोड़ का जुर्माना लगाया। हालांकि जुर्माने को अलग से प्राप्ति मानने के बजाय विभाग ने कुल व्यय को (कुल भुगतान राशि-जुर्माना) संबंधित शीर्ष 2056, जेल-आपूर्तियाँ एवं सामान के अंतर्गत डाला।

महानिदेशक (कारागार) ने अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का भविष्य में पालन किया जायेगा।

(iii) d s h d Y ; k . k d k s ' k % d s d - d k s % e a v f u ; f e r t e k % दिल्ली जेल नियामावली के नियम 13 का प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के पास जेल में प्रवेश करने के पश्चात पाई गई प्रतिबंधित वस्तु जब्त की जाएगी एवं जब्त धनराशि तथा जब्त वस्तुओं की बिक्री से

प्राप्त धनराशि सरकार के उचित शीर्ष के अंतर्गत जमा करानी होगी। जाँच एवं जब्ती से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि जेल 1, 2 एवं 3 के कैदियों से जब्त ₹ 3.39 लाख की राशि एवं 'पुरानी रोटियों' को बेचकर प्राप्त धनराशि सरकारी खाते के बजाय कैदी कल्याण कोष में जमा कराई गई।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं आश्वस्त किया है (मार्च 2015) कि जब्त धनराशि अब अलग रहेगी न कि कैदी कल्याण कोष में।

(iv) ₹ 13.73 करोड़ का जिला जेल रोहिणी के भवन का निर्माण किया, जिसने अक्टूबर 2004 में काम करना आरम्भ कर दिया। क्योंकि भवन में पानी का अस्थायी कनेक्शन था, कार्यपालक अभियंता (लो.नि. वि.) ने मार्च 2006 में स्थायी पानी का कनेक्शन प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. को पूर्णता एवं कब्जा प्रमाणपत्र (फार्म डी) जारी करने के लिए आवेदन किया, जो सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था। जिसके परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. सामान्य दर से तीन गुनी दरों पर जुर्माने के तौर पर पानी के बिल जारी करता रहा। हालांकि रोहिणी जिला जेल ने सामान्य दर पर जल प्रभार अदा किया। जेल प्राधिकरण द्वारा पानी के स्थायी कनेक्शन के लिए असमर्थता के परिणामस्वरूप (दिसंबर 2013 तक)¹⁵ जुर्माने के रूप में ₹ 13.73 करोड़ की देयता बन चुकी थी।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में समाप्ति-सह-अधिमोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे यह कहा गया कि अग्निशामक के निविदा दस्तावेज को पुनरीक्षण हेतु प्रभागीय अधिकारी, डीएफएस को सितम्बर 2012 में भेजा गया था लेकिन वह प्रतीक्षित था। हालांकि विभाग द्वारा शीघ्र एनओसी प्राप्त करने के लिए की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

2-2-3 अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, जेलों में कैदियों की सुरक्षा

अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जेल अधीक्षक कैदियों की सुरक्षित हिरासत एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। कैदियों की नज़रबंदी की शर्तें एवं अपनायी जाने वाली प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों एवं जेल नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। कैदियों की हिरासत एवं नज़रबंदी के दौरान पाई गई कमियों का नीचे पैराग्राफ में वर्णन किया गया है:

2-2-3-1 जेलों में कैदियों की सुरक्षा के प्रावधानों के तहत दण्ड संहिता की धारा 436 ए निर्धारित करती है कि जहाँ छानबीन के दौरान किसी कानून के तहत एक अपराध की जाँच या मुकदमे (ऐसा अपराध न हो जिसकी सजा मृत्युदण्ड हो) में कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा से आधी कैद की सजा काट चुका है, ऐसा व्यक्ति न्यायालय के द्वारा अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत राशि या उसके बिना रिहा हो सकता है। गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने भी इस मामले में भीड़ कम करने के विचार से एडवाईज़री (मई 2011) जारी की थी।

प्रावधानों के तहत दण्ड संहिता की धारा 436 ए निर्धारित करती है कि जहाँ छानबीन के दौरान किसी कानून के तहत एक अपराध की जाँच या मुकदमे (ऐसा अपराध न हो जिसकी सजा मृत्युदण्ड हो) में कानून के तहत निर्धारित अधिकतम सजा से आधी कैद की सजा काट चुका है, ऐसा व्यक्ति न्यायालय के द्वारा अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर जमानत राशि या उसके बिना रिहा हो सकता है। गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने भी इस मामले में भीड़ कम करने के विचार से एडवाईज़री (मई 2011) जारी की थी।

¹⁵अवधि जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान बिल बनाए गए

दिल्ली कारागार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सुनवाई के दौरान 51 वि.कै.¹⁶ (31 अगस्त 2014) को कानून के तहत उन पर आरोपित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दण्ड की आधी से अधिक अवधि के लिए कैद में रखा गया। सुनवाई के दौरान कैदियों को बिना पुनरावलोकन इतनी लम्बी अवधि के लिए हवालात में रखना अपराध दण्ड संहिता एवं गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुरूप नहीं था।

जवाब में महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि मामला जेल प्राधिकरण की सीमा के अन्दर नहीं आता है एवं न्यायालयों को निर्णय लेना है। जवाब स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा मई 2011 में विशिष्ट एडवाइजरी जारी करने के बावजूद जेल प्राधिकरण ने न्यायालय को वि.कै. की लिस्ट सितंबर 2014 में ही जमा करायी।

2-2-3-2 vfrfK ckMl

दिल्ली कारागार (कारागार अतिथि) नियमावली, 1988 में विशेष रूप से अतिथि बोर्ड के गठन का प्रावधान है जिसका पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है जो एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है जिसके द्वारा सभ्य समाज जेल की दशाओं एवं प्रशासन पर नजर रख सकता है। जबकि ऐसा कोई बोर्ड गठित ही नहीं हुआ।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि बोर्ड का गठन मार्च 2014 में हुआ था। हालांकि जवाब बोर्ड के गठन में हुए विलंब के कारण व परिस्थितियों के बारे में वर्णन नहीं करता है।

2-2-3-3 fgjkl r , oa dñ ea l j {kk dh deh

दिल्ली कारागार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 2009-14 (कैलण्डर वर्षों) के दौरान बीमारी, आत्महत्या, साथी कैदियों द्वारा हमले एवं जेल परिसर में दुर्घटना इत्यादि के कारण 146 मृत्यु के मामले हुए। इस प्रकार कारागार अधिकारीगण जेल में कैदियों के सुरक्षित हिरासत व नज़रबंदी को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि दिल्ली कारागार में बंदियों की संख्या की तुलना में केवल 146 मृत्यु के मामले (0.01 प्रतिशत) पांच वर्ष की अवधि में घटे एवं उनमें से कुछ ही आत्महत्या या साथी बंदियों द्वारा हमले के कारण घटे। भविष्य में ऐसी घटनाएँ टालने के लिए पूर्ण प्रयास करने का आश्वासन दिया गया।

2-2-3-4 dñ; ka dk bfrgkl i =d

दिल्ली कारागार (कैदी सम्पत्ति, इतिहास, चिकित्सा इत्यादि) नियमावली 1988 के नियम 17 एवं 19 के अनुसार प्रत्येक अपराधी को एक इतिहास पत्रक दिया जाता है जिसमें इतिहास पत्रक में अन्य बातों के साथ-साथ फैसले की प्रति की प्राप्ति, न्यायालय में दायर अपील के प्रेषण की तिथि, प्रत्येक अनुमोदित साक्षात्कार, निजी पत्रों की प्राप्ति व प्रेषण की रसीद, अपीलीय न्यायालय के आदेश का सार, अपील करने के लिए स्वीकृत अवधि की समाप्ति से पहले नहीं की गई अपील के साक्ष्य एवं अपील का परिणाम इत्यादि उल्लिखित होते हैं। पाँच जेलों के (केन्द्रीय कारागार-1, 2, 3, 6 एवं जिला जेल रोहिणी) कैदियों की इतिहास

¹⁶विचाराधीन कैदी

पत्रावली की नमूना जाँच के दौरान पूरे ब्यौरे अद्यतन स्थिति सहित दर्ज नहीं पाये गये। इसलिए लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि प्रत्येक जरूरतमंद कैदी को विधिक सहायता प्रदान की गई या नहीं।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि जुर्माने के साथ सुनाई गई सजा, चिकित्सीय विवरण, प्रदान की गई सुविधाएँ, आवंटित मजदूरी, छूट एवं रिहाई की अनुमानित तिथि इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियाँ इतिहास पत्रक में दर्ज कर दी गई हैं। जबकि प्रत्येक अपराधी के लिए कारावकाश/गैर हाजिरी का विवरण एक अलग फाइल में दिया जाता है। जवाब इस वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है क्योंकि कैदियों के पास उपलब्ध इतिहास पत्रक में यह विवरण नहीं था।

2-2-3-5 ifrcf/kr oLrpk/ds iDsk ij vi ; klr fu; a.k

10 में से छः जेलों की खोज एवं जब्ती पंजिकाओं की नमूना जाँच एवं लेखापरीक्षा में दी गई सूचना से पता चला कि प्रतिबंधित वस्तुएँ, जैसे मोबाइल फोन, देशी निर्मित पिस्टल, मुद्रा, नशीले पदार्थ, ब्लेड, रस्सियाँ इत्यादि कैदियों से जब्त किये गये। जब्ती से इंगित हुआ कि बंदियों एवं मुलाकातियों के लिए निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया होने के बावजूद प्रतिबंधित वस्तुएँ कैदियों तक पहुँचीं।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि कैदियों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएँ शारीरिक गुहिकाओं में छिपाकर एवं उनको निगलकर जेल के अन्दर ले जाई जाती हैं। बंदियों एवं कर्मचारियों की सम्पूर्ण जाँच के लिए एक्स-रे आधारित सम्पूर्ण शरीर स्कैन प्रक्रियाधीन है, जो वस्तुओं को शारीरिक गुहिकाओं में छिपाने की संभावनाओं को और कम करेगी।

2-2-3-6 vi ; klr l j {kk mik; , oa 0; oLFkk, j

सुरक्षा प्रक्रियाओं के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से पता चला है कि जेल द्वारा अपनायी गई बहुत सी प्रक्रियाएँ एवं पद्धतियाँ वर्तमान स्थिति में सुरक्षा व सतर्कता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी जैसा नीचे विस्तार से दिया गया है :

- एक वार्ड से दूसरे वार्ड, वार्ड से ड्योढ़ी (मुख्य जेल प्रवेश द्वार) एवं वार्ड से चक्कर (नियंत्रण कक्ष) तक कोई संचार पद्धति नहीं थी (इंटरकाम या टेलीफोन लाइन) जो गंभीर रूप से किसी आपातकालीन स्थिति में तीव्र प्रतिक्रिया में देरी कर सकती थी।
- भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्मित आदर्श कारागार नियमावली में बताया गया है कि निगरानी कर्मचारियों एवं कैदियों के बीच अभीष्ट अनुपात 1:6 होना चाहिए। जबकि संस्तुत संख्या अनुसार अनुपात 1:11 से 1:14 था एवं पदासीन अनुपात 1:16 से 1:21 था।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि कारागार कर्मचारियों के सभी संगर्गों में अतिरिक्त पदों का सृजन करने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका था। कैदियों एवं कर्मचारियों का असंगत अनुपात कारागार की अत्यधिक भीड़ एवं कर्मचारियों की कमी का कारण था। मामला पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा (मार्च 2005) में चिह्नित किया गया था किन्तु निगरानी कर्मचारियों एवं कैदियों के बीच का अनुपात असंगत ही बना रहा।

2-2-4 दंडन; का ध I (fo/kk, j , oa fo' k'skkf/kdkj

2-2-4-1 दंडन; का ds jgus ds fy, LFkku , oa vkokl

(i) vR; f/kd HkhM+Hkj h tsya % प्रति वर्ष 31 दिसंबर को तिहाड़ परिसर एवं रोहिणी जेल में वास्तविक कारागार जनसंख्या की जेल की निर्दिष्ट क्षमता के साथ तुलना में कुल भीड़-भाड़ 174 से 217 प्रतिशत तक होने के संकेत मिले हैं।

महानिदेशक (कारागार) ने (मार्च 2015) माना एवं कहा कि कारागार विभाग द्वारा और अधिक जेलों का निर्माण करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ii) vrfj ä ty LFkku dk I `tu% जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या से वास्तविक रूप से निपटने का एकमात्र तरीका शीघ्रता से नया जेल स्थान सृजन करना व अधिग्रहित करना था। जबकि देखा यह गया कि 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 491.50 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध 68 प्रतिशत की बचत के साथ ₹ 305.32 करोड़ का व्यय हुआ।

मण्डोली, नरेला, बपरोला एवं घिटरनी में निर्माण के लिए नई जेलों का प्रस्ताव दिया गया (जनवरी 1981)। जबकि निधि उपलब्ध होने के बावजूद अगस्त 2014 तक 33 वर्ष तक की लम्बी अवधि बीतने के बाद भी भूमि अधिग्रहण में देरी/न होने के कारण (नरेला, बपरोला, घिटरनी), विचारधाराओं, बनावट एवं प्रस्तावित आवश्यकताओं (मण्डोली) में बार-बार बदलाव के कारण उनमें से किसी का भी निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए अत्यधिक भीड़ की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही।

महानिदेशक (कारागार) ने समाप्ति सम्मेलन (मार्च 2015) के दौरान नई जेलों के निर्माण में शीघ्रता दिखाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि अन्य एजेंसियाँ, जैसे भू.अ.प., दि.वि. प्रा. एवं लो.नि.वि. इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। हालांकि तथ्य यही है कि पिछले प्रतिवेदन में इंगित होने के बावजूद जेलों में भारी भीड़ थी।

2-2-4-2 दंडन; का ds fy, Hkkstu dk i ko/kku

दिल्ली कारागार नियमावली (कैदी स्थानांतरण, भोजन, कपड़े एवं सफाई) 1988 के नियम 74 के अनुसार महानिदेशक (कारागार) दिल्ली प्रशासन की पूर्व सहमति के साथ प्रत्येक श्रेणी के कैदी को प्रदान की जाने वाली खुराक का मापदण्ड निश्चित करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कारागार विभाग के अभिलेखों में प्रदान की गई खुराक एवं उसके हिसाब में निम्नवर्णित अनियमितताएँ थीं :

(i) U; k; ky; ys tk, x; s दंडन; का ध [kjkd dh xj dVks`h% जिस जेल के कैदियों को जिस दिन न्यायालय में पेश करना होता था संबंधित जेल के लंगर गोदाम का दोपहर के भोजन एवं शाम की चाय का कच्चा माल अनुपातिक रूप में कम करना आवश्यक था। लंगर गोदाम एवं 2009-14 में प्रतिवर्ष के मार्च महीने के दैनिक खुराक पत्र के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि जेल सं. 1, 3 एवं जिला जेल रोहिणी में कोर्ट ले जाये गये कैदियों से संबंधित कच्चा माल कम नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की खपत की 6196 किलो सब्जियाँ, 640.08 किलो चायपत्ती, 1068 लीटर दूध एवं 534.08 किलोग्राम चीनी का अधिक आकलन हुआ।

18 से 62 प्रतिशत तक चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की कमी थी। अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन, एण्डोस्कोपी, ईकोकार्डियोग्राफ, 24 घंटे कार्यरत जीव रसायन, सूक्ष्म प्राणी विज्ञान एवं रोग लक्षण विज्ञान प्रयोगशाला, शल्य चिकित्सक से लैस पूर्ण सुसज्जित आपरेशन कक्ष, जैसी सुविधाओं का अभाव था।

परिणामस्वरूप अस्पताल ओ.पी.डी. तक के लिए कैदियों को बाहरी अस्पताल में भेजने के लिए विवश था। 2009-14 के दौरान 93224 मौकों पर कैदी बाहरी अस्पतालों में भेजे गये, इनमें से 77232 मामले कुल भेजे गए मामलों का 82 प्रतिशत बाह्य रोगी विभाग में चिकित्सा के लिए भेजे गये। इन मामलों में एम्बुलेंस सशस्त्र मार्गरक्षक भी सम्मिलित थे जिसकी वजह से अतिरिक्त खर्च एवं सुरक्षा जोखिम दोनों बढ़े।

आगे रोगियों के चिकित्सा अभिलेखों/प्रतिवेदनों को रखने की उचित प्रणाली नहीं थी। चिकित्सा अभिलेख थैलों में पैक थे जिसके कारण किसी रोगी के आवश्यक अभिलेखों को शीघ्र ढूँढना असम्भव हो जाता है।

महानिदेशक (कारागार) का कथन (मार्च 2015) है कि केन्द्रीय कारागार अस्पताल प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहा है। जवाब लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करता है।

2-2-5 दफन; कां दक | दकक, आ इ पुकक

कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास तथा उन्हें विभिन्न कौशल सिखाने के लिए जिससे वे जेल से रिहाई पर अपनी आजीविका कमा सके, दिल्ली कारागार बड़ईगिरी, रासायनिक, कागज, बुनाई, सिलाई, बेकरी स्कूल, प्रसाधन एवं कपड़ा देखभाल उत्पाद, इत्यादि जैसे विभिन्न कारखाना इकाइयाँ जेल परिसर के अन्दर चलाता है।

लेखापरीक्षा ने इन सुधार एवं पुनर्वास की प्रक्रियाओं के प्रबंधन में विभिन्न अनियमितताएँ पायीं जिनका विवरण आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

2-2-5-1 QFDV, कां दक इ त ककल उ

फैक्ट्री केन्द्रीय कारागार-2 तिहाड़ जेल के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं :

(i) QDVh LVkQ dh deh% फैक्ट्री स्टाफ की कमी के कारण बड़ईगिरी, रसायन, सिलाई एवं कागज फैक्ट्री इकाइयाँ कैदियों एवं गैर तकनीकी स्टाफ द्वारा स्वयं किसी मार्ग दर्शन के बिना चलाई जा रही थी।

महानिदेशक (कारावास) का कथन (मार्च 2015) है कि समाप्ति सम्मेलन में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यमिक उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों से कैदियों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी स्टाफ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ii) [kkrkā dk xj] fuekZ k% जेल-2 में कारखानों के संचालन के लिए न तो अंतिम लेखा (प्राप्ति व भुगतान खाता, आय व व्यय खाता और बैलेंस शीट) और न ही प्रोफार्मा खाते बनाए जा रहे थे, जिसमें प्रारंभिक जमा, शेष जमा, माल की खरीद व बिक्री दर्शाई जाती है। उचित अभिलेखों की गैर मौजूदगी में लेखापरीक्षा कच्चे माल के शेष भंडारण एवं तैयार

व आंशिक तैयार माल के समायोजन का सत्यापन नहीं कर सका।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि आधारभूत अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा था और अपव्यय अधिक मात्रा में है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरिव्यय प्रभार की गणना करने के लिए कारखानों के पास कच्चे माल व अन्य व्यय की यूनिट-वार क्रय के आँकड़े नहीं थे। इसके अलावा उत्तर के सत्यापन के दौरान शेष माल में अंतर में समाधान के समर्थन में कोई भी रिकॉर्ड लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(iii) यकखर फु/कक.क दक खर रजहक वि उकुस दस दक.क उद्ल कु% अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मिरंडी लकड़ी के डूअल डेस्क को छोड़कर, सभी वस्तुओं का लागत निर्धारण श्रम लागत को जोड़कर और फिर उत्पादन संबंधी उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय और आकस्मिकता उपरिव्यय प्रभारित करके किया गया था। हालांकि मिरंडी लकड़ी के डूअल डेस्क के मामले में विभाग ने लागत निर्धारण का एक अलग तरीका अपनाया। इस तरीके के तहत डेस्क की कीमत ₹ 54.13 से ₹ 375 तक प्रति डेस्क कम हो गई। वर्ष 2009-14 के दौरान 230048 डूअल डेस्क कम दरों पर सरकारी विभागों को बेचे गए जिसके परिणामस्वरूप जेल को ₹ 5.41 करोड़ का नुकसान हुआ।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में (मार्च 2015) कहा कि डूअल डेस्क का ऑर्डर शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से एक थोक क्रयादेश था। कारागार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के लिए उपयुक्त लागत को तय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लागत निर्धारण न लाभ न हानि के आधार पर किया गया और उपरिव्ययों में शामिल कारकों को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

(iv) वकि र्दक खज & l R; ki u% दिल्ली जेल नियमावली के पैरा 91 में यह अधिदेश है कि प्रत्येक वस्तु जो जेल के अन्दर या बाहर से हो कर गुजरती है और सभी सामान, उपकरण, दुकानों या अन्य वस्तुओं का पर्याप्त विवरण जैसे नाम, संख्या या वजन आदि और यथावश्यक ऐसे अन्य ब्यौरे यथास्थिति दर्ज किये जाने चाहिए।

कारखाने और मुख्य स्टोर के लिए आपूर्तियों के चालानों की जाँच में पता चला कि सामग्री की मात्रा, ट्रक नम्बर या जेल कारखाने में माल पहुँचाने में परिवहन के साधन का चालानों में उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा में इस विवरण का रजिस्टर-16ए में से जाँच नहीं की जा सकी जिसका रखरखाव जेल के द्वार पर जेल अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि सभी चालानों में ट्रक नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी रखना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

(v) ₹ 3-78 djkm+dk ifjgk; l0; ; % जेल विभाग ने दूसरे विनिर्देशों¹⁷ की मिरंडी लकड़ी सहित विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए द्वि-बोली प्रणाली में ई-निविदाओं (नवम्बर 2010) को आमंत्रण दिया था। कारागार विभाग ने इन मदों की आपूर्ति करने के लिए सबसे कम

¹⁷(i) मिरंडी लकड़ी की आपूर्ति (सूखी सिल्ली) – 10000 घन फुट (6' या 3'x11''x 9'') (ii) मिरंडी लकड़ी के 1,00,000 पट्टे (3'x 11''x 1''), और (iii) 550 किलो प्रति घन फुट के घनत्व के साथ मिरंडी लकड़ी के 3,00,000 पट्टे (3'x 9''x 1'')।

बोली लगाने वाले बोलीकर्ता मैसर्स जगदम्बा सेल्स को यह आर्डर सौंपा। हालांकि, फर्म ने लकड़ी के लिए प्रतिभूति जमा व समझौता पेश करने से इस दलील पर मना कर दिया कि निविदा में उसने 3 फुट की लंबाई या बराबर गुणकों में सिल्ली/तख्ते आपूर्ति करने के लिए उद्धृत किया था जबकि निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) एवं उसके बाद स्वीकृति पत्र में तीन/ छः फीट लम्बाई की सिल्ली एवं तीन फीट लम्बे तख्ते उद्धृत थे। नतीजतन सम्पूर्ण निविदा निरस्त की गई एवं जेल विभाग ने कम्पनी द्वारा जमा की गई ₹ 35.85 लाख की ईएमडी को जब्त कर लिया।

जिन वस्तुओं के लिए पिछली निविदा सूचना में मैसर्स जगदम्बा सेल्स निम्नतम बोलीकर्ता था, उनके लिए जुलाई 2011 में निविदाओं को लकड़ी सहित पुनरामंत्रण किया गया। नई निविदा आमंत्रण सूचना में विभाग ने आवश्यक विनिर्देशों को छः/नौ फीट लम्बाई की सिल्ली और तीन फीट लम्बे तख्ते या उसके गुणांक जो पहली बोली में मैसर्स जगदम्बा सेल्स द्वारा प्रस्तुत किये गये, के जैसे थे। नई निविदा में मैसर्स डाइनेस्टी मिरंडी लकड़ी आपूर्ति के लिए सबसे निम्न बोलीकर्ता था, जिसे आर्डर प्रस्तुत किया गया।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि पुनर्निविदा के बाद मैसर्स डाइनेस्टी से प्राप्त लकड़ी की कुल कीमत विभाग द्वारा मैसर्स जगदम्बा की बोली स्वीकार करने पर जो कीमत होती, उससे 67 प्रतिशत ऊपर थी। इस तरह विनिर्देशों में बदलाव करके मैसर्स जगदम्बा की बोली को निरस्त करने एवं उन्हीं विनिर्देशों की लकड़ी मैसर्स डाइनेस्टी से पुनः निविदा निकालने के बाद प्राप्त करने के कारण राजस्व पर ₹ 3.66¹⁸ करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अन्तर, मैसर्स जगदम्बा द्वारा प्रस्तुत कीमत एवं वह कीमत जिस पर सामान खरीदा गया, के बीच का अन्तर था। आगे जाँच में पाया गया कि मैसर्स जगदम्बा सेल्स के ईएमडी की जब्ती का मामला मध्यस्थ को सौंपा गया था जिन्होंने निर्णय कम्पनी के पक्ष में लिया। जेल विभाग द्वारा ₹ 12.19 लाख के ब्याज के साथ ₹ 35.85 लाख की ईएमडी को लौटाना पड़ा। जिस कारण विभाग को लकड़ी जुटाने में ₹ 3.78 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय करना पड़ा। महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि लेखापरीक्षा द्वारा लगाया गया नुकसान का अनुमान सही नहीं था क्योंकि प्रचलित बाज़ार दरों के आधार पर निविदा प्रदान की गई थी और पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और बोली लगाने की निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। हालांकि जवाब समान विनिर्देशों एवं ऊँची कीमतों पर लकड़ी उपलब्ध कराने की पुष्टि नहीं करता है।

2-2-5-2 i hfMf dY; k.k fuf/k

दिल्ली कारागार (कैदी स्थानांतरण, मजदूर एवं जेल उद्योग, खाद्य, स्वच्छता एवं वस्तु) नियमावली 1998 के नियम 39-ए के अनुसार प्रत्येक जेल को एक "पीड़ित कल्याण निधि" (पी.क.नि.) का निर्माण करना है जिसमें कैदियों द्वारा अर्जित पगार की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होती है जिससे अपराध से पीड़ित या उनके वैध उत्तराधिकारियों (मृत्यु की स्थिति में) को मुआवज़े का भुगतान किया जा सके। हालांकि दस में से दो जेलों (जेल

¹⁸(10000 × 1050 - 10000 × 595) = ₹ 45.50 लाख, (22916 × 1025 - 1,00,000 × 138) = ₹ 96.89 लाख और (56250 × 1010 - 3,00,000 × 115) = ₹ 2.23 करोड़। कुल = ₹ 3.66 करोड़

संख्या 8 एवं 9) ने पी.क.नि. का रखरखाव नहीं किया गया। पीड़ित कल्याण समिति द्वारा मुआवजे की माँग पर विचार एवं अनुमोदन किया जाता है। पीड़ित कल्याण समिति की आठ बैठकों में केवल 172 दावों पर विचार हुआ एवं 137 दावे मुख्यतः जेल सं. 2 से संबंधित, जुलाई 2010 से जून 2013 तक की अवधि के लिए समिति द्वारा अनुमोदित किये गये।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है और कहा (मार्च 2015) है कि कारागार प्राधिकारियों ने वांछनीय पीड़ितों की पहचान के मामले को पुलिस विभाग एवं कल्याण अधिकारियों/गैर सरकारी संस्था की भागीदारी माध्यम से तथा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उठाया है।

2-2-5-3 दंडी दय; क.क दक्षक दक इत्कलु

कैदी कल्याण कोष का उद्देश्य जेल में कैदियों को उनके कारावास के दौरान विभिन्न प्रकार की सामूहिक कल्याण गतिविधियों जैसे शिक्षा, मनोरंजन, व्यवसाय आदि के लिए सहायता प्रदान करना एवं योग्य कैदियों को उनकी रिहाई के बाद या तो अनुदान के रूप में नकद या व्यापार के लिए उपकरण या कपड़ों के रूप में सहायता प्रदान करना है। इस कोष के लिए निधि कैदियों, सार्वजनिक दान या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से स्वैच्छिक दान से संचित की जानी थी।

(i) दंडी दय; क.क दक्षक c<kus ds Ókrka dk vuf/k-r । d kks/ku% लेखापरीक्षा जाँच में यह देखा गया कि विभाग ने 'कैदीन से लाभ' को शामिल करके कैदी कल्याण कोष बढ़ाने के स्रोतों में संशोधन (सितंबर 2011) किया और प्रशासन के अनुमोदन के बिना सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा 'प्रशासक' से बदल कर 'कार्यकारी समिति' कर दी।

कैदी कल्याण कोष अधीक्षक की अध्यक्षता में जेल कर्मचारियों और कैदियों को मिलाकर बनी कार्यकारी समिति द्वारा प्रशासित किया जाता है। जहाँ समिति को प्रत्येक माह में एक बार मिलना था वहाँ वर्ष 2009-14 के दौरान यह देखा गया कि समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी और मामलों पर निर्णय अधीक्षक/महानिदेशक (कारागार) के स्तर पर लिया गया था।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2015) कि विभाग द्वारा कैदी कल्याण कोष से कैदीन के कार्यकलापों को अलग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। प्रत्येक जेल (कारागार) द्वारा कैदी कल्याण कोष की कार्यकारी समिति की समयोचित बैठकों का आयोजन करने के लिए निर्देशों को जारी किया गया।

(ii) [kkarka dk j [kj [kko vkj vkarfjd ys[kki j h{kk% दिल्ली कारागार (कैदी कल्याण कोष, अपील, याचिका, साक्षात्कार और संप्रेषण) नियम, 1988 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि कैदी कल्याण कोष के खातों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षा निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा जाँच की जाएगी। हालांकि यह पाया गया कि जेल 1, 2, 3, तथा जिला जेल रोहिणी में कैदी कल्याण कोष के अंतिम लेखे केवल 2012-13 तक और जेल 6 में 2010-11 तक संकलित किए गए थे। केन्द्रीय जेल-2 के लेखों को छोड़ कर जिनकी जाँच वर्ष 2012-13 तक की जा चुकी है, आंतरिक लेखापरीक्षक निदेशालय

द्वारा लेखों की जाँच वर्ष 2009-14 की अवधि में नहीं की गई है।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि सभी जेलों के कैदी कल्याण कोष की लेखापरीक्षा के मामले पर लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ चर्चा की जाएगी। हालांकि उत्तर में सभी जेलों द्वारा पीडब्ल्यूएफ के खातों के रखरखाव में बकाया राशि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

(iii) अभिलेखों की जाँच ने दर्शाया कि ऐसे खर्च जो कोष के उद्देश्यों के अनुसार नहीं थे, कैदी कल्याण कोष में दर्ज किए गए, जैसे गैर सरकारी संगठनों का परिवहन व्यय, मरम्मत व रखरखाव, अन्य जेलों/ कर्मचारियों/ पीडब्ल्यूडी या जिला सशस्त्र पुलिस के अधिकारियों का अग्रिम, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स/ पैरा-मेडिकल स्टाफ को वेतन, योग, कंप्यूटर, प्रयोगशाला तकनीशियन, कार्यालय खर्च आदि कुछ उदाहरण हैं :

- सितम्बर 2013 में जेल मुख्यालय के गेट नं 1 पर फव्वारे के निर्माण कार्य के लिए ₹ 3 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया था।
- जेल मंत्रालय के विभिन्न स्नानागारों की मरम्मत और रसोईघर के काम के लिए ₹ 22.17 लाख का भुगतान किया गया था, और
- ₹ 14.42 लाख की एक टाटा स्टार बस खरीदी गई थी।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि जेल अधीक्षकों को निर्धारित उद्देश्यों के लिए सख्ती से निधि का उपयोग करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके थे।

(iv) जेलों में दो प्रकार की कैदीनों का संचालन हो रहा है- तरल और शुष्क। लेखापरीक्षा जाँच में यह देखा गया कि इन कैदीनों के संचालन के संबंध में दिल्ली जेल नियमावली में न ही कोई प्रावधान था और न ही इन्हें संचालित करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के गृह/वित्त विभाग से कोई स्वीकृति ली गई थी। दिल्ली वैट अधिनियम (चतुर्थ अध्याय) की धारा 18(2) में यह प्रावधान है कि विक्रेता की कर योग्य राशि ₹ 10 लाख होगी (28 मार्च 2013 से संशोधित राशि ₹ 20 लाख)। तिहाड़ जेल परिसर और रोहिणी जेल में संचालित प्रत्येक कैदीन का वार्षिक कारोबार ₹ 20 लाख से अधिक पाया गया, लेकिन इनमें से कोई भी अधिनियम के तहत व्यापार व कर विभाग से पंजीकृत नहीं था।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि विभाग के पास इस संबंध में सरकार के अनुमोदन से संबंधित विवरण देने के लिए दस्तावेज़/फाईल नहीं थे। लेकिन, व्यापार एवं कर विभाग से पंजीकरण का मामला विचाराधीन था।

2-2-5-4 depkjh dY; k.k dk'sk dk vuf/k-r l xg , oa l pkyu

विभाग द्वारा केन्द्रीय जेल तिहाड़ के सीपीआरओ गेट संख्या 3 व 4 और दिल्ली जेल रोहिणी के सीपीआरओ गेट पर कैदियों के रिश्तेदारों और मुलाकातियों के मोबाइल फोन व अन्य वस्तुओं को ₹ पाँच प्रति आइटम की दर से जमा करने के लिए पैसे एकत्र किए जा रहे थे और एकत्र की गई राशि कर्मचारी कल्याण कोष में जमा की गई। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दिल्ली जेल रोहिणी में मार्च 2007 से ₹ 23.21 लाख और तिहाड़

जेल में जुलाई 2009 से ₹ 32.19 लाख एकत्र किए गए थे। न तो कर्मचारी कल्याण कोष के रखरखाव के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन मिला था और न ही मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं को जमा करने के लिए पैसे चार्ज करने और उसे कर्मचारी कल्याण कोष में जमा करने के लिए कोई भी कार्यकारी आदेश था।

महानिदेशक (कारागार) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2015) कि सीपीआरओ 1, सीपीआरओ 4 एवं डीजेआर में मुलाकातियों से शुल्क की वसूली की मौजूदा प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे।

2-2-5-5 u'kk&efä dllæ

विभाग ने मादक द्रव्यों के उपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए यूएनओडीसी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से जेल-3 में 120 बिस्तरों के ओपिओड प्रतिस्थापन उपचार का उद्घाटन किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाई गई कमियाँ निम्न प्रकार हैं :

(i) व्यक्ति वृत्त, मरीजों को उपलब्ध कराई गई काउंसलिंग का विवरण, पूरे उपचार कार्यक्रम में रोगी की भागीदारी और सुधार के संबंध में जानकारी, प्रतिक्रिया एवं सेवामुक्ति परामर्श प्रपत्र रिकॉर्ड में पाए नहीं गए। दूसरे नशा-मुक्ति केन्द्र में मरीजों को दवाओं के वितरण और हर दवा का हिसाब रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

(ii) आवश्यक दवाएँ एक महीने से लेकर 34 महीनों की अवधि तक के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

जवाब में महानिदेशक (कारागार) का कथन है कि (मार्च 2015) दस्तावेज एवं पंजीकरण जेल अस्पताल नीति के अनुसार रखे जाते हैं। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जवाबों के सत्यापन के दौरान जेल अस्पताल नीति की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा में प्रदान नहीं की गई थी। आगे लेखापरीक्षा में उठाये गये मामलों पर कोई जवाब नहीं था।

2-2-6 ; kst ukvka vkj i fj ; kst ukvka dk dk; kllö; u

2-2-6-1 l hl hVhoh i z.kkyh dh LFkki uk ea njh vkj fu; æ.k ea deh

सुरक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर कैदियों, मुलाकातियों और जेल कर्मचारियों की गतिविधियों पर चौबीस घण्टे नज़र रखने के लिए फरवरी 2007 में जेल विभाग द्वारा सीसीटीवी प्रणाली के प्रतिष्ठापन की पहल की गई थी। ₹ 2.63 करोड़ की लागत में केन्द्रीय जेल तिहाड़ तथा जिला जेल रोहिणी में 258 कैमरों के साथ सीसीटीवी प्रणाली के प्रतिष्ठापन का पहला चरण मई 2008 में पूरा किया गया। द्वितीय चरण जो कि 233 कैमरों के लिए सितम्बर 2009 में शुरू किया गया था तथा जिसकी निविदा लागत ₹ 2.81 करोड़ थी मार्च 2015 तक प्रगति पर था। निम्नलिखित प्रेक्षित किया गया :

(i) जेल विभाग ने 20 मदों पर चार प्रतिशत के बजाय 12.5 प्रतिशत की दर से वैट/ बिक्री कर के कारण पहले चरण के विक्रेता को ₹ 9.26 लाख का अतिरिक्त भुगतान (मार्च 2008) किया।

(ii) पहला चरण 212 दिनों की देरी के साथ (मई 2008) पूरा हुआ था और द्वितीय चरण

8 जनवरी 2013 तक पूरा किया जाना था लेकिन यह (मार्च 2015) प्रगति में था। विभाग ने अनुबंधों की शर्तों के अनुसार देरी के लिए ₹ 24.23 लाख¹⁹ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए कोई पहल नहीं की थी।

(iii) द्वितीय चरण के लिए निविदा आमंत्रित करते समय विभाग ने प्रमुख सचिव, गृह द्वारा की गई स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद काम के दायरे में नई सीसीटीवी प्रणाली के उचित व सहज एकीकरण के प्रावधानों को शामिल नहीं किया था।

(iv) दिए गए प्रशिक्षण के कार्यक्रम से संबंधित और सीसीटीवी प्रणाली संचालित करने के लिए प्रशिक्षित जेल कर्मचारियों की संख्या का कोई भी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जेल मुख्यालय और जेलों के सभी 12 सीसीटीवी मुख्य और उप-नियंत्रण कक्ष ज्यादातर खाली रहते थे और समर्पित कर्मचारियों द्वारा 24 घंटे निगरानी भी नहीं की जा रही थी।

इस प्रकार परियोजना के पूरा होने में देरी और जेल प्रशासन की ओर से निगरानी की कमी के कारण कैदियों की सुरक्षा एवं सुरक्षित अभिरक्षा से समझौता करना पड़ा।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि फेज-I के प्रतिष्ठापन में देरी के लिए परिनिर्धारित हर्जाना वसूल किया जा चुका था और फेज-II में देरी के लिए परिनिर्धारित हर्जाना वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया गया था। सीएसटी मामले पर व्यापार और कर विभाग से चर्चा की जा रही थी। यह भी कहा गया कि स्टाफ की कमी के कारण उप-नियंत्रण कक्षों को चौबीस घंटे नहीं चलाया जा रहा था, हालांकि मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष टीएसपी के अधिकारियों की सहायता से चलाया जाता है।

2-2-6-2 ekckby Oku tēj dk vl rks'ktud fu"iknu

फोन जैमर प्रतिबंधित मद हैं तथा केवल मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) से ही प्राप्त किये जा सकते हैं। 2008-14 के दौरान मैसर्स बीईएल ने ₹ 5.81 करोड़ में दिल्ली कारागार के 10 जेलों में 32 फोन जैमर स्थापित किए। लेखापरीक्षा जाँच में यह पाया गया कि प्रत्येक जेल में आवश्यक जैमर की संख्या सुनिश्चित करने तथा क्या वह उपकरण आवश्यकता को पूरा करेगा, इससे संबंधित कोई व्यवहार्यता अध्ययन या क्षेत्र परीक्षण नहीं किया गया। मई 2014 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को रिपोर्टिंग करते समय विभाग ने स्पष्ट किया कि जैमरों का प्रदर्शन असंतोषजनक था क्योंकि जहाँ जैमर स्थापित किए गए थे, उसके आसपास के क्षेत्र में भी मोबाइल फोन काम कर रहे थे। इस प्रकार ₹ 5.81 करोड़ के निवेश के बावजूद, सुरक्षा पर समझौता होने के अलावा, जेल परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के वांछित परिणाम हासिल नहीं हुए।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि कारागार विभाग द्वारा सबसे अच्छी उपलब्ध तकनीक का चयन किया गया था हालांकि जैमरों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा था और मामला अक्टूबर 2013 में मैसर्स बी.ई.एल. के साथ उठाया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा

¹⁹ ₹12.45 लाख (सविदा की कुल कीमत का 5% अर्थात् ₹ 24900111) + ₹ 11.78 लाख (₹ 23562747 का 5%)

टिप्पणी की पुष्टि करता है परन्तु इसमें मैसर्स बी.ई.एल. द्वारा किए गए प्रणाली की समीक्षा की अनुवर्ती कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा गया था।

2-2-6-3 ऑफिस; कस डक्यूडि। x iz kkyh dk de mi ; कस

जनवरी 2001 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित कारणों से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के प्रावधानों में संशोधन के द्वारा कैदियों को न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली के माध्यम से पेश करने की पहल की- (अ) जिला सशस्त्र पुलिस (डीएपी) कर्मियों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता से मुक्त होने के लिए तथा इसके प्रभाव से ₹ 4.50 करोड़ की वार्षिक बचत करने के लिए, जहाँ इन कर्मियों को (कुल 1200 से 1400 में से) 350 से 400 कैदियों की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत रिमांड के विस्तार के लिए न्यायालय तक लाने व न्यायालय से ले जाने में अनुरक्षण में दैनिक रूप से लगे रहना पड़ता था। (ब) कैदियों की सुरक्षा बढ़ाने और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए।

वर्ष 2009-14 के दौरान जेल 1, 2, 4, 5, 6 व डीजीआर के अभिलेखों की जाँच से यह पता चला है कि कुल पेशी में से वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली द्वारा कैदियों की पेशी 7 से 10 प्रतिशत के बीच रही जो कि अपेक्षित 30 प्रतिशत से काफी नीचे रही।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि जेल प्राधिकारी किसी भी कैदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से केवल न्यायालयों के आदेश पर ही, न कि अपने दम पर, न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहाँ न्यायालय के आदेश के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैदियों को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका।

2-2-6-4 लेकव डकमि। iz kkyh

कैदीन में व्यापार की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत और कारगर बनाने के लिए मार्च 2012 में स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू की गई। प्रणाली के अधिष्ठापन के लिए व्यय कैदी कल्याण कोष से किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने कोडल औपचारिकताओं का पालन किए बिना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह/आईटी/वित्त विभागों के पूर्व अनुमोदन के बिना नामांकन के आधार पर मैसर्स वन कार्ड सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का 'स्मार्ट ई-पर्स कार्ड फ्रेमवर्क सिस्टम' के कार्यान्वयन के लिए चयन कर लिया। इसके अलावा, प्रस्तावित प्रणाली में प्रत्येक कैदी के लिए कार्डों को लेन-देन पासवर्ड से सुरक्षित किया जाना था, लेकिन यह सुविधा स्मार्ट कार्डों में उपलब्ध नहीं थी। नतीजतन एक खोया या मिसप्लेस्ड कार्ड किसी अन्य कैदी द्वारा आसानी से किसी भी प्रतिबंध के बिना इस्तेमाल किया जा सकता था।

महानिदेशक (कारागार) ने समाप्ति सम्मेलन में कहा कि कैदियों द्वारा हैंड हेल्ड डिवाइस के दुरुपयोग से बचने के लिए स्मार्ट कार्डों में ट्रांजैक्शन पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पासवर्ड की अनुपस्थिति में खोए हुए कार्डों के दुरुपयोग की संभावना होती है।

2-2-7 fofo/k

2-2-7-1 frgkM+ tsy ifj l j dh ejEer vk\$ j [kj [kko

लो.नि.वि. के सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी डिवीजन तिहाड़ जेल परिसर के निर्माण व मरम्मत के कार्य पर ध्यान देते हैं। जेल विभाग ने कार्य के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की मंजूरी दी, परन्तु उचित निगरानी विभाग द्वारा नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रेक्षण किये :

- dk; k\$ ds fu"i knu ea njh% विद्युत डिविजन एम-151/एम-353 और सिविल डिविजन के एम-132/ एम-332 के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पता चला कि के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली की धारा 29.1, जिसमें निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न करने का प्रावधान है, का पालन नहीं किया गया था क्योंकि निर्माण एवं रखरखाव के कार्यों में छः से 22 महीनों की देरी हुई।
- dk; k\$ ds fy, , , , M bZ l l svf/kd Hk\$ rku% विद्युत एवं सिविल डिविजनों के अभिलेखों की निरीक्षण जाँच में यह पाया गया कि 24 मामलों में के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जेल विभाग से प्राप्त एए एंड ईएस की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक में ठेकेदारों को भुगतान किया गया।
- ykd fuekZk foHkkx l s iklr l kexh dk x\$ ys[kk&tks[kk% जेल अधिकारियों द्वारा पीडब्ल्यूडी से जेल परिसर की मामूली मरम्मत करने और रखरखाव के लिए सामग्री स्वयं प्राप्त की गई थी। अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2009-14 के दौरान जेलों में सिविल डिविजन एम-132 द्वारा ₹ 3.36 करोड़ की विभिन्न सामग्री जैसे सीमेंट, ईट, रेत, सिंथेटिक एनामेल पेंट आदि की आपूर्ति की गई। हालांकि सामग्री की प्राप्ति या खपत दोनों में से किसी का भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जिससे उनका अन्त उपयोग सत्यापित नहीं किया जा सका।

महानिदेशक (कारागार) ने अपने उत्तर में कहा (मार्च 2015) कि उचित रिकॉर्डों का रखरखाव किया जा रहा था। हालांकि सत्यापन होने पर यह देखा गया कि रिकॉर्ड पूरे नहीं थे जैसा कि कारागार द्वारा दावा किया गया था।

2-2-7-2 ekuo l d k/ku i c/ku

31 जनवरी 2014 को विभाग में दी गई पदासीन कर्मचारी एवं संस्वीकृत संख्या नीचे rkfydk 2-2-2 में निम्न प्रकार है :

रकfydk 2-2-2 % l Loh-r l d; k , oa i nkl hu depkjh

depkjh i dklj	l Loh-r l d; k	i nkl hu depkjh	fjfa; k;	fjfa; k; i fr'kr
संवर्ग कर्मचारी	1357	982	375	27.63
चिकित्सक	110	64	46	41.82
पराचिकित्सक	108	88	20	18.52
श्रेणी IV (चिकित्सा)	81	31	50	61.73
तकनीकी कर्मचारी	10	0	10	100.00
वायरलैस कर्मचारी	05	0	05	100.00
सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी	03	03	0	0.00
लिपिक वर्गीय कर्मचारी	154	109	45	29.22
फैक्ट्री कर्मचारी	08	03	05	62.50
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	116	72	44	37.93

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि कल्याण अधिकारी, सहायक संवीक्षक, जेल अधीक्षक एवं अधीक्षिका के संवर्गों में रिक्तियां 31 से 44 प्रतिशत थी। डाक्टरों, पराचिकित्सा, मंत्रालयी, फैक्ट्री एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में रिक्तियाँ 18 से 63 प्रतिशत थीं। अध्यापक एवं वायरलैस कर्मचारी संवर्ग के सभी पद रिक्त थे।

महानिदेशक (कारागार) ने (मार्च 2015) विभिन्न संवर्गों में रिक्ति की स्थिति स्वीकार की और डीएसएसएसबी द्वारा सीधी भर्ती के पदों के नहीं भरे जाने को तथा पात्र अधिकारियों की गैर उपलब्धता/संबंधित विभागों द्वारा उनकी गैर नियुक्ति को जिम्मेदार ठहराया।

2-2-7-3 o\$kkfud vk\$ vkrfjd ys[kki jh{kk

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली धोखाधड़ी, दुरुपयोग और कुप्रबंधन के खिलाफ कानूनों, नियमों, विनियमों और आदेशों, सुरक्षा उपायों का पालन करने का उचित आश्वासन प्रदान करती है और उच्च आधिकारियों के लिए विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंध सूचना प्रदान करती है।

दिल्ली कारागार के संबंध में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा की गई सांविधिक लेखापरीक्षा जाँच के 26 पैरों सहित छः निरीक्षण रिपोर्ट 31 मार्च 2014 तक अप्राप्त थी। इससे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र और समय पर अनुपालन के लिए एक कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत मिला। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय ने वर्ष 2010-14 के दौरान विभाग की कोई भी लेखापरीक्षा जाँच आयोजित नहीं की थी।

महानिदेशक (कारागार) ने कहा (मार्च 2015) कि शेष पैरा के निपटान हेतु लेखापरीक्षा के साथ मुद्दे को यथासमय उठाया जाएगा। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में यह कहा गया कि मामला आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ उठाया गया था।

2-2-8 fu"d"kl

जेलों में भीड़-भाड़ थी जिसके मुख्य कारण अतिरिक्त जेल भवनों/ बैरकों का गैर निर्माण, निर्माण में देरी थी। विभाग सभी संवर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी झेल रहा था। कारखानों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण जेल प्रशासन की कैदियों के भविष्य में पुनर्स्थापन के लिए उनमें आवश्यक प्रभावशाली दक्षता विकसित करने की क्षमता के साथ समझौता हुआ। सुरक्षा पर विशाल खर्च होने के बावजूद छः जेलों की नमूना जाँच में कैदियों के पास प्रतिबंधित वस्तुएँ रखने के मामले पाये गये। निगरानी कर्मचारियों की तैनाती एवं कैदियों के बीच असंगत अनुपात एक सुरक्षा जोखिम था। जेल अस्पताल में पर्याप्त कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी थी एवं बाह्य अस्पतालों को भेजे गये अधिकांश मामले ओ.पी.डी. चिकित्सा के थे। कारखाना ईकाईयाँ एवं कल्याण कोष वर्तमान प्रावधानों की पुष्टि के बिना चलाये जा रहे थे।

2-2-9 fl Qkfj' ka

जेल विभाग में निम्न पर विचार हो सकता है :

- (i) नई जेलों के निर्माण के लिए लंबित प्रस्तावों के शीघ्र प्रसंस्करण तथा निर्माणाधीन कार्य के लिए लो.नि.वि. और दि.वि.प्रा. के साथ घनिष्ठ तालमेल में तेजी लानी चाहिए,
- (ii) कैदियों की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर दिल्ली कारागार की संस्वीकृत संख्या का पुनरावलोकन होना चाहिए,
- (iii) फ़ैक्ट्री इकाई एवं कल्याण कोष से संबंधित अभिलेखों/खातों का उचित रख-रखाव, एवं
- (iv) जेल अस्पताल की अवसंरचना एवं सुविधाओं में सुधार होना चाहिए एवं पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारी तथा चिकित्सक तैनात होने चाहिए।

मामला दिसम्बर 2014 में सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अप्रैल 2015)।

I ekt dY; k.k foHkkx

2-3 v'kä 0; fä; ka ds dY; k.k gsrq ; kst uk, j

समाज कल्याण विभाग अशक्तता अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालय है और यह अशक्त व्यक्तियों (अ.व्य.) के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

fof'k"Vrk, j

- foHkkx us fnYyh ea fuokl djus okys v'kä 0; fä; ka dk foLrr MkVksd j [kus ds fy, ?kj&?kj tkdj dkbZ Lora= I o?k.k ugha fd; k] cFYd tux.kuk vk;dMka ij fuHkj jgkA bl us v'kä 0; fä; ka ds ekeyka dk I ek/kku djus gsrq jkT; v'kärk uhfr dks fodfl r ugha fd; ka
1/4i § kxkQ 2-3-2-1 rFkk 2-3-2-2½
- foHkkx ds ikl foYkh; ykHkka ds fy, mudh I rr ik=rk dks I fuf'Pkr djus gsrq ykHkkaFk; ka ds I R; ki u ds fy, dkbZ uhfr ugha FkA
1/4i § kxkQ 2-3-4-1½
- vk'kk fdj.k dkWlyDI] tks fd ekufI d : i I s fodyka 0; fä; ka ds fy, g§ vi uh 350 dh {kerk ds fo:) 970 fuokl ; ka I s vf/kHkkfjr g§ tcfD bl ds ikl 502 dh vko'; drk ds fo:) dpy 215 ns[k&Hkky djus okyk LVkQ gA
1/4i § kxkQ 2-3-5 (i) , oa (iii)½
- jkT; I ello; I febr , oa jkT; dk; Zdkjh I febr fofu/kkfjr cBdka dk vk; kstu fu; fer : i I s ugha dj jgs FkA jk-I -I - us uoEcj 2004 ea vi uh LFkki uk ds ckn I s fofu/kkfjr 20 cBdka ea I s dpy pkj cBdka dk vk; kstu fd; k vk§ jk-dk-I - us vf/kfu; e ds vllrxr fofu/kkfjr 40 cBdka ea I s dpy , d cBd dk vk; kstu fd; ka
1/4i § kxkQ 2-3-7-1½
- foHkkx fnYyh ea 52330 v'kä cPpka ds fy, 1250 dh {kerk okys dpy N% Ldnyka dks pykrk gA ; gk; rd fd ; s Ldny Hkh 50 प्रतिशत I s vfekd 'k§{kd LVkQ dh deh dk I keuk dj jgs FkA
1/4i § kxkQ 2-3-7-3½
- I jdkjh Hkouka , oa I koZtfud LFkkuka ea v'kä 0; fä; ka ds fy, I foèkkvka dh deh FkA
1/4i § kxkQ 2-3-7-6½

2-3-1 iLrkouk

संसद ने अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (अधिनियम) को अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से प्रभाव में

आया। बाद में, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिसम्बर 2001 में दिल्ली अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) नियम, 2001 को अधिसूचित किया। समाज कल्याण विभाग (विभाग) अशक्त व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

2-3-1-1 | ँBukRed <kpk

विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव है, जो एक निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, नौ उपनिदेशकों एवं 10 जिला अधिकारियों की सहायता से कार्य करता है। मंत्री (समाज कल्याण) की अध्यक्षता में राज्य समन्वय समिति अशक्त व्यक्तियों के नीतिगत मामलों की देखभाल करती है और राज्य कार्यकारी समिति समन्वय समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करती है। एक स्वतंत्र आयुक्त (अशक्तता) अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के वंचित से संबंधित शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के अलावा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली अ.जा./ अ.ज.जा./ अ.पि.व./अल्पसंख्यक/विकलांग वित्त एवं विकास निगम (निगम) अशक्त व्यक्तियों के लिए आर्थिक विकास क्रियाकलापों को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहन देने के लिए अर्थप्रबन्ध करता है।

2-3-1-2 ys[kki jh{kk ml's ;

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- नीति निर्धारण और अशक्त व्यक्तियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए उचित योजना प्रणाली अस्तित्व में थी।
- वित्तीय प्रबंधन दक्ष था।
- योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावी था, तथा
- अधिनियम के प्रावधानों को यथोचित लागू किया जा रहा था।

2-3-1-3 ys[kki jh{kk dk; l {ks= , oa dk; ; z kkyh

विभाग के मुख्यालय, कार्यालय आयुक्त (अशक्तता), जिला कार्यालयों एवं विभाग के द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के अभिलेखों की जाँच करते हुए 2009-14 की अवधि को सम्मिलित करने वाली निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2014 के दौरान आयोजित हुई। निगम के द्वारा अशक्त व्यक्तियों को बढ़ायी गई वित्तीय सहायता से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की गई। प्रवेश सम्मेलनों का आयोजन प्रधान सचिव, आयुक्त एवं निगम के प्रबंधक (वित्त) के साथ किया गया था (26 मई 2014, 2 जून 2014 एवं 13 जून 2014)। इस पर उनके दृष्टिकोण को जानने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा का मसौदा प्रतिवेदन सरकार को 9 अक्टूबर 2014 में जारी किया गया था। एक निर्गम सम्मेलन का आयोजन भी 5 मार्च 2015 को किया गया था, जिसमें निदेशक (समाज कल्याण) से मसौदा प्रतिवेदन पर सरकार से विचार भेजने का अनुरोध किया गया, हालाँकि, उनके जवाब प्रतीक्षित है (मार्च 2015)। उक्त विषय पर समीक्षा मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित किया गया (पूर्व प्रतिवेदन)।

2-3-1-4 ys[kki jh{kk eki n.M

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्णसहभागिता) अधिनियम, 1995,
- दिल्ली अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) नियम, 2001,
- विभाग की वार्षिक योजना एवं आयुक्त (अशक्तता) की वार्षिक रिपोर्ट, और
- सामान्य वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई नीतियों, निर्देश, आदेश एवं दिशा-निर्देश।

ys[kki jh{kk fu"d"kl

2-3-2 ; kst uk

2-3-2-1 v'kä 0; fä; ka dk l o[k.k u fd; k tkuk

2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या 167.53 लाख थी, जिसमें से 2.35 लाख व्यक्ति (1.40 प्रतिशत) एक अथवा अन्य प्रकार की अशक्तता से पीड़ित थे।

अशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों की 11 वीं, एवं 12 वीं राष्ट्रीय बैठक (जुलाई 2012 एवं अगस्त 2013) में विशिष्ट लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के यथार्थ लक्ष्यों के लिए विस्तृत डेटाबेस को सुनिश्चित करने हेतु समस्त राज्यों में प्रत्येक पाँच वर्ष में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने की सिफारिश की गई। अशक्तता प्रमाण-पत्रों के निर्गमन के संबंध में राज्यों का निष्पादन जनगणना आँकड़ों पर न होकर घर-घर जाकर सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए था। हालाँकि, विभाग ने कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण नहीं करवाया और अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु नीतियों एवं योजनाओं को बनाने के लिए जनगणना के आँकड़ों पर पूर्णतया निर्भर रहा जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में केवल एक ही बार हो सकता है।

विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2015) कि मापदण्ड जिस पर जनगणना आँकड़ा संग्रह किया गया, की जाँच की जायेगी एवं उसके बाद पुनरावृत्ति से बचने के लिए घर-घर जाकर सर्वे भी किया जाएगा।

2-3-2-2 jkT; v'kärk ulfr

अधिनियम की धारा 18(2)(ख) में यह अनुबंध है कि राज्य समन्वय समिति को अशक्त व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का निवारण करने हेतु एक राज्य नीति विकसित करनी चाहिए। हालाँकि, विभाग ने सितम्बर 2014 तक नीति को अंतिम रूप नहीं दिया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि आयुक्त (अशक्तता) के द्वारा अग्रेषित मसौदा नीति की जाँच चल रही है एवं जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

2-3-2-3 v'kä 0; fä; ka ds fy, chek ; kst uk

अधिनियम की धारा 67 में यह उपबंध है कि सरकार को अपने अशक्त कर्मचारियों के लाभ

के लिए बीमा योजना बनानी चाहिए। हालाँकि, सरकार ने इस संबंध में न तो कोई नीति बनाई थी और न ही उनके पास कोई योजना थी।

अपने उत्तर में, विभाग ने बीमा योजना को राज्य अशक्तता नीति में शामिल करने हेतु आश्वस्त किया (मार्च 2015)। तथ्य यह है कि पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित किये जाने के बावजूद, इस मामले का समाधान नहीं हुआ।

2-3-3 foYkh; iCdku

2009-14 के दौरान अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए वर्षवार बजट प्रावधान तथा विभाग द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार दिया गया है-

rkfydk 2-3-1 % v'kä 0; fä; k ds dY; k.k ds fy,
ctV vkç/uvkç okLrfod 0; ;

₹ djkm+e

o"kl	; kst uk				xç & ; kst uk			
	ctV vupku	l äkkf/kr vkç/uv	0; ;	cpr@ vfrfj ä	ctV vupku	l äkkf/kr vkç/uv	0; ;	cpr@ vfrfj ä
2009-10	5.50	9.48	9.10	0.38	14.01	13.05	11.73	1.32
2010-11	28.65	28.25	18.92	9.33	19.36	16.00	15.06	0.94
2011-12	30.45	34.67	28.38	6.29	15.90	17.06	15.32	1.75
2012-13	65.58	73.19	72.15	1.04	19.22	21.87	20.89	0.98
2013-14	95.20	98.36	91.58	6.78	25.94	25.61	21.66	3.95
dly	225.38	243.95	220.13	23.82	94.43	93.59	84.66	8.93

स्रोत:- समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

2009-14 की अवधि के लिए योजना में 9.76 प्रतिशत की बचत थी और गैर-योजना में 9.54 प्रतिशत की। उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2012-13 से बजट आबंटन में भारी वृद्धि हुई थी। वृद्धि के मुख्य कारण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, थे- (i) पाँच हाफ-वे होम का निर्माण (ii) वित्तीय सहायता में ₹ 1000 से ₹ 1500 तक प्रतिमाह की वृद्धि, और (iii) लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि।

2-3-3-1 dk; l dk xç & dk; kJo; u&f'k{kk l gk; d l kexh ds : i eafuekZ k %ckykh

विभाग ने सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अपने छः स्कूलों में बाला योजना के कार्यान्वयन के लिए डी.एस.आई.आई.डी.सी. (फरवरी 2010) को ₹ एक करोड़ जारी किए। डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने दो स्कूलों के लिए ₹ 61.74 लाख तक का अनुमान प्रस्तुत किया (मई 2010)। एक शिकायत प्राप्त हुई (अगस्त 2010) कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. ऐसे कार्य कर रहा है जो बाला मानदंडों के अन्तर्गत नहीं आते। विभाग ने डी.एस.आई.आई.डी.सी. को कार्य रोकने के लिए कहा (सितम्बर 2010) और डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने बाला मानदंडों से संबंधित समझौते को समाप्त कर दिया (मई 2011)। इस प्रकार, निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने में विभाग की असफलता के कारण जारी निधियों के उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. को 'बाला योजना' के अन्तर्गत किये गये कार्य की लागत का ब्यौरा देने को कहा गया (मार्च 2015) ताकि वापस माँग के लिए निधियों का आकलन किया जा सके।

2-3-4 v'kä 0; fä; ka ds fy, dY; k.kdkjh ;kst ukvka dk dk; kJo; u

विभाग विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए आठ योजनाएँ चला रहा था। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है :

2-3-4-1 fof'k"V vko'; drk okys 0; fä; ka dks foYkh; l gk; rk

योजना के अन्तर्गत अशक्त व्यक्तियों के बैंक खाते में ₹ 1500 प्रतिमाह की दर से भत्ता, त्रैमासिक रूप से प्रेषित किया जाता है, बशर्ते कि उनकी अशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो, आवेदन से पूर्व दिल्ली में कम से कम पाँच वर्ष का निवास प्रमाण हो और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 75000 से कम हो। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2008-09 में 1988 से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 45471 हो गई, जिसमें 43483 की निवल वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान योजना पर ₹ 190.01 करोड़ के आबंटन (2009-14) के विरुद्ध ₹ 189.63 करोड़ का व्यय हुआ।

योजना के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी विभागीय अन्वेषकों अथवा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किये गए अन्य अधिकारियों के माध्यम से सभी संस्वीकृत किए गए मामलों एवं संदेहास्पद मामलों के पाँच प्रतिशत का सत्यापन कर सकता है। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया गया कि विभाग ने योजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं किया। इसने तीन तिमाही (अक्टूबर 2011 से जून 2012) के दौरान सभी संस्वीकृत मामलों में से केवल 391 मामलों (पाँच प्रतिशत) को चयनित किया और उन्हें सत्यापन के लिए अपने 10 जिला कार्यालयों में अग्रेषित (अक्टूबर 2012) किया। जिला कार्यालयों ने सितम्बर 2014 तक केवल 42 मामलों में सत्यापन की सूचना दी। सत्यापन के आधार पर 42 मामलों में से 31 (74 प्रतिशत) मामलों में वित्तीय सहायता रोक दी गई थी। स्टाफ की कमी के कारण शेष 349 मामलों का सत्यापन रोक दिया गया था। इस प्रकार, मामलों के गैर-सत्यापन के कारण मामलों की प्रामाणिकता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि सितम्बर से दिसम्बर 2014 के बीच लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया एवं 18122 लाभार्थियों का धन-प्रेषण रोक दिया गया क्योंकि वे दिये गये पते पर नहीं पाये गये। स्थानान्तरित हो गये थे/अयोग्य/डुप्लीकेट थे। तथ्य यह है कि योजना के अनुसार विभाग ने सत्यापन को जारी रखा होता तो अयोग्य व्यक्तियों को ₹ 2.72 करोड़²⁰ मासिक लाभ से बचा जा सकता था।

2-3-4-2 v'kä 0; fä; ka ds i qokl ds fy, jk"Vh; dk; Øe %v-0; -i qjk-dk-% ;kst uk

इस योजना का उद्देश्य अशक्त व्यक्तियों के लिए एक जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना एवं समुदाय-आधारित पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया-कलापों को तेज करना है।

²⁰18122 × ₹1500 = ₹ 2.72 करोड़

योजना के अन्तर्गत अशक्तता कैम्प भी आयोजित किए जाते हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियों को प्रेक्षित किया गया :

i) ftyk v'kärk i pökl dñæ dh xj & LFkki uk% जिला अशक्तता पुनर्वास केन्द्रों (जि.अ.पु.के.) की स्थापना करने का उद्देश्य अवसंरचना निर्माण के माध्यम से जमीनी स्तर पर अशक्त व्यक्तियों को विस्तृत सेवाएँ उपलब्ध कराना है। राज्य समन्वय समिति के द्वारा अक्टूबर 2007 में आयोजित बैठक में जि.अ.पु.के. के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। योजना के अन्तर्गत, एक नोडल एजेंसी को प्रायोगिक आधार पर जिला-उत्तर में चिन्हित किया जाना था, जिसे गैर-सरकारी संगठनों एवं अशक्तता से संबंधित विषयों के लिए कार्य करने वाली एजेंसियों के साथ जुड़ना था और अशक्त व्यक्तियों के लिए एकल खिड़की सूचना-सह-सुविधा केन्द्र को स्थापित करना था। विभाग ने 2009-10 में अशक्त व्यक्तियों के संपूर्ण पुनर्वास के लिए दिल्ली के सभी जिलों में प्रबंध करने हेतु चार जोनों में चार जि.अ.पु.के. को स्थापित करने की योजना बनायी। हालाँकि, विभाग ने जि.अ.पु.के. की स्थापना के लिए बजट आबंटित करने के बावजूद सितम्बर 2014 तक न तो किसी नोडल एजेंसी को चिन्हित किया और न ही कोई जि.अ.पु.के. को स्थापित किया। यह मामला पूर्व के प्रतिवेदन में इंगित किया गया था।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जि.अ.पु.के. को प्रारम्भ करने के लिए भारत सरकार को निधियों की संस्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया था, परन्तु अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी प्राथमिकता इस प्रकार के केन्द्रों को ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रारम्भ करने की थी।

ii) v'kärk dñi% विभाग द्वारा सहायता एवं उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अशक्तता कैम्प एवं जागरूकता, अशक्तता प्रमाण-पत्रों के प्रचालन, डीटीसी बस पास एवं अशक्तता पहचान पत्रों के लिए सामान्य अशक्तता कैम्प का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान लक्षित एवं वस्तुतः आयोजित कैम्पों की संख्या rkfydk 2-3-2 में दी गई है।

rkfydk 2-3-2 % dñi ka dk y{; , oa mi yfC/k

o"l	fo'k'sk dñi			l kekU; dñi		
	y{;	okLrfod	ykhkkkFk; ka dh l a[; k	y{;	okLr- fod	ykhkkkFk; ka dh l a[; k
2009-10	20	19	4391	14	6	विभाग के पास उपलब्ध नहीं
2010-11	20	19	3281	10	शून्य	
2011-12	20	11	1424	10	12	
2012-13	10	09	1431	12	9	
2013-14	10	09	703	12	6	
; ksx	80	67	11230	58	33	

उपर्युक्त तालिका से इंगित होता है कि 2009-14 के दौरान, लक्षित 80 विशेष कैम्पों के विरुद्ध केवल 67 विशेष कैम्प (84 प्रतिशत) एवं लक्षित 58 सामान्य कैम्पों के विरुद्ध केवल 33 सामान्य कैम्प (57 प्रतिशत) आयोजित किए गए थे। इसलिए, इसके वार्षिक लक्ष्य में कमी के बावजूद विभाग उसे प्राप्त नहीं कर सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि कैम्पों का सीमित संख्या में आयोजन किया गया क्योंकि विभिन्न विभागों व गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि विभाग के द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

2-3-4-3 cf/kj , oa erd fo | ky; kã dk mUuk; u

इस योजना के अन्तर्गत, विभाग ने 2009-14 के दौरान बधिर एवं मूक के लिए चार विद्यालय (तीन प्राथमिक एवं एक माध्यमिक विद्यालय) के उन्नयन की योजना बनायी, जिसके लिए ₹ 1.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था एवं केवल ₹ 0.89 करोड़ खर्च किया गया। हालाँकि, केवल एक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उन्नत किया गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि दो और विद्यालयों का उन्नयन किया गया (एक माध्यमिक स्तर तक एवं दूसरा 10वीं स्तर तक बढ़ाया गया) परन्तु तदनुसार इन विद्यालयों की नामावली बदलने की आवश्यकता है। हालाँकि जवाब इन उन्नत विद्यालयों के काम पर मौन था।

2-3-4-4 I kekftd , oa 'kkjhfd : i | s ofpr 0; fã; kã ds fy, jkT; dk; Øe

योजना का उद्देश्य सामाजिक एवं शारीरिक रूप से वंचित समूहों को समुदाय के साथ जोड़ना एवं उनसे संबंधित दस्तकारी अथवा परम्परागत पेशेवर व्यवसायों में उन्हें दक्ष करना है। योजना के अन्तर्गत, इन समूहों द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई जानी है। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि योजना के अन्तर्गत क्रियाकलाप नहीं किया गया। आगे, विभाग ने 2009-14 के दौरान, अशक्तता कैम्पों के प्रचार पर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए ₹ 53 लाख में से ₹ 21 लाख का व्यय किया गया, जो इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं था।

अपने जवाब में विभाग ने इस शीर्ष के अन्तर्गत निधियों का सही ढंग से उपयोग करने का आश्वासन दिया (मार्च 2015)।

2-3-4-5 gkQ&os gkæ dk fuekz k

हाफ-वे होम की संकल्पना पर विचार उन व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए सुविधा प्रक्रिया उपलब्ध कराने हेतु की गई थी जिनकी मानसिक बीमारी का अस्पताल से सेवामुक्त होने के बाद इलाज किया जाना था व नियंत्रण करना था। इस योजना में लाभार्थी एवं उनके परिवारों का समाज में उनके पुनः एकीकरण तथा चिकित्सा सलाह अथवा इलाज हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा परामर्श भी शामिल था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चलता है कि सरकार के निर्देशों पर (दिसम्बर 2011) विभाग को पाँच हाफ-वे होम (रोहिणी में तीन तथा द्वारका एवं नरेला में एक-एक) को निर्मित करने थे। डीएसआईआईडीसी के साथ अनुबंध के अनुसार इन घरों को जिसके लिए ₹ 47.63 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति जुलाई 2012 को जारी की गई थी, दिसम्बर 2013 तक पूर्ण करने का अनुबंध किया गया था। हालाँकि, इन्हें सितम्बर 2014 तक पूरा नहीं किया गया। इस प्रकार, विकलांग व्यक्ति विचारित सुविधाओं से वंचित थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि तीन हाफ-वे होम पूरे हो गए एवं दो मार्च 2015 के अंत तक पूरे हो जायेंगे, यह जोड़ते हुए कि इन घरों को शुरू होने के लिए सोसाइटी के गठन हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

2-3-4-6 cf/kj , oa emd fo | kFk; ka dks i kB; k&i qrdka , oa onh/ dh fu% kq/d vki nr

2009-10 के शैक्षणिक सत्र में आरम्भ हुई योजना के अन्तर्गत विभाग अपने द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में कक्षा XII (पूर्व-प्राथमिक को शामिल करते हुए) तक के सभी बधिर एवं मूक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति एवं वर्दी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए, कक्षा VIII तक के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें दी जाती हैं, जबकि पाठ्य-पुस्तकों को खरीदने के लिए कक्षा IX एवं X के प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 600 तथा कक्षा XI एवं XII के प्रत्येक विद्यार्थी को ₹ 800 नगद रूप में दिए जाते हैं। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रति विद्यार्थी को वर्दी हेतु ₹ 500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्दी हेतु आर्थिक सहायता की दरें जून 2011 से संशोधित करके नर्सरी से कक्षा V तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति वर्ष ₹ 500, कक्षा VI से VIII तक के विद्यार्थियों के लिए ₹ 700 तथा कक्षा IX से XII तक के विद्यार्थियों के लिए ₹ 900 संशोधित की गई। 2009-14 के दौरान सम्मिलित किए गए छात्रों की कुल संख्या 937 व 1140 के बीच थी। ₹ 45.12 लाख के आबंटन के विरुद्ध अवधि 2009-14 के दौरान ₹ 40.90 लाख का व्यय किया गया। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित किया गया कि पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों को जुलाई अथवा अगस्त माह में वितरित की जाती थीं, जबकि शैक्षणिक सत्र अप्रैल में शुरू होता है। पुस्तकों के वितरण में देरी के कारण विद्यार्थियों को तीन से चार माह तक पुस्तकों से वंचित होना पड़ता है और उनके अध्ययन में प्रत्यक्ष रूप से बाधा पहुँचती है। आगे, पुस्तकों एवं वर्दी के लिए राशि के वितरण के बाद इसके उपयोग की अनुवर्ती कार्यवाही हेतु कोई तंत्र नहीं था। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि अप्रैल के अन्त तक किताबों व वर्दियों के खरीद हेतु एवं विद्यार्थियों के बीच उसके वितरण हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

2-3-4-7 cf/kj , oa emd fo | kFk; ka ds fy, feM&Ms ehy dk; Øe ea njh

विभाग के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में यह योजना मूक एवं बधिर विद्यार्थियों हेतु तथा कक्षाओं में अनुपस्थितियों की संख्या में कमी लाने हेतु पोषण संबंधी सहायता एवं प्रत्येक दिन वर्ष में न्यूनतम 200 दिनों के लिए प्रत्येक दिन न्यूनतम 300 कैलोरी मात्रा का भोजन तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराती है। मिड-डे मील कक्षा XII तक के सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और प्रत्येक वर्ष चार वर्षों (2009-13) के लिए ₹ 5 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया था, परन्तु योजना शुरू नहीं की जा सकी। शिक्षा विभाग, दि.रा.रा.क्षे.स. के सहयोग से योजना आखिर में नवम्बर 2013 में शुरू की गई। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि योजना 2009-13 में विक्रेताओं के निश्चित न दिये जाने के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकी। जवाब से पुष्टि होती है कि 2009-13 के दौरान छात्रों को पोषण सहायता प्रदान नहीं की गई।

2-3-4-8 ^vkJ; dk; Z kkyk ; kst uk*

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आश्रय कार्यशाला को 50 अशक्त श्रमिकों की संस्कृत संख्या के साथ वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़ाकर 100 तक किया जाना था। योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अशक्त श्रमिकों

को लघु अवधि के प्रशिक्षण²¹ (10 से 15 दिनों की अवधि) की व्यवस्था की जानी थी। जिसके बाद अच्छी प्रवीणता प्राप्त करने वाले श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाना था और खुले बाजार में रोजगार पाने में मदद की गयी। हालाँकि, यह प्रेक्षित किया गया कि कार्यशाला सितम्बर 2014 तक कोई प्रशिक्षण मुहैया नहीं करा रहा था, कार्यशाला में केवल पाँच श्रमिक थे जिसे शुरू में प्रशिक्षित किया गया था (30 वर्ष पहले), जबकि अवधि 2009-14 के दौरान विभाग ने वेतन, मजदूरी एवं दूसरे व्यय पर ₹ 1.13 करोड़ व्यय किये। इस प्रकार, योजना अपने वास्तविक स्वभाव में कार्यान्वित नहीं की गई और अपने लक्षित विषय को खो दिया। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि योजना की समीक्षा की जाएगी एवं अशक्तों की आवश्यकता की उपयुक्तता के पुनर्गठन पर निर्णय लिया जाएगा।

2-3-5 vk'kk fdj.k dkWi yDI dk iC/ku

विभाग आशा किरण कॉम्पलेक्स, रोहिणी में मन्द बुद्धि लोगों के लिए चार गृह/संस्थान²² चला रहा है। कॉम्पलेक्स में रहने वालों को सुविधायें मुहैया कराने में प्रबन्धन की स्थिति आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

(i) {kerk l s vf/kd fuokl l: कॉम्पलेक्स में 350 की अभिकल्पित क्षमता के विरुद्ध औसतन 970 निवासी है। 2009-10 के दौरान कॉम्पलेक्स में 57 लोगों की मौत से एक मिनिस्ट्रियल समिति ने इन गृहों की भीड़ हटाने की अनुशंसा की (फरवरी 2010)। पुनः मुख्यमंत्री की बैठक (फरवरी 2011) में यह फैसला लिया गया कि आशा किरण गृहों में रह रहे निवासियों को तुरन्त भिक्षु गृह, लामपुर में भेजा जाये। परन्तु विभाग के द्वारा कॉम्पलेक्स को असंकुलित करने हेतु सिवाय कॉम्पलेक्स में दो 80 बिस्तरों वाले शयनागार के निर्माण के व दूसरे क्षेत्रों में 186 निवासियों को स्थानान्तरित करने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये (सितंबर से दिसंबर 2013)। इनमें से 26 निवासियों को चिकित्सा कारणों से वापस स्थानान्तरित करना पड़ा।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि नरेला, हरिनगर, एवं बसंत कुंज में मंदबुद्धि लोगों के लिए तीन नये गृह निर्माणाधीन हैं। तथ्य यह है कि 2009-14 के दौरान कुल 148 लोगों की मृत्यु हुई जो आशा किरण कॉम्पलेक्स की भीड़ हटाने के प्रति विभाग की ओर से ढिलाई का संकेत देता है।

(ii) , fcyd dh mi yC/krk% लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कॉम्पलेक्स में 949 निवासी हेतु वर्ष 2013-14 के दौरान 24 घंटों के लिए एक एम्बुलेंस व कार्यालय अवधि में रोगियों को ले जाने के लिए दो गाड़ियाँ उपलब्ध थीं जिनमें से 469 गंभीर व पूरी तरह से मंदबुद्धि थे एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण 8607 बार रोगियों/निवासियों को ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा इत्यादि के द्वारा विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। अपने जवाब में विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जब कभी भी आवश्यक हो, एम्बुलेंस सेवाएँ प्रदान करने वाले हेतु कैंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया (सितम्बर 2014)।

²¹यांत्रिक एवं वैद्युतीय सामान, कटाई एवं सिलाई, जिल्द एवं सामान पैक कार्य इत्यादि को एकत्र करना
²²(i) अति गंभीर मंदबुद्धि व्यक्तियों (व्यस्क एवं बालक) का संस्थान, (ii) मंदबुद्धि व्यस्कों के लिए गृह (iii) मंदबुद्धिजन (बालक) के लिए गृह एवं (iv) मंदबुद्धि जन (वयस्क) के लिए स्कूल एवं गृह

(iii) LVkQ dh deh% कॉम्पलेक्स में 260 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 215 देख-भाल कर्मचारी तैनात थे साथ ही 45 की कमी थी। जैसा कि विभाग द्वारा गणना की गई कॉम्पलेक्स में निवासियों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता 502 है। कॉम्पलेक्स में रहने वालों को शिक्षा देने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जुलाई 2013 में 391 पद बनाये गये थे एवं 379 और पदों हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया था।

(iv) vkgkj fo'k'kK dh vuq yC/krk% बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) व बाल अधिकार के संरक्षण हेतु दिल्ली आयोग (डीसीपीसीआर) के आशा किरण कॉम्पलेक्स पर संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन (अक्टूबर 2012) के कारण जो कुपोषण, चर्मरोग आदि के उच्च प्रचलन को इंगित किया, कॉम्पलेक्स की नियंत्रण परिषद् ने अपनी मीटिंग में (जनवरी 2013) चर्चा की व फैसला किया कि निवासियों को दिया जाने वाला पोषाहार महत्वपूर्ण था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अभ्युक्तियों व निर्णयों के बावजूद, कॉम्पलेक्स में रहने वालों को दिये जाने वाले आहार की मात्रा व गुणवत्ता को देखने हेतु कॉम्पलेक्स में आहार विशेषज्ञ नहीं थे।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि विशेष आहार निवासियों को दिया गया जैसा चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया गया। निर्धारित आहार सूची का लो.ना.ज.प्र. अस्पताल आहार विशेषज्ञ से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुनरीक्षण किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है। निवासियों को दिये जाने वाले आहार की मात्रा व गुणवत्ता की निरीक्षण या सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं होने के कारण जवाब स्वीकार्य नहीं हैं।

2-3-6 fnYyh v-tk@v-t-tk@vYil d; d@fodykx foYk o fodkl fuxe

रा.रा.क्षे.दि.स. ने (फरवरी 1998) दिल्ली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/अक्षमता वित्त व विकास निगम (निगम) को राष्ट्रीय अक्षमता वित्त व विकास निगम (रा.अ.वि. व वि.नि.) के राज्य एजेंसी (रा.प्र.ए.) के रूप में नामित किया जिसने मई 2003 से कार्य शुरू किया। रा.अ.वि. व वि.नि., लक्षित समूहों हेतु दिये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान हेतु योजना के अतिरिक्त ऋण प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाएं जैसे कि-समेकित ऋण, शिक्षा ऋण, लघु उद्योग को स्थापित हेतु ऋण, यात्रा ऋण इत्यादि चला रहा है।

निगम के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित कमियाँ पता चली :

- y{; dh de ikflr% अशक्तजनों हेतु आर्थिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत 2009-14 के दौरान वार्षिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति सिर्फ 6.33 प्रतिशत (भौतिक) व 3.53 प्रतिशत (वित्तीय) थी। इसी अवधि के दौरान इसने अशक्तजनों के लिए किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित नहीं किया। मांगे जाने पर भी (जून 2014) लक्ष्यों के कम प्राप्ति के कारणों को लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ipkj o tkx: drk mri Uuk djus dh deh% निगम ने रा.अ.वि. व वि.नि. योजना के प्रचार/जागरूकता हेतु कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि इसके परिसरों में अशक्तजनों के दिशा-निर्देश हेतु कोई संकेत चिह्न भी नहीं लगाये गये। फरवरी 2013 में

आयुक्त की बैठक में उठाये गये मुद्दों के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रतिवेदन में निगम ने कहा कि एक विज्ञापन की लागत ₹ 5 से 6 लाख थी और इसके भुगतान न होने के कारण वह पृथक रूप से अशक्तजन श्रेणी के विज्ञापन को जारी नहीं कर सकता है। इसलिए योजनाओं के संबंध में प्रचार और जागरूकता सृजन की कमी थी।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि भविष्य में ऋण योजना के जागरूक होने के प्रावधान के लिए एवं पर्याप्त निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए निगम से अनुरोध किया जा रहा है (फरवरी 2015)।

- I ello; dh deh% समाज कल्याण विभाग व निगम के बीच कोई समन्वय नहीं था क्योंकि रा.अ.वि. व वि.नि. द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान व उन तक पहुँचने पर दोनों एजेंसियों के बीच कोई पत्राचार नहीं था। विभाग ने निगम से भविष्य में समन्वय रखने के लिए आश्वस्त किया (मार्च 2015)।

2-3-7 v'kärk vf/kfu; e] 1995 dk dk; kll; u

अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति पर परवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2-3-7-1 jkT; I ello; I febr ¼jk-I -I -½ o jkT; dk; ðkjh I febr ¼jk-dk-I -½ dh cBdk e dfe; k

राज्य समन्वय समिति (रा.स.स.) एवं राज्य कार्यकारी समिति (रा.का.स.) को नवम्बर 2004 में गठित किया गया अर्थात् नियम 2001 की अधिसूचना के तीन वर्षों के बाद। जून 2014 तक राज्य समन्वय समिति ने गठित होने के बाद निर्धारित²³ 20 बैठकों के विरुद्ध सिर्फ चार बैठक करायीं (अप्रैल 2005, नवम्बर 2006, अक्टूबर 2007 व जुलाई 2012)। इसी प्रकार, राज्य कार्यकारी समिति ने निर्धारित 40 के विरुद्ध फरवरी 2013 में एक ही बैठक की। विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2015) कि समिति ने 2007-11 के दौरान सक्रिय भूमिका अदा नहीं की। चूंकि दोनों समितियों का 2012 में पुनर्गठन हुआ, समितियों के पुनर्गठन/फाईल कार्रवाई के कारण आवश्यक संख्या में बैठकें नहीं हो पाईं।

2-3-7-2 okk'kd ifronu dk iLrfrdj.k

धारा 65 अनुबन्ध करता है कि आयुक्त (अशक्तता) राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूरा लेखा देते हुए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार व प्रस्तुत करेगा, जो इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि आयुक्त (अशक्त) ने 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए अगस्त 2013 में विभाग को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे राज्य विधानसभा के समक्ष नहीं रखा गया।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रतिवेदन नहीं रखा जा सका एवं आश्वस्त किया कि प्रक्रिया शुरू की जायेगी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह मूद्दा पूर्व के प्रतिवेदन में उठाया गया था।

²³अधिनियम की धारा 17 एवं 21 के अनुसार, रा.स.स. को प्रत्येक छमाही में कम से कम एक मीटिंग रखना था व रा.का.स. को तिमाही में एक।

2-3-7-3 v'kä tuka ds fy, 'k'kf.kd vol j'puk dk fodkl

अधिनियम के अनुसार सरकार को 18 वर्ष तक के अशक्त बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, अशक्तजनों हेतु विशेष स्कूलों की स्थापना को बढ़ाने व व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाओं के साथ विशेष स्कूल को लैस करने हेतु प्रयास करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा जाँच निम्न दर्शाती है :

- यद्यपि अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत आवश्यक है, विभाग ने अशक्त बच्चों हेतु किसी अनौपचारिक शिक्षा योजना को शुरू नहीं किया। जैसाकि अधिनियम के धारा 28 व 29 के अंतर्गत बताया गया है कि विभाग ने नई सहायक युक्तियाँ, शिक्षण सहायता के विकास हेतु कोई अनुसंधान शुरू नहीं किया।
- विभाग के द्वारा व्यापक शिक्षण योजना जैसा कि अधिनियम की धारा 30 में जरूरी है, को लागू नहीं किया गया। दिल्ली (जनगणना 2011) में 52330 अशक्त बच्चों के विरुद्ध इन स्कूलों के पास कुल 1250 छात्रों की क्षमता के साथ विभाग दो से अधिक दशक पहले अशक्त बच्चों के लिए निर्मित व स्थापित केवल छः स्कूलों को संचालित करता था। जुलाई 2014 तक, इन स्कूलों में शैक्षणिक स्टाफ की अत्याधिक कमी (50 प्रतिशत) थी,
- विभाग जून 2014 तक मंद बुद्धि बच्चों के लिए विद्यालय हेतु मई 2010 में उस्मानपुर में आबंटित 4525 वर्ग मी. माप के प्लॉट का अधिपत्य हासिल नहीं कर सका, क्योंकि वह समय से व पूर्ण भुगतान करने में असफल रहा, इसके परिणामस्वरूप योजनागत स्कूल का निर्माण नहीं हो सका।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि जैसा कि अधिनियम के धारा 27, 28, एवं 29 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में, शिक्षा विभाग आवश्यक कदम उठा रहे थे। धारा 30 के प्रावधान पर यह कहा गया कि व्यापक शिक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी परन्तु अशक्त विद्यार्थियों को कुछ सुविधायें प्रदान की जा रही थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है न कि शिक्षा विभाग की। आगे, ये मुद्दा पूर्व के प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

2-3-7-4 v'käka ds jkst xkj ds fy, i ko/kku

अधिनियम की धारा 32, 33 व 61 प्रत्येक संस्था में अशक्तों की नियुक्ति व तीन प्रतिशत पदों की पहचान व आरक्षण प्रदान करती है जिस हेतु आयुक्त (अशक्त) सभी विभागों के साथ समन्वय रखेगा। लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि आयुक्त (अशक्त) आठ बड़े विभागों²⁴ में आरक्षण की स्थिति की समीक्षा (जनवरी 2013) की। समीक्षा ने प्रदर्शित किया कि 1996 से केवल अशक्तों के लिए 2239 रिक्त पदों के विरुद्ध, 1336 पदों के पिछले बकाया को छोड़कर (आरक्षित पदों के 60 प्रतिशत) केवल 1253 भरे गये। इसके जवाब में आयुक्त (अशक्त) ने कहा (जुलाई 2014) कि बाकी बचे विभागों में समीक्षा का कार्य चल रहा है। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि तीन प्रतिशत पदों की पहचान व आरक्षण हेतु पत्र सचिव (सेवाएँ), रा.रा.

²⁴तीन दि.न.नि., न.दि.न.प., स्वा एवं प.क., शि.वि. एवं सेवा विभाग

क्षे.दि.स. को भेजा जा चुका है (फरवरी 2015)। तथ्य यह है कि विभाग ने पूर्व के प्रतिवेदन में यह मुद्दा उठाये जाने के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की।

2-3-7-5 f'kdk; r l qkkj r#

लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि आयुक्त के कार्यालय में अशक्तजनों द्वारा शिकायतों की प्राप्ति व निपटान को देखने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। जैसा कि अधिनियम के धारा 62 एवं नियम 49 के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। लेखापरीक्षा में प्रदान की गई शिकायत फाइलों की जाँच रिपोर्ट दिखाती है कि 2009-14 के दौरान आयुक्त कार्यालय में (दुबारा आयी शिकायतों को शामिल करके) कुल 446 परिवाद/शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 3 से 56 महीनों तक लम्बित 119 शिकायतों पर निर्णय (जून 2014) बकाया थे। आयुक्त ने कहा (जुलाई 2014) कि 2014-15 की अवधि के लिए शिकायत रजिस्टर तैयार कर लिया गया है। विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि ऑनलाइन शिकायत की स्थिति जानने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के सू. प्रौ. विभाग द्वारा ऑनलाइन शिकायत निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है।

2-3-7-6 l jdkjh Hkou o l kozt fud LFkkuka ea v' kaka grq Hkkf rd l fo/kkvka dk i ko/kku

धारा 44 से 47 अनुबन्ध करता है कि अशक्तों के लाभ हेतु रेल डिब्बों, बसों, प्रसाधनों, हवाईजहाजों, प्रतीक्षालयों आदि में आसानी से पहुँच हेतु राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकरणों को सुविधा मुहैया करने हेतु नियम बनाने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों/भवनों में अशक्तों हेतु उपलब्ध सुविधाओं की सीमा निर्धारित करने हेतु, लेखापरीक्षा विभाग के दो जिला कार्यालयों (पूर्व व उत्तर पूर्व) के चारों ओर स्थित 10 सरकारी स्कूलों²⁵, चार सामुदायिक भवनों²⁶, दो डी.सी. कार्यालयों (शास्त्री पार्क व कंझावाला), चार सार्वजनिक पार्कों²⁷ व चार बैंकों/एटीएम का सर्वे कराया। इसके साथ चार रेलवे स्टेशनों²⁸ व दो अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों²⁹ का दौरा भी किया गया। सर्वे के निष्कर्षों को rkfydk 2-3-3 में दर्शाया गया है:

²⁵(i) आर.एस.के.वी. लक्ष्मीनगर (ii) जीजीएसएस, ललिता पार्क (iii) जी सह-शिक्षा एसएसएस, शिवपुरी (iv) आरपीवीवी, गाँधी नगर (v) सर्वोदया बीवी, रायगढ़ कालोनी (vi) एस वी, सेक्टर3 रोहिणी (vii) आर पी एस के वी रिठाला (viii) सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर-2 रोहिणी (पग) जीजीएसएसएस, अवन्तिका व (x) एस के वी, अवन्तिका, सेक्टर-1 रोहिणी।

²⁶सामुदायिक भवन-(i) ब्लॉक 2, गीता कालोनी (ii) ब्लॉक 10, गीता कालोनी (iii) सेक्टर-5, रोहिणी व (iv) सेक्टर-7, रोहिणी

²⁷(i) विश्वकर्मा पार्क, किशन कुँज, (ii) वीर सावरकर पार्क, 14 ब्लॉक, गीता कालोनी, (iii) पार्क, सेक्टर-4, रोहिणी व (iv) दीनबंधु छोटू राम पार्क, सेक्टर-6, रोहिणी

²⁸रेलवे स्टेशन-किशनगंज, हजरत निजामुद्दीन, नरेला व नई दिल्ली

²⁹बस अड्डा- सराय काले खाँ, व आईएसबीटी कश्मीरी गैट

रक्यदक 2-3-3 % l oł dh mi yfC/k; k;

Øe l a	Hkou@LFkku ftl eš l oł fd; k x; k	l fo/kk; a tks mi yC/k ugha gS		
		jfi l	, fyomj ; k fyIV	v'kä ykska grq i d k/ku
1	स्कूल-10	02	10	05
2	बैंकों/एटीएम-04	04	-	04
3	डीसी कार्यालय- 02	-	01	01
4	सामुदायिक भवन- 04	03	04	04
5	रेलवे स्टेशन- 04	04	04	04
6	बस अड्डे- 02	-	-	01
7	सार्वजनिक पार्क - 04	04	-	04
clj	30	17	19	23

उपरोक्त आँकड़ा दर्शाता है कि 17 भवनों/स्थानों में रैम्प नहीं थे, 19 में एलिवेटर्स/लिफ्ट नहीं थे व 23 में व्हील चेयर वाले अशक्तों के लिए प्रसाधन तक पहुँचने की सुविधा नहीं थी।

आगे, यह सामने आया कि जो विभाग उक्त सुविधाओं के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, उनके अपने कार्यालय भवनों में भी ये सुविधायें³⁰ उपलब्ध नहीं थी। कालकाजी में मूक बधिर स्कूल के लिए विभाग के नवनिर्मित तीन मंजिला भवन में प्रसाधन के प्रावधान नहीं थे। यह अशक्तों के विरुद्ध पक्षपात को दूर करने के लिए सुविधायें मुहैया करने हेतु विभाग की लापरवाही दर्शाता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि मुख्यालय एवं दूसरे स्थानों पर आशक्तों के लिए सुविधाएँ मुहैया करने हेतु कदम उठाये गये हैं। तथ्य यह है कि पूर्व के प्रतिवेदन में उठाये जाने के बावजूद इस संबंध में सही कदम उठाये जाने बाकी है।

2-3-8 vU; fclnq

(i) ?kja , oa l LFkku d k fujh{k.k% अवधि 2009-14 हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि अप्रैल 2012 तक कोई निरीक्षण आयोजित नहीं किया गया उसके बाद अप्रैल 2014 (24 माह) 12 अशक्त व्यक्तियों के घरों व संस्थानों के 576 निरीक्षणों³¹ की तुलना में सिर्फ 32 निरीक्षणों का आयोजित किया गया जो कि सिर्फ 6 प्रतिशत बनता है।

विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि डीएसडब्लूओ ने संस्थानों का नियमित निरीक्षण व निगरानी आयोजित की। जवाब निरीक्षणों के गैर/कम संचालन पर लेखापरीक्षा की दृष्टि से सुस्पष्ट नहीं है।

(ii) 'kCn 'fodykærk* dk i z; ks% कम से कम कार्यालयी पत्राचार, कार्यालयी प्रतिवेदनों, सरकारी संस्थानों, संगठनों इत्यादि के सन्दर्भ में 'विकलांगता' अभिव्यक्ति के प्रयोग को अनुत्साह व प्रतिबंधित करने हेतु सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार

³⁰एलिवेटर्स अथवा लिफ्ट, ब्रेल संकेत, रैम्प इत्यादि

³¹अप्रैल 2012 से महीना में कम से कम दो बार जरूरी है अर्थात् 12 घरों/संस्थानों × 24 महीने × 2 निरीक्षणों

से प्राप्त पत्र (फरवरी 2012) के उल्लेख में विभाग ने निर्देशों के अनुपालन हेतु मार्च 2012 में निगम को एक पत्र पृष्ठांकित किया। फिर भी, 'विकलांगता' अभिव्यक्ति निगम अपने पत्राचारों, कार्यालयी प्रतिवेदनों में लगातार प्रयोग करता रहा। प्रतिबंध के बावजूद विभाग स्वयं वित्त विभाग से शीर्ष 'विकलांगता' कल्याण (मांग संख्या 8 के मुख्य शीर्ष-2235) में लगातार अनुदान प्राप्त करते रहे।

अपने जवाब में, विभाग ने कहा (मार्च 2015) कि निगम को अपने नाम बदलने को कहा जा रहा है (फरवरी 2015) एवं मुख्य शीर्ष 2235 माँग सं. 8 'विकलांग के कल्याण' से 'अशक्तों के सशक्तीकरण' में बदलने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

2-3-9 fu"d"kl

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में रह रहे अशक्त लोगों हेतु एक व्यापक डेटाबेस के लिए घर-घर जाकर स्वतंत्र सर्वे का आयोजन नहीं किया। इसने राज्य अशक्त नीति को अशक्तजनों से सम्बन्धित मुद्दों को उठाने के लिए विकसित नहीं किया एवं जिला अशक्त पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने में असफल रहे। वित्तीय लाभों हेतु उनकी लगातार योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों के सत्यापन हेतु विभाग के पास कोई नीति नहीं है। मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए घरों में अधिक संख्या में लोग थे एवं उनके देखभाल हेतु अपर्याप्त वाहन एवं देखरेख कर्मी थे। दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/विकलांगता वित्त एवं विकास निगम अशक्तजनों हेतु आर्थिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक के साथ-साथ वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत जरूरी है, राज्य समन्वय समिति व राज्य कार्यकारी समिति निर्धारित 20 व 40 बैठकों की तुलना में केवल चार व एक बैठक करवा सकीं। 52330 अशक्त बच्चों के लिए 1250 की क्षमता वाले केवल छः स्कूल ही उपलब्ध थे जबकि अनौपचारिक शिक्षा हेतु योजना नहीं थी। रैम्प, सुलभ शौचालय, एलिवेटर्स या लिफ्ट आदि सुविधाएँ सभी सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों में मुहैया नहीं करायीं गयी थीं।

2-3-10 fl Qkfj 'ka

l jdkj dj l drh g%&

- (i) अशक्तजनों की संख्या, उनके प्रकार एवं श्रेणी को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक सर्वे की पद्धति पर विचार करना,
- (ii) रा.अ.वि.व वि.नि./रा.प्र.ए. द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं की योजनाओं का प्रचार करना व उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु अशक्तों को उत्साहित करने के लिए कदम उठाना,
- (iii) मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए घरों को असंकुलित किया जाय एवं उन्हें पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जाए, एवं
- (iv) सभी स्थानों इत्यादि में उनके अनौपचारिक/व्यापक शिक्षा एवं अशक्तों के लिए सुविधाओं को शामिल करते हुए अशक्त बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालय स्थापित कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करना।

मामला सरकार को अक्टूबर 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

'kgjh fodkl foHkkx

2-4 fo/kku l Hkk l nL; LFkkuh; {ks= fodkl ;kstuk

सादृश्य एमपीलैड योजना के अनुरूप रा.रा.क्षे.दि.स. ने भी दिल्ली में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण व संवर्धन हेतु एक योजना कार्यक्रम 'विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (एमएलएलैड योजना) शुरू की। प्रारंभ में, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹ 1.00 करोड़ रखा गया था, जो कि बाद में धीरे-धीरे बढ़कर ₹ 4.00 करोड़ तक हो गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

fof'k"Vrk, j

- एमएलएलैड योजना के दिशा-निर्देशों में बहुत सी कमियों के कारण योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता व पारदर्शिता का अभाव रहा। बहुत से संशोधनों के परिणामस्वरूप एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों का प्रभाव क्रमशः कम हो गया।
(पैराग्राफ 2.4.2 एवं 2.4.2.1)
- श.वि.वि. ने आवश्यक पूर्व अर्हताओं को सुनिश्चित किए बिना ₹ 39.90 करोड़ के 248 निर्माण कार्यों की संस्वीकृति प्रदान की।
(पैराग्राफ 2.4.4.2 एवं 2.4.5.4)
- योजना के अंतर्गत कार्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आरंभ किया गया था। तथापि, ₹ 277.36 करोड़ के व्यय वाले 3160 निर्माण कार्यों में 60 प्रतिशत निधियाँ वर्तमान परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सुधार पर खर्च की गईं तथा ₹ 61.94 करोड़ के व्यय वाले 585 निर्माण कार्य दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट नहीं थे।
(पैराग्राफ 2.4.5.1)
- कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों में बहुत-सी अनियमितताएँ जैसे कि व्यय का आधिक्य, संस्वीकृत कार्यों का अप्राधिकृत रद्दीकरण/समापन, कार्यों के सौंपने एवं समापन में देरी, निविदाओं को बिना आमंत्रित किए कार्य को सौंपना इत्यादि थीं।
(पैराग्राफ 2.4.7)
- श.वि.वि. ने योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा था। इसने योजना निधियों की लेखापरीक्षा एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण हेतु किसी तंत्र को स्थापित नहीं किया गया था। कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु आंतरिक जाँच एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था।
(पैराग्राफ 2.4.8.1, 2.4.8.2 एवं 2.4.8.3)

2-4-1 निष्पादन

रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष 1994-95 में एक योजनागत स्कीम रूपरेखा तैयार की जिसका नाम 'विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' है जिसे आमतौर पर एम.एल.ए.एल.ए.डी.एस. (स्कीम) के रूप में जाना जाता है, तथा इसे 'विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सुदृढीकरण व वृद्धि' शीर्षक के साथ अपनी वार्षिक योजना में जोड़ा। रा.रा.क्षे. दिल्ली को सात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों व 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (वि.स.नि.क्षे.) में बाँटा गया है। आरंभ में, प्रतिवर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र ₹ 1.00 करोड़ नामोद्दीष्ट किया जाता था, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर प्रति वर्ष प्रति वि.स.नि.क्षे. ₹ 4.00 करोड़³² कर दिया गया।

इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नोक्त थीं :

- प्रत्येक विधान सभा सदस्य वैयक्तिक कार्य हेतु ₹ 2.00 करोड़ की अंतिम सीमा के साथ एक वर्ष में ₹ 4.00 करोड़ के लघु पूँजीगत कार्यों की अनुशंसा कर सकता है।
- इस योजना के अन्तर्गत कार्य मुख्यतः सरकारी या स्थानीय निकाय की भूमि पर स्थायी परिसंपत्ति के निर्माण हेतु होना चाहिए।
- इस योजना के अन्तर्गत कार्य दिल्ली के सभी तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) को शामिल करते हुए, विधान सभा सदस्य के द्वारा चयनित किसी भी सरकारी विभाग व एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।
- विधान सभा सदस्यों के द्वारा अनुशंसित कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित निधियाँ एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा अनुमानित निधियाँ, शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) के द्वारा इसके बजट के अन्तर्गत, योजना के लिए वार्षिक आबंटन में से सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती हैं।
- योजना के अन्तर्गत निधियों को गैर-व्यपगमनीय समझा व माना जाएगा एवं अप्रयुक्त निधियों को आगे के वर्षों में उपयोग किया जा सकता है।

2-4-1-1 निष्पादन

योजना के लिए निधियाँ श.वि.वि. के बजट के अंतर्गत आबंटित की जाती हैं। सचिव श.वि.वि., बजट नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते योजना के लिए प्रशासनिक प्रमुख है जिसकी अपर सचिव (एमएलएलैडस) एवं श.वि.वि. की योजना शाखा के उप-निदेशकों व सहायक निदेशकों के द्वारा सहायता की जाती है। दि.न.नि., दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि.एवं बा.नि.वि.) तथा नई दिल्ली नगर पालिका (न.दि.न.पा.) योजना के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन एवं निष्पादन हेतु मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ हैं।

2-4-1-2 निष्पादन

निष्पादन लेखापरीक्षा के व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि क्या:

³²(i) 1994-1995- ₹ 1 करोड़, (ii) 1999-2000- ₹ 1.40 करोड़, (iii) 2000-2001-₹1.90 करोड़, (iv) 2004-2005- ₹ 2 करोड़ एवं (v) 2011-2012- ₹ 4 करोड़

- योजना के कुशल तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश पर्याप्त रूप से उचित हैं,
- कार्यों की आयोजना व संस्वीकृति, योजना दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप था एवं योजना के सही मायने के अनुरूप था,
- योजना निधियों का प्रबंध प्रभावी एवं कुशल था और
- कार्यों का कार्यान्वयन प्रभावी, दक्ष एवं विद्यमान नियमों के फ्रेमवर्क, वित्तीय औचित्य की प्रक्रियाओं एवं सिद्धांतों के अन्दर था।
- कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी को शामिल करते हुए, आंतरिक नियंत्रण तंत्र उपयुक्त था।

2-4-1-3 ys[kki j h{kk {ks= vkj dk; i z kkyh

2009-14 की अवधि को शामिल करते हुए, निष्पादन लेखापरीक्षा सचिव एवं विभाग के अधिकारियों तथा योजना के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों के साथ मई 2014 में हुए प्रवेश सम्मेलन के साथ आरंभ हुई। मई 2014 से अक्टूबर 2014 के दौरान श.वि.वि., दि.न. नि. के मुख्यालयों, दि.ज.बो., सिं. एवं बा.नि.वि. एवं न.दि.न.पा. के अभिलेखों की जाँच की गई थी। लेखापरीक्षा ने निधियों के उपयोग के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों के शीर्ष 59 संभागों³³ को चयनित किया था, जिनमें 10821 निर्माण कार्यों में से 933 निर्माण कार्यों³⁴ से संबंधित अभिलेखों को उनकी अनुमानित लागत के आधार पर, विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

मार्च 2005 (पूर्ववर्ती प्रतिवेदन) को समाप्त अवधि के प्रतिवेदन में इस विषय पर अंतिम संवीक्षा को शामिल किया गया था लेकिन लो.ले.स. में इस पर चर्चा नहीं हुई।

लेखापरीक्षा उपलब्धियों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं को दिसम्बर 2014 में सरकार के पास भेजा गया था तथा 20 फरवरी 2015 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विशेष सचिव, श.वि.वि. एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ इस पर भी चर्चा की गई। निर्गम सम्मेलन में अभिव्यक्त हुए सरकार के विचारों एवं बाद में प्राप्त हुए विचारों का ध्यान रखा गया व उचित ढंग से रिपोर्ट में शामिल किया गया।

2-4-1-4 ys[kki j h{kk ekun.M

निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रयुक्त मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये हैं :

- योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधानों एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य प्रशासनिक एवं कार्यकारी निर्देशों,

³³धन मूल्य के आधार पर सिं. एवं बा.नि.वि. के 100 प्रतिशत संभागों व शेष अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों में से प्रत्येक के कुल संभागों का 50 प्रतिशत

³⁴(i) ₹ 5 लाख तक-2 प्रतिशत (ii) ₹ 5 लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक-सर्वोच्च लागत वाले 10 प्रतिशत, (iii) ₹ 20 लाख से अधिक तथा ₹ 50 लाख तक-सर्वोच्च लागत वाले 50 प्रतिशत, और (iv) ₹ 50 लाख से अधिक- 100 प्रतिशत

- सामान्य वित्तीय नियमों, सिविल लेखा नियमावली, के.लो.नि.वि. नियमावली एवं भारत सरकार के अन्य वित्तीय नियमों, और
- एमपीलैड योजना से संबंधित प्रावधान।

2-4-2 , e, y, yM ; kst uk ds fn' kk&fun' kka ea dfe; k;

2-4-2-1 , e, y, yM ; kst uk fn' kk&fun' kka dk Øfed : i | s i Hkko de gkuk

एमपीलैड योजना के अनुरूप एमएलएलैड योजना रा.रा.क्षे. दिल्ली में शुरू की गई थी। दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य भी समान है अर्थात् जन प्रतिनिधियों (लोकसभा एवं विधान सभा सदस्यों) को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासवादी प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने का अधिकार देता है। एमएलएलैड योजना के मामले में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार नीतिगत मामलों का निपटान करता है एवं राज्यों में सीधे जिला प्रमुखों को निधियाँ जारी करता है। प्रत्येक राज्य में एक विभाग को योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण व निगरानी हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है, जबकि जिला प्रमुखों को कार्यों की संस्वीकृति एवं निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके विपरीत, रा.रा.क्षे.दि. में, जिला प्राधिकारी एमएलएलैड योजना के कार्यान्वयन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन श.वि.वि. अकेले सभी तीन घटकों अर्थात् (i) नीति निर्माण करना (ii) परियोजनाओं की संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन, तथा (iii) योजना कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण व निगरानी के संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है।

दोनों योजनाओं के दिशा-निर्देशों की तुलना दर्शाती है कि एमएलएलैड योजना बहुत सी कमियों के कारण प्रभावित हुई, जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता व पारदर्शिता का अभाव रहा। दिशा-निर्देशों के दो समूहों में प्रावधानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मुद्दों में से कुछ की तुलना 2-2 में दी गई है।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि वह नीति का अनुमोदन करता है और उसी के अनुरूप संस्वीकृति प्रदान करता है। कार्यों की निगरानी अलग से कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा की जानी चाहिए। श.वि.वि. ने यह कहा कि दिशा-निर्देशों में एमपीलैड योजना दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाएगा।

2-4-2-1 , e, y, yM ; kst uk fn' kk&fun' kka dk Øfed : i | s i Hkko de gkuk

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों में कई संशोधन हुए हैं, एवं प्रत्येक संशोधन के कारण उनका प्रभाव कम हो गया। योजना दिशा-निर्देश-2012 एवं पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अध्ययन दर्शाता है कि दिशा-निर्देशों ने प्रत्येक संशोधन के साथ अपना प्रभाव खो दिया है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को वापस ले लिया गया था, जिसने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन व निगरानी को प्रभावित किया है। विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं:

Ø-l a	okil fy; s x; s i ko/kku	i Hkko
1.	किसी अनुलिपीकरण से बचने के लिए, स्थानीय निकायों/विभागों को प्रमाणित करना है कि प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। (दिशा-निर्देश 2002-03)	कार्यों के अनुलिपीकरण की संभावना
2.	विधान सभा सदस्यों से परामर्श के पश्चात्, श.वि.वि. को कार्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन करना है (दिशा-निर्देश 2002-03)। आधिकारिक व विशिष्ट समस्या से बचने के लिए, उन एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके भूमि/संपत्ति/क्षेत्राधिकार पर कार्य निष्पादित किया जाना है। (दिशा-निर्देश 2006)।	विधान सभा सदस्य एजेंसी का चयन करता है। कुछ प्रकरणों में, एजेंसियों के पास प्रस्तावित कार्य हेतु अधिदेश एवं भूमि/क्षेत्राधिकार का स्वामित्व नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट व क्षेत्राधिकार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
3	कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु प्रधान सचिव (श. वि.वि.) के अधीन एक निगरानी समिति का गठन। (दिशा-निर्देश 2000-01)।	निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं है।
4	किसी कार्य को आरंभ करने से पहले सम्बन्धित स्थानीय निकाय/एजेंसी के द्वारा कार्यों के रखरखाव व अनुरक्षण हेतु प्रावधान को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। (दिशा-निर्देश 2000-01)	योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के भावी रख-रखाव व अनुरक्षण के लिए आश्वासन नहीं।

समापन सम्मेलन (फरवरी 2015) में, विशेष सचिव ने यह आश्वासन किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ एमपीएलएडी स्कीम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार एवं स्कीम दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन हेतु रखी जाएँगी।

2-4-3 ; kst uk ds var xir fu/kkijr dk; k&grq vk; kst uk dk vHkko

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि योजना के अंतर्गत अनुशासित कार्य, रा. रा.क्षे.दि.स. के स्थानीय निकायों एवं विभागों के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों व परियोजनाओं के सामान्य पैटर्न की पुष्टि करें। हालाँकि, दिशा-निर्देशों में विनिर्धारित तरीकों के अनुसार, योजना के अंतर्गत कार्यों की योजना बनाने के लिए स्थानीय निकायों अथवा श.वि.वि. में इस प्रकार का कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। व्यवहार में, विधान सभा सदस्यों ने अल्पावधि उपायों के रूप में अलग से कार्य दर कार्य के आधार पर प्रस्तावों को प्रस्तुत किया और श.वि.वि. ने उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं सरकारी व स्थानीय निकायों के कार्यक्रमों के साथ उनके जुड़ावों को बिना सुनिश्चित किए ही संस्वीकृत किया।

निर्माण कार्यों में तदर्थता के मामले को पिछले प्रतिवेदन में भी उठाया गया। तथापि, श.वि. वि. ने इस संबंध में सुधारक कार्रवाई आरंभ नहीं की।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि एमएलएलैड योजना का मूलतः अर्थ क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है जिसका विधान सभा सदस्यों के द्वारा बेहतर तरीके से आकलन किया जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श.वि.वि. को उन योजना कार्यों को संस्वीकृत करना था जो कि सरकारी एवं स्थानीय निकायों के सामान्य पैटर्न एवं कार्यक्रमों के अनुरूप हों।

2-4-4 iLrkoka dh I dh{kk , oa I Loh—fr

2-4-4-1 iLrkoka dh I efpr I dh{kk dk vHkko

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देश में अनुबन्ध है कि एमएलए अपने द्वारा चयनित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों के जारी होने के लिए प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को कार्य के ब्यौरों, इसके स्थान-निर्धारण, ब्यौरेवार लागत अनुमान एवं योजनागत परिव्यय के साथ लिखित निवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिलेखों की नमूना जाँच से, हालाँकि, यह पता चलता है कि एमएलए के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में अनुमोदित योजनागत परिव्यय, कार्य के विशिष्ट स्थान-निर्धारण एवं ब्यौरेवार लागत अनुमान शामिल नहीं थे। शहरी विकास विभाग ने, विनिर्धारित दस्तावेजों पर बल देने के बजाय प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने के उत्तरदायित्व से अपने आप को मुक्त रखा तथा इस प्रकार की संवीक्षा का दायित्व संस्वीकृत पत्रों में निम्नलिखित शर्तों को सम्मिलित करते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया था:

- (i) कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रस्तावित कार्य के स्थान की जाँच करना था एवं सुनिश्चित करना था कि यह अप्राधिकृत कालोनी में स्थित न हो।
- (ii) कार्यान्वयन एजेंसी तकनीकी एवं वित्तीय संवीक्षा तथा प्रत्येक कार्य के लिए ब्यौरेवार अनुमान के लिए उत्तरदायी होगी।
- (iii) एजेंसियों के द्वारा कार्य के अनुमोदित मदों पर निधियों का उपयोग, स्कीम के पूर्णतया मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

आगे, श.वि.वि. के पास, कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा इन शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि श.वि.वि. में प्रस्तावों की जाँच के तंत्र में और अधिक सुधार अतिरिक्त स्टॉफ को नियोजित करके एवं एमएलएलैड योजना के लिए एक तंत्र को विकसित करके किया जाएगा। इनके उत्तर से स्वयं पुष्टि होती है कि श.वि.वि. में प्रस्तावों की संस्वीकृति देने से पहले समुचित रूप से संवीक्षा नहीं की जाती है।

2-4-4-2 vko' ; d i d'vko' ; drkva dks fcuk I fuf'Pkr fd, dk; k dh I Loh—fr

एमएलएलैड योजना की प्रमुख विशिष्टताओं में से एक विशिष्टता यह है कि जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, स्थानीय निकायों एवं अन्य सरकारी विभागों में लागू विभागीय प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासनिक संस्वीकृति दी जाएगी। हालाँकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चलता है कि श.वि.वि. ने कार्यों को संस्वीकृति देते समय योजना के इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। कुछ दृष्टान्त नीचे दिये गए हैं:

- (i) ₹ 19.53 करोड़ लागत के स्ट्रीट लाइटों के 179 निर्माण कार्यों को 2012-14 के दौरान संस्वीकृति दी गई थी। न तो स्ट्रीट लाइट की अतिरिक्त आवश्यकता का न ही प्रकाशीय उपकरण के विशेष विवरणों को संस्वीकृति से पहले सत्यापित किया गया था।

- (ii) वर्ष 2009-13 के दौरान स्थानीय प्राधिकारियों से बिना आवश्यक अनुमति प्राप्त किए ही सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को हैण्डपम्पों को लगाने के लिए ₹ 94.70 लाख संस्वीकृत किये गये थे। अतः कार्यों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था। निधियाँ सिं. एवं बा.नि.वि. के पास अप्रयुक्त रहीं।
- (iii) भूमि, जहाँ इन कार्यों को पूरा किया जाना था, के स्वामित्व का बिना सत्यापन किए ही सितम्बर 2013 में दो सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए ₹ 2.83 करोड़ की राशि को संस्वीकृत किया गया था। निर्माण कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जा सका क्योंकि भू-स्वामी एजेंसी ने अपनी भूमि पर भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी थी।
- (iv) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पास इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पथों, गलियों एवं सड़कों को तैयार करना नियंत्रण में नहीं आता था, परन्तु शहरी विकास विभाग ने इसे भू-स्वामी एजेंसियों से प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना ही सड़कों, पथों, गलियों इत्यादि को मजबूती प्रदान करने के लिए ₹ 5.73 करोड़ के 24 कार्यों को संस्वीकृत किया।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि संस्वीकृति आदेशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों को भूस्वामी विभागों से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित था। यह उत्तर इसकी पुष्टि करता है कि संस्वीकृतियाँ आवश्यक अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना जारी की गईं जबकि यह पैराग्राफ में उठाए गए अन्य मुद्दों पर कोई जानकारी नहीं देता।

2-4-5 | 1oh-fr; ka ea fn'kk&fun' kka dk mYy'ku

2-4-5-1 j [kj [kko o | qkkj ds fuekZk dk; ks grq | 1oh-fr

योजना दिशा-निर्देश विनिर्धारित करते हैं कि योजना के अन्तर्गत कार्य सरकारी अथवा स्थानीय निकायों की भूमि पर मुख्यतः स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु होना चाहिए। राजस्व प्रकृति एवं परिसम्पत्तियों की मरम्मत व रखरखाव पर व्यय अनुज्ञेय नहीं है। लेखापरीक्षा ने 2012-14³⁵ की अवधि के दौरान योजना व्यय संस्वीकृति का विश्लेषण किया और देखा कि एमएलए की सिफारिशों पर, श.वि.वि. ने इस अवधि के दौरान ₹ 462.17 करोड़ के व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल 4832 कार्यों की संस्वीकृति दी थी। स्कीम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों की प्रकृति एवं स्वीकार्यता के आधार पर, लेखापरीक्षा में इन कार्यों को तीन परस्पर विशिष्ट श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया गया, जैसा कि नीचे rkydk 2-4-1 में दिया गया है:

³⁵2009-12 की अवधि के दौरान शहरी विकास विभाग के द्वारा संस्वीकृत कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

रकfydk 2-4-1% 2012&14 ds nkjku fu"i kfnr fd, x, dk; k& dk foHkktu

₹ djkm+e

Øe l a	en	dk; l dh l d; k	0; ;	i fr'kr
1.	अनुज्ञेय कार्य	1087	122.87	26.59
2.	दिशा-निर्देशों में गैर-विनिर्दिष्ट कार्य	585	61.94	13.40
3.	विद्यमान परिसंपत्तियों के रखरखाव व सुधार हेतु निर्माण कार्य	3160	277.36	60.01
	dy	4832	462.17	100

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सिफारिश एवं संस्वीकृत किए गए कार्यों का प्रतिरूप, सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य रूप से एक समान था, अर्थात् एमएलए ने नई अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रयत्न करने के बजाय विद्यमान संरचनाओं की मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए स्कीम निधियों के उपयोग करने को प्राथमिकता दी। जैसा कि तालिका में दिए गए आँकड़ों से इंगित होता है कि संस्वीकृत निधियों का 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों (जैसे कि पथों, सड़कों, जल-रेखा, सीवर, नालियों इत्यादि की मरम्मत) हेतु उपयोग किया गया था। इस प्रकार का व्यय मुख्यतः राजस्व प्रकृति का था और स्थानीय निकायों के द्वारा उनकी स्वयं की निधियों से पूरा किया जाना था। व्यय का 13 प्रतिशत से अधिक भाग उन कार्यों पर हुआ था, जो स्कीम दिशा-निर्देशों में अनुज्ञेय कार्यों के रूप में नहीं थे। अनुज्ञेय कार्यों हेतु निधियों का केवल 26.59 प्रतिशत संस्वीकृत किया गया था। अनुज्ञेय कार्यों की इस श्रेणी के अन्तर्गत भी, 561 कार्यों को केवल एक शीर्ष- 'पार्कों का विकास' के अन्तर्गत ₹ 35.79 करोड़ (अनुज्ञेय कार्यों के ₹ 122.87 करोड़ की कुल लागत का 41 प्रतिशत) की लागत पर संस्वीकृत किया गया था।

मरम्मत व रखरखाव के कार्यों की संस्वीकृति के मुद्दे को पिछले प्रतिवेदन में भी उठाया गया था। जब कि श.वि.वि. ने इसी प्रकार के कार्यों को नियमित रूप से संस्वीकृत करना जारी रखा।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि सड़कों का प्रबंध, सीवर, नालियों के सुधार को नया कार्य माना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उपबंध है जब कि संदर्भित निर्माण कार्य परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु नहीं थे, बल्कि स्थानीय निकायों की विद्यमान परिसम्पत्तियों में सुधार के लिए थे।

2-4-5-2 vuKs dk; k& dh , drjQk l loh-fr

एमएलएलैड योजना दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि कार्यों की 28 श्रेणियों को समाविष्ट करते हुए अनुज्ञेय कार्यों की एक सूची पर एमएलए के द्वारा सिफारिश की जा सकती है। सूची में कार्यों को विशिष्ट श्रेणियों में शामिल करने का अभिप्राय स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना था कि कार्यों की जिम्मेवारी उन क्षेत्रों में ली गई है जिनमें अतिरिक्त अवसंरचनाओं के निर्माण के द्वारा मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2012-14 के दौरान, 70 एसी में से किसी के लिए भी सूची में शामिल कार्यों की 28 श्रेणियों में से, प्रथम 12 श्रेणियों (जैसे कि विद्यालय भवन का निर्माण, भूमिगत

पथों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सार्वजनिक पुस्तकालयों, विद्यालयों के लिए कम्प्यूटर, सौर ट्रैफिक लाईट, अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार सड़कें, क्रीड़ा-परिसर, इत्यादि) में से एक भी कार्य की, सिफारिश नहीं की गई थी। शेष 16 श्रेणियों में से ₹ 122.87 करोड़ को शामिल करते हुए 1087 कार्यों की सिफारिश की गई थी तथा उसे संस्वीकृत किया गया था। आगे, ₹ 122.87 करोड़ के इस संस्वीकृत व्यय में से केवल छः श्रेणियों के कार्यों अर्थात् बरातघरों, चौपालों, नलकूपों, ऊर्ध्वस्थ विद्युत तारों का स्थानान्तरण, स्ट्रीट लाईटिंग, उद्यानों एवं बैठने की बेंचों के विकास पर ₹ 111.49 करोड़ की धनराशि का व्यय भारत हुआ। केवल इन छः श्रेणियों के कार्यों का अनुज्ञेय कार्यों पर कुल व्यय के 90.66 प्रतिशत का हिसाब दिया गया। अन्य 10 श्रेणियों (जैसे कि सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों, बस स्टॉप, कूड़ा-कचरा संग्रहण केन्द्र, वर्षा जल संचयन तंत्र, सार्वजनिक पुस्तकालयों इत्यादि के लिए अस्पताल-गाड़ियों एवं गश्ती वाहनों का प्रावधान) को केवल 9.34 प्रतिशत का सीमान्त अंश उपलब्ध कराया गया।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि एमएलए स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अथवा सार्वजनिक माँग पर अनुज्ञेय कार्यों में से किसी की भी सिफारिश करने हेतु स्वतंत्र थे तथा आगे कहा कि सूची सुविस्तृत थी जो कि एमएलए के द्वारा उपयोग में लायी गई थी। श.वि.वि. का उत्तर सराहनीय है, परन्तु सरकारी प्राथमिकताओं का एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कार्यों में यथोचित निरूपण भी किया जाना चाहिए था।

2-4-5-3 व्ययों का विवरण

श.वि.वि. ने स्कीम दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट मानकों का पूर्णतया पालन नहीं किया, क्योंकि अनुज्ञेय कार्यों की सूची में गैर-सम्मिलित कार्यों को भी संस्वीकृत किया गया था जैसा कि तालिका 2.4.2 में विवरणित है:

व्ययों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित व्यय (₹ करोड़)	व्यय (₹ करोड़)
1.	द्वार, प्रवेश द्वार, स्वागत द्वार, डिजाइनर गेट,	258	14.43
2.	बस्ती की चारदीवारी	139	13.41
3.	पार्किंग के विकास के लिए आरएमसी उपलब्ध कराना	54	3.71
4.	विभिन्न बस्तियों के चारदीवारों हेतु कँटीलेदार कुण्डलित तारों को उपलब्ध कराना एवं उन्हें जड़ना, और कँटीला घेरा लगाना।।	25	1.50
5.	बेंचें (उद्यानों के अतिरिक्त)	17	2.19
6.	व्यायामशाला	03	3.56
7.	वातानुकूलित बस (दिल्ली छावनी परिषद)	01	0.26
8.	आन्तरिक सड़कों एवं कालोनियों के पथों पर मास्टिक परत	82	21.70
9.	तालाबों, झील का विकास एवं पार्क में भामाशाह की प्रतिमा	06	1.18
10	हाफ हाई मास्ट लाईट	41	1.65
	कुल	626	63.59

विविध श्रेणियों के जो द्वार निर्मित किए गए थे उनकी उपयोगिता तो अल्प थी, परन्तु उनका प्रचार एमएलए की प्रसिद्धि अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए ज्यादा था। दिशा-निर्देश में निर्दिष्ट स्थानों के लिए सेमी हाई मास्ट लाईट (एसएचएमएल)³⁶ और बेंचें³⁷ संस्वीकृत किए गए थे। यह भी उल्लेख किया गया है कि एचएचएमएल साधारणतः प्रयुक्त स्ट्रीट लाईट की अपेक्षा दस गुना ज्यादा मंहगी है और साधारणतः प्रयुक्त स्ट्रीट लाईट की अपेक्षा दस गुना बिजली की खपत करती है। श.वि.वि. ने न तो सुरक्षा और भविष्य में अनुरक्षण के लिए और न ही किसी सिविक एजेंसी को उन्हें सौंपने का प्रबन्ध किया।

पिछले प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद श.वि.वि. ऐसे कार्यों को संस्वीकृति देता रहा।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि प्रवेश द्वारों, चारदीवारी को बनाना, पार्किंग भू-भाग में आरएमसी बिछाना इत्यादि सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत लिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कार्यों को अनुज्ञेय कार्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

2-4-5-4 ckjkr ?kjkr@pkf ky ds fuekzk , oaejEer grq vfu; fer l loh-fr

श.वि.वि. ने विद्यमान संरचनाओं का विध्वंस करने के पश्चात 11 भवनों के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 4.95 करोड़ को शामिल करते हुए सिं. एवं बा.नि.वि. को बरात घरों, चौपालों एवं सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और/अथवा मरम्मत के लिए 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 10.86 करोड़ के 41³⁸ कार्यों को संस्वीकृत किया था। श.वि.वि. को यह सुनिश्चित करना था कि भूमि/परिसंपत्ति कार्यान्वयन एजेंसी के होने चाहिए या भूमि/परिसंपत्ति स्वामी की पूर्व अनुमति कार्य सौंपने के पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए। यद्यपि उपरोक्त मामलों में, न तो भूमि सिं. एवं बा.नि.वि. की थी, न ही भवन निर्माण, पुनर्निर्माण या विध्वंस हेतु भूस्वामी एजेंसियों की सहमति प्राप्त की गई।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि संस्वीकृतियाँ परियोजना के अनुरूप थीं जिन्हें केवल सरकारी/स्थानीय निकायों की भूमि पर कार्यान्वित की जानी थीं। कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा अन्य औपचारिकताएँ जैसे कि भू-स्वामी विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि श.वि.वि. के पास कार्य की संस्वीकृति देने से पूर्व भू-स्वामी विभाग की सहमति सुनिश्चित होनी चाहिए।

2-4-5-5 dk; k&dh l loh-fr ea vl; vfu; ferrk, j

(i) LVtV ykbV dk; % स्कीम दिशा-निर्देशों में अनुबंध है कि स्ट्रीट लाईट का कार्य दिल्ली के नगर निगमों, लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। माँग को सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी के समक्ष सर्वप्रथम रखा जाएगा और यदि 10 दिनों के अन्दर कोई जवाब नहीं मिलता है तो डिस्कॉम्स को शुरू किए गए

³⁶सरकार द्वारा विकसित सड़क के किनारे, पलाईओवर के समीप और अण्डरपासेस, स्टेडियम और गोल्फ मैदान, ट्रक व बस टर्मिनल, पार्किंग स्थल और मार्केट कॉम्प्लेक्स,

³⁷सरकार द्वारा विकसित सड़क के किनारे, पलाईओवर के समीप और अण्डरपासेस, स्टेडियम और गोल्फ मैदान, ट्रक व बस टर्मिनल, पार्किंग स्थल और मार्केट कॉम्प्लेक्स,

³⁸सिं. एवं बा.नि.वि. के द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार

कार्य को लेने के लिए कहा जाएगा और उसका भुगतान सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी को सूचित करते हुए सीधे डिस्कॉम्स को किया जाएगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा, हालाँकि, दर्शाती है कि श.वि.वि. ने 2009-14 के दौरान सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के माध्यम से माँग को बिना प्रकाश में लाए और बिना औपचारिक समझौता किए ही केवल संस्वीकृत पत्रों के माध्यम से सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए 133³⁹ कार्यों को सीधे डिस्कॉम्स को सौंप दिया था। श.वि.वि. ने भी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी को बिना सूचित किए ही डिस्कॉम्स को सीधे ₹ 23.86 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था।

सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि प्रत्येक आकलन पर विशेषज्ञ तकनीकी समिति के द्वारा विधिवत् सुविचार किया गया था जिसमें सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी से भी एक सदस्य शामिल किया गया था। आगे यह भी कहा डिस्कॉम्स भू-स्वामी एजेंसी से अनुमति/अनापत्ति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देश सुस्पष्ट रूप से स्ट्रीट लाईट कार्य के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करता है एवं श.वि.वि. को कार्यों की संस्वीकृति से पूर्व सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अनुबंध के गैर-कार्यान्वयन एवं कम्पनियों के अग्रिम भुगतान पर उत्तर मौन है।

(ii) , pVh@, yVh rkjkdL FkkukUrj.k% लेखापरीक्षा में डिस्कॉम्स को विद्युत लाईनों के स्थानांतरण के 58⁴⁰ कार्यों की सुपुर्दगी में वर्तमान नियमों व प्रक्रियाओं के उल्लंघन पाए गए :

- निर्माण कार्यों को बिना किसी औपचारिक समझौते या कार्यादेश के संस्वीकृति आदेशों के माध्यम से सौंपा गया।
- सा.वि.नि. का उल्लंघन करते हुए ₹ 13.34 करोड़ का अग्रिम भुगतान, उनके द्वारा तैयार किए गए अनुमान के आधार पर किया गया था जिसका समायोजन नहीं किया गया।
- डिस्कॉम्सों द्वारा प्रस्तुत अनुमान डीएसआर पर आधारित नहीं थे, जैसा कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निर्धारित किया गया है।
- कार्यों के क्रियान्वयन में डिस्कॉम्सों ने सा.वि.नि. में निर्धारित खुली निविदा के प्रावधानों का पालन नहीं किया जैसा कि संस्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट है।
- श.वि.वि. ने संस्वीकृत कार्यों का समापन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया, न ही यह सत्यापित किया कि ये कार्य अनुमोदित विनिर्दिष्टाओं के अनुसार पूर्ण किए गए।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि डिस्कॉम्स ने प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दरों की सूची पर बजट प्राक्कलन को तैयार किया था, जैसा कि डीईआरसी के द्वारा अनुबंध किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट प्राक्कलन डीएसआर के अनुसार होना चाहिए जैसा कि योजना दिशा-निर्देशों में अनुबंधित है। इसके अतिरिक्त, श.वि.वि. ने आधिकारिक रूप से डिस्कॉम्स के पक्ष में इस शर्त की छूट नहीं दी थी। पैराग्राफ में उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में बताया नहीं गया।

³⁹डिस्कॉम्स के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार

⁴⁰डिस्कॉम्स के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार

(iii) 100% स्कीम दिशा-निर्देशों में सरकारी भूमि पर 20 वर्षों से अधिक स्थायित्व वाले पोर्टा केबिनों की व्यवस्था की अनुमति है। 2009-14 की अवधि के दौरान, श.वि.वि. ने एनडीएमसी को विभिन्न स्थानों पर ₹ 2.75 करोड़ की लागत वाले 112 पोर्टा केबिनों के निर्माण की संस्वीकृति दी थी। श.वि.वि. के द्वारा किसी दस्तावेज की जाँच यह प्रमाणित करने के लिए नहीं की गई थी कि प्रस्तावित पोर्टा केबिनों का स्थायित्व 20 वर्षों से अधिक है। आरडब्ल्यू को पोर्टा केबिनों के आवंटन हेतु कसौटी का भी निर्धारण नहीं किया गया था एवं इन केबिनों को न तो सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया गया था न ही उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक रूप से आवंटित किया गया था।

अपने उत्तर में, एनडीएमसी ने कहा (मार्च 2015) कि पोर्टा केबिन संरचना एमएस स्टील से निर्मित की गई थी एवं एंगिल्स 20 वर्षों के लिए डिजाइन किए गए थे तथा आरडब्ल्यू को उनके उपयोग के लिए सौंप दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इनके स्थायित्व से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र अथवा दस्तावेज श.वि.वि. को नहीं सौंपा गया था और पोर्टा केबिनें उचित रूप से उपयोगकर्ताओं को आवंटित नहीं की गई थीं।

(iv) श.वि.वि. ने सामान्य वित्तीय नियम 159(I) का उल्लंघन करते हुए सीधे एक निजी कम्पनी को 2012-14 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 165 नवीकरण ऊर्जा सहायता प्राप्त पम्पों को उपलब्ध कराने एवं अधिष्ठापित करने हेतु ₹ 9.90 करोड़ अग्रिम के रूप में जारी किया था। हालाँकि, इसने यह सत्यापित नहीं किया कि विक्रेता ने पम्पों को अधिष्ठापित कर दिया है।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि पम्पों को अधिष्ठापित किया गया था एवं समापन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था। उत्तर से अभिपुष्टि होती है कि श.वि.वि. के पास निर्माण कार्य के समापन को सत्यापित करने के लिए स्वयं का साधन नहीं था।

2-4-6 वास्तविक धनराशि

वर्षवार बजट परिव्यय तथा 2009-14 की अवधि के दौरान स्कीम के अंतर्गत श.वि.वि. द्वारा जारी की गई वास्तविक धनराशि 2-4-3 में दी गई है:

वास्तविक धनराशि 2-4-3 में दी गई है: ₹ करोड़

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
अनुमोदित परिव्यय	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	980.00
संशोधित परिव्यय	198.00	140.00	280.00	330.00	280.00	1228.00
वास्तविक जारी राशि*	186.74	111.77	260.82	300.75	279.90	1139.98

स्रोत: अनुदानों की माँग तथा जैसा श.वि.वि. द्वारा प्रदान किया गया। *वास्तविक व्यय पर सूचना श.वि.वि. के पास उपलब्ध नहीं थी।

2-4-6-1 , tfl ; ka }kjk ys[kka dh iLrfr dh fuxjkuh grq dkbz iz kkyh u gkuu

क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियाँ प्रति कार्य के आधार पर इस शर्त के साथ जारी की गई कि एजेंसी को किए गए निर्माण कार्य के विवरण सहित निर्वाचन क्षेत्रवार लेखे प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यद्यपि यह पाया गया कि श.वि.वि. के पास इन लेखों तथा कार्यों का विवरण तथा इन प्रतिवेदनों का आगे प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई सांस्थानिक प्रणाली नहीं थी।

2-4-6-2 , e, y, yM ; kstuk fuf/k; ka dks xj & 0; i xeuh; cukus ea 'k-fo-fo- dh vl Qyrk

स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम की निधियाँ गैर-व्यपगमनीय समझी जाएँ तथा एक वर्ष जारी न की गई धनराशि अगले वर्ष प्रयोग की जा सकती है। यद्यपि, श.वि.वि. ने स्कीम की निधियों को गैर-व्यपगमनीय बनाने हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की, परिणाम स्वरूप जारी न किया गया बजट आबंटन एक वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत हो जाता है। अगले वर्ष में बजट आबंटन 70 वि.स.स. की कुल वार्षिक पात्रता तक सीमित हो जाता है तथा पिछले वर्ष जारी न की गई निधियों के लिए कोई अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जाता। वर्ष 2013-14 के दौरान, वि.स.स. ने ₹ 315.17 करोड़ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जबकि प्रस्ताव वि.स.स. की संचयी पात्रता के पूर्णतया अन्तर्गत था परंतु श.वि.वि. मात्र ₹ 279.90 करोड़ जारी कर सका क्योंकि उस वर्ष के बजट में ₹ 280 करोड़ मात्र का ही आबंटन था। इस प्रकार, 404 संस्वीकृत कार्यों हेतु ₹ 35.27 करोड़ की निधि जारी नहीं की जा सकी। 2009-14 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श.वि.वि. को ₹ 43.30 करोड़ वापिस किए गए जिसे श.वि.वि. द्वारा घटाएँ-वसूलियाँ शीर्ष के अंतर्गत जमा किया गया जिसमें से व्यय की अनुमति नहीं है। इस स्थिति से बचा जा सकता था यदि श.वि.वि. ने इस संबंध में एमपीएलएडीएस दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया होता और वार्षिक बजट आबंटन और वापिस की गई धनराशि एक समर्पित बैंक खाते में स्थानांतरित करना प्रारंभ किया होता और इस स्कीम के सभी वित्तीय मामलों का प्रबंध इसी बैंक खाते के माध्यम से किया होता।

इसके उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) की जब और जैसे अधिक निधियों की आवश्यकता हो, वित्त विभाग तुरंत आवश्यक निधियाँ आबंटित कर देता था। यह उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।

2-4-6-3 dk; kll; u , tfl ; ka dks fuf/k; ka ds gLrkrj .k dh vi ; klr iz kkyh

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि स्कीम की निधियाँ वेतन व लेखा कार्यालय द्वारा आरटीजीएस से कार्यान्वयन एजेंसियों के मुख्य बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती हैं। यद्यपि निधियों के निर्गमन का कोई कार्रवाई या एजेंसीवार आँकड़ा/अभिलेख नहीं रखा गया तथा निधियों के इन हस्तांतरण की कोई औपचारिक सूचना कार्यान्वयन एजेंसियों को श.वि.वि. द्वारा नहीं दी गई। कार्यान्वयन एजेंसियों ने भी निधियों के कार्यवार तथा तिथिवार आंकड़ा/अभिलेख नहीं रखा क्योंकि श.वि.वि. ने उन्हें ये सूचनाएँ संप्रेषित नहीं की। श.वि.वि. में संस्वीकृत कार्यों की स्थिति, निर्गत निधियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त निधियों

के समाधान हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। दि.न.नि. ने यह भी माना कि वर्तमान में इस बात से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि श.वि.वि. द्वारा जारी सभी निधियों को समुचित ढंग से उनके बैंक खाते में डाला गया और श.वि.वि. द्वारा प्रत्येक संस्वीकृत कार्य हेतु निधियाँ जारी कर दी गई हैं।

समापन सम्मेलन में श.वि.वि., दि.न.नि. तथा दि.ज.बो. ने संस्वीकृत कार्यों, जारी की गई धनराशि तथा आवधिक समाधान के आंकड़ों के व्यवस्थित रखरखाव हेतु एक समुचित प्रणाली निर्मित करने का आश्वासन दिया।

2-4-6-4 dk; k\lo; u , t\fl ; k\ ds i kl v0; f; r fuf/k ds mi ; ksx grq dkbz iz kkyh u gkuk

श.वि.वि. के पास कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त निधियों के बारे में कोई सूचना नहीं थी। यद्यपि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सूचना ने दर्शाया कि 2009-14 के दौरान श.वि.वि. द्वारा जारी की गई निधियों में से 31 मार्च 2014 तक उनके पास ₹ 304.33⁴¹ करोड़ अप्रयुक्त पड़े थे, जिसके अतिरिक्त दि.न.नि. द्वारा बैंक ब्याज के रूप में ₹ 30.80 करोड़ अर्जित किया गया, जिसका विवरण rkfydk 2-4-4 में है।

rkfydk 2-4-4% f0; k\lo; u , t\fl ; k\ ds i kl v0; f; r vf/k' k's'kka dk fooj . k

(₹ djkm+e9)

Ø-I -	, t\fl h ⁴²	fooxdk/khu fuf/k; k;		vfuo; l fuf/k; k	
		vi; ð /kujk' k	v\tr C; kt	vi; ð /kujk' k	v\tr C; kt
1	उत्तरी दि.न.नि.	54.23	10.46	5.94	3.02
2	दक्षिणी दि.न.नि.	92.40	8.32	14.06	3.51
3	पूर्वी दि.न.नि.	52.64	4.31	10.48	1.24
4	दि.ज.बो.	7.15	-	45.59	-
5	न.दि.न.पा.	7.76	-	4.00	-
6	दि.छा.बो.	2.20	-	2.19	-
7	डिस्कॉम	5.69	-	-	-
	dy	222.07	23.09	82.26	7.71

अव्ययित निधियों को अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था यदि श.वि.वि. ने कार्यों की समाप्ति के तुरंत बाद अप्रयुक्त निधियाँ वापिस प्राप्त करने की एक प्रणाली बनाई होती।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2014 तक ₹147.20⁴³ करोड़ दि.न.नि. के गैर-प्रचालनीय बैंक खाते

⁴¹इसमें चालू कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि सम्मिलित हो सकती थी।

⁴²सि.बा.नि.वि. ने एम एल ए एल ए डी एस के लिए पृथक बैंक खाता नहीं रखा।

⁴³न.दि.न.पा.— ₹ 52.86 करोड़, द.दि.न.नि.— ₹ 59.97 करोड़, पू.दि.न.नि.— ₹ 34.37 करोड़

(तीसरी विधान सभा के) में अनुत्पादक पड़े रहे। इसी प्रकार, दि.ज.बो. के पास भी ₹ 4.78 करोड़ अप्रयुक्त पड़े रहे।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

2-4-6-5 Ldhe fuf/k; k; dh c; dx grq fu/kk; jr iz.kkyh dk ikyu u fd; k tkuk

स्कीम दिशा-निर्देश कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्येक वि.स.स. हेतु पृथक बैंक खाता खोलने की अपेक्षा करते हैं। यद्यपि दि.ज.बो., न.दि.न.पा. तथा डिस्कॉमों ने स्कीम के लिए पृथक बैंक खाते नहीं खोले और अपने प्रमुख बैंक खातों में निधियाँ प्राप्त की। यद्यपि दि.न.नि. ने पृथक बैंक खाते खोले परंतु श.वि.वि. उनके प्रमुख बैंक खातों में ही निधियाँ जारी कर रहा था। सिं. एवं बानि.वि. सरकारी खाते में स्कीम निधियाँ प्राप्त की तथा दि.कै.बो. ने एमएलएलैड योजना व एमपीलैड योजना हेतु एक बैंक खाता रखा था। किसी भी एजेंसी ने कार्यवार खाता लेखों का रखरखाव नहीं किया था।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को प्रत्येक वि.स.स. के लिए पृथक बैंक खाता खोलने हेतु एक परिपत्र जारी किया गया है।

2-4-6-6 0; ; djus dh nk;ki w kz iz.kkyh

दि.न.नि. में एमएलएलैड योजना के कार्यों हेतु व्यय करने की प्रणाली पर किए गए अध्ययन से पता चला कि कार्य संबंधित विभागों द्वारा श.वि.वि. द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों के आधार पर यह तय किए बिना सौंप दिए जाते थे कि श.वि.वि. से उस कार्य विशेष के लिए निधियाँ दि.न.नि. के वित्त खण्ड को प्राप्त हो गई हैं। इसके अतिरिक्त कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को भुगतान हेतु निधियाँ वित्त खण्ड द्वारा संबंधित विभाग को उस कार्य विशेष के लिए निधि की वास्तविक प्राप्ति की पुष्टि किए बगैर जारी कर दी गई। उदाहरण के लिए सितम्बर से अक्टूबर 2013 के दौरान श.वि.वि. ने ₹ 35.27 करोड़ के 404 कार्यों के लिए संस्वीकृति आदेश जारी किए परंतु निधियाँ जारी नहीं की और ये सभी संस्वीकृतियाँ निरस्त कर दी (जून 2014)। इस बीच दि.न.नि. ने इन कार्यों में से 261 सौंप दिए और श.वि.वि. द्वारा अन्य कार्यों के लिए जारी की गई निधियों में से ठेकेदारों को ₹ 13.77 करोड़ का भुगतान किया।

दि.ज.बो. में एमएलएलैड योजना निधियों को दि.ज.बो. के वित्त खण्ड द्वारा संबंधित विभागों को अग्रिम में आबंटन किया जा रहा था, परंतु इन आबंटनों के विरुद्ध वास्तविक व्यय का कोई भी विवरण संबंधित विभाग द्वारा वित्त खण्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद दि.न.नि. ने प्रक्रिया के सुधार का आश्वासन दिया।

2-4-6-7 vfuok; l fuf/k; k; dk vufpr <x l s i; d; k o mi ; k; x

मंत्रिपरिषद ने जून 2010 में अनुमोदन किया कि प्रत्येक वि.स.स. की स्कीम निधियों (उस समय प्रति वि.स.स. प्रति वर्ष ₹ 2.00 करोड़ था) को दो भागों ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक को अनिवार्य निधि व विवेकाधीन निधि में बाँटा जाएगा। अनिवार्य निधि को सीधे दि.न.नि., न.दि.न.पा., तथा दि.छा.बो. को जारी किया जाना अपेक्षित था और इन एजेंसियों को वि.स.स. द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों के लिए संस्वीकृति आदेश जारी करना और श.वि.वि. को मासिक व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तदनंतर सितम्बर 2012 में मंत्रिमण्डल ने इस तथ्य

के बावजूद, कि 2009-10 से 2011-12 की अवधि में जल तथा स्वच्छता कार्यों की औसत माँग प्रति वि.स.स. प्रति वर्ष मात्र ₹ 8.59 लाख थी, जल व स्वच्छता कार्यों हेतु दि.न.नि. के बजाय दि.ज.बो. को प्रति वि.स.स. प्रति वर्ष मात्र ₹ 1.00 करोड़ की अनिवार्य निधि जारी करने का निर्णय लिया। न.दि.न.पा. और दि.छा.बो. के लिए यह घटक वही रहा। तदनुसार श.वि.वि. ने 2010-12 के दौरान दि.न.नि. को ₹ 136 करोड़, दि.ज.बो. को 2012-14 के दौरान ₹ 136 करोड़ और न.दि.न.पा. और दि.छा.बो. में से प्रत्येक को ₹ 4 करोड़ जारी किए गए। दि.न.नि. तथा दि.ज.बो. ने चालू परिसंपत्तियों की नैतिक मरम्मत व रखरखाव के लिए इन निधियों का उपयोग किया। न.दि.न.पा. ने निधियों का उपयोग नहीं किया और दि.छा.बो. ने इसका उपयोग अननुमन्य माल मदों को प्राप्त करने हेतु किया, जैसे कि बस, वातानुकूलित्र, ई-टायलेट, ट्रेक्टर, व्यायामशाला उपकरण, इत्यादि, जो स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति आदेशों के अनुसार एजेंसियों को स्कीम निधियों के अनिवार्य अंश के लिए प्रत्येक सदस्य हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलना अपेक्षित था और अनिवार्य निधियों को विवेकाधीन निधियों के खातों के साथ मिलाया नहीं जाना था। यद्यपि केवल दि.न.नि. ने इन आदेशों का अनुपालन किया। हालाँकि, दि.ज.बो. व न.दि.न.पा. ने इन निधियों को अपने सामान्य खाते में जमा किया, परन्तु दि.ज.बो. ने इन निधियों को विवेकाधीन निधियों के साथ मिला दिया।

सरकार ने बताया (फरवरी 2015) कि कार्यान्वयन एजेंसियाँ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर प्रस्तुत करेंगी। तथापि अब तक दि.ज.बो. तथा दि.न.नि. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अप्रैल 2015)।

2-4-7 dk; k\lo; u , t\fl ; k\ ds }kjk fuekZk dk; k\ dk fu"i knu

2009-14 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए कुल 10821 निर्माण कार्यों में से लेखापरीक्षा ने सिं. एवं बा.नि.वि., दि.न.नि., दि.ज.बो. एवं न.दि.न.पा. के 59 मण्डलों में 933⁴⁴ निर्माण कार्यों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा में निर्माण कार्यों के निष्पादन में पायी गई अनियमितताओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) विक्र/क-र 0; ; % स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार, व्यय संस्वीकृत राशि से कदापि अधिक नहीं होना चाहिए। कार्यों के लिए श.वि.वि. के द्वारा जारी की गई संस्वीकृतियाँ इस शर्त के साथ थीं कि रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिना अनुमोदन के निधियों को एक कार्य से दूसरे कार्य में लगाया नहीं जाएगा। हालाँकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गई सूचनाओं के अनुसार, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली जल बोर्ड ने शहरी विकास विभाग के बिना पूर्व अनुमोदन के 23 निर्माण कार्यों⁴⁵ में संस्वीकृत की गई राशि से ₹ 69.41 लाख के आधिक्य का व्यय किया था।

अपने उत्तर में, दि.ज.बो. ने कहा (मार्च 2015) कि आधिक्य की राशि का भुगतान अपने निजी संसाधनों से किया था। हालाँकि, उत्तर सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि दि.ज.बो. ने एमएलएलैड के लिए अलग खाता नहीं तैयार किया था।

⁴⁴सिं. एवं बा.नि.वि.-232, दि.न.नि.-633, दि.ज.बो.-50 एवं नई दि.न.पा.-20

⁴⁵दि.ज.बो.-10 निर्माण कार्यों के लिए ₹19.74 लाख एवं सिं. एवं बा.नि.वि.-13 कार्यों के लिए ₹ 69.40 लाख

(ii) I Loh-r fuekZ k dk; k& dks j l @cn djuk% योजना दिशा-निर्देशों में श.वि.वि. के बिना अनुमोदन के संस्वीकृत कार्यों को रद्द/बंद करने के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, सिं. एवं बा.नि.वि. तथा दि.ज.बो. ने ₹ 33.17 करोड़ के 422 कार्यों को सौंपने के पश्चात् या तो प्रारम्भ नहीं किया अथवा बंद नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ। इन कार्यों के लिए स्वीकृत निधियाँ एजेंसियों के पास पड़ी थीं।

अपने उत्तर में, सिं. एवं बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2015) कि कार्यों को अतिक्रमण, अदालती मामलों के कारण एवं एमएलए के अनुरोध पर बंद अथवा रद्द कर दिया गया था। हालाँकि, सिं. एवं बा.नि.वि. ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्यों इन कार्यों को बन्द/रद्द करने से पूर्व श.वि.वि. की अनुमति प्राप्त नहीं हो पायी थी।

(iii) fuekZ k dk; k& ds l eki u ea gpl njh% योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षित है कि श.वि.वि. के द्वारा निधियों के जारी होने के पश्चात् 60 दिनों की अवधि के अन्दर स्थापित प्रक्रिया एवं निर्णय कार्य आदेश के अनुसार सभी प्रारंभिक कदमों को उठाएँ। सिं.एवं बा.नि.वि., दि.न.नि. तथा दि.ज.बो. के अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि 753 कार्यों को श.वि.वि. से संस्वीकृतियों की प्राप्ति के 62 से 804 दिनों के पश्चात् सौंपा गया। यह भी पाया गया कि सितम्बर 2014 तक 1049 निर्माण कार्यों को देरी से पूर्ण किया गया अथवा 60 महीनों की रेंज में विलंब से चल रहे थे। श.वि.वि. ने यद्यपि कार्यों को समाप्त करने में हुई देरी से बचने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की बावजूद कि पिछले प्रतिवेदन में इसे इंगित किया गया था।

अपने उत्तर में कार्यान्वयन एजेंसियों ने कहा (मार्च 2015) कि प्राशासनिक कारणों, भू-स्वामी एजेंसियों से अनुमति न मिलना, बाधाओं, विवाद एवं अदालती मामलों इत्यादि के कारण देरी हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों में उपबंध है कि कार्यान्वयन एजेंसियाँ कार्य को सौंपने से पूर्व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियाँ करें।

(iv) fufonkvk& dks vkef=r fd, fcuk dk; k& dks l k& uk% दि.न.नि. के आदेशों के अनुसार, ₹ 5.00 लाख तक की लागत के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्य को बिना निविदा आमंत्रित किए इकाई दर विधि (इ.द.वि.) पर सौंपा जा सकता है। हालाँकि, यह पाया गया कि ₹ 13.83 करोड़ के 322 निर्माण कार्यों को गलियों में रेडी मिक्स कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट खड़जा बिछाने तथा नालियों के विकास के लिए इकाई दर विधि के माध्यम से सौंपा गया था लेकिन इन निर्माण कार्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के मानने का कोई प्रमाण अथवा औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया था।

दि.न.नि. ने सूचित किया (मार्च 2015) कि इकाई दर विधि प्रणाली समीक्षा के अन्तर्गत थी एवं केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों में इ.द.वि. के प्रयोग के लिए आवश्यक निर्देश दिये गए थे।

(v) fuekZ k dk; k& dk vi kf/k-r fu"i knu% अप्राधिकृत कालोनियों में जहाँ स्कीम निर्माण कार्य अनुज्ञप्त नहीं थे, सिं. एवं बा.नि.वि. के द्वारा ₹ 58.71 लाख के पाँच निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया था।

अपने उत्तर में, सिं. एवं बा.नि.वि. ने कहा (मार्च 2015) कि निर्माण कार्य अप्राधिकृत नियमित कॉलोनी में किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन कॉलोनियों को सरकार के द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है।

(vi) fuekZk dk; k&dh vi kf/k-r l Loh-fr , oafu"i knu%राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं आवासीय भवनों के कार्य, स्कीम के अन्तर्गत अनुमत नहीं हैं। हालाँकि, नई दिल्ली नगर पालिका ने सरकारी भवन परिसरों जैसे कि सीजीएचएस औषधालय, तीन मूर्ति एवं अशोक पुलिस लाइन्स, और पी एण्ड टी कालोनी में ₹ 3.24 करोड़ के निर्माण कार्यों को निष्पादित किया। इसके उत्तर में न.दि.न.पा. ने बताया (मार्च 2015) कि कार्यों को सरकारी भवन के सामान्य क्षेत्र में क्रियान्वित किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट कार्यों को केन्द्र सरकार के कार्यालय परिसरों में क्रियान्वित किया गया।

आगे यह देखा गया कि लक्ष्मीबाई नगर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी का कार्य क्षेत्र के वि.स.स. की सिफारिश पर जून 2013 में ₹ 45.54 लाख पर संस्वीकृत किया गया, परन्तु कार्य को चौथी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान नहीं सौंपा गया। स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे मामले में कार्यों को क्षेत्र के नए वि.स.स. की सहमति से ही सौंपा जाना अपेक्षित था। यद्यपि, न.दि.न.पा. ने इन कार्यों को मार्च 2014 में नए वि.स.स. की सहमति माँगे बगैर सौंप दिया।

श.वि.वि.ने कहा कि वर्तमान एमएलए की स्वीकृति संभव नहीं थी क्योंकि 5वीं विधानसभा निलंबित थी तथा राष्ट्रपति शासन लागू था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विशिष्ट आदेश जारी किए गए थे जिसमें एमएलए को 5वीं विधान सभा के निलंबन की अवस्था में भी एमएलएलैड योजना का अपने विवेकाधिकार से प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी।

2-4-8 vkrfjd fu; &.k

आंतरिक नियंत्रण लागू नियमों व विनियमों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का पर्याप्त आश्वासन प्रदान करता है। प्रतिवेदन में इंगित किए जा चुके मामलों के अलावा आंतरिक नियंत्रण में निम्न कमियाँ पाई गई :

2-4-8-1 l Loh-r dk; k& ds vfHkys[kka dk xj &vuuj {k. k

दिल्ली विधानसभा (द्वितीय विधानसभा) की लोक लेखा समिति ने अपनी नौवीं प्रतिवेदन में सिफारिश की श.वि.वि. को एक प्रणाली का सृजन करना चाहिए जिससे अभिलेखों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित हो तथा उन्हें जब और जहाँ लागू हो लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाए। लो.ले.स. से निर्देशों के बावजूद श.वि.वि. ने स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यों तथा जारी निधियों के आगत-निर्गत आंकड़ों को दर्ज करने के व्यवस्थित रखरखाव हेतु प्रणाली निर्मित नहीं की। श.वि.वि. वि.स.स. से प्रस्तावों की प्राप्ति की तिथियाँ दर्ज करने की रजिस्टर, आदेश संख्या तथा तिथि कार्य तथा निर्गत निधियों (एजेंसी तथा तिथि के क्रम से) का विवरण जैसे मूलभूत अभिलेख भी प्रदान नहीं कर पाया जो स्कीम के क्रियान्वयन के प्रति असंवेदनशील रवैया तथा विधानसभा की उपेक्षा को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त श.वि.वि. ने न तो स्कीम के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्ति हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया, न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसा करने को कहा। स्कीम निधियों से अधिप्राप्त मदों

हेतु स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया।

सरकार ने बताया (फरवरी 2014) कि वि.स.स. वार सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और सभी एजेंसियाँ परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव कर रही हैं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग की वेबसाइट पर केवल संस्वीकृति की प्रतियाँ ही अपलोड की गई हैं जबकि आंकड़ा/अभिलेख का श.वि.वि. द्वारा व्यवस्थित ढंग से रखरखाव होना चाहिए था। जहाँ तक परिसंपत्ति रजिस्टर की बात है, क्षेत्र दौरों में पाया गया कि कोई भी एजेंसी परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं कर रही थी।

2-4-8-2 ys[kki jh{kk grq i z kkyh dk vHkko

यद्यपि संस्वीकृति आदेशों हेतु सा.वि.नि. के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे, उपयोग प्रमाण पत्र, तथा व्यय विवरण लेखापरीक्षा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। श.वि.वि. ने स्कीम निधियों व उ.प्र. की प्रस्तुति हेतु कोई एजेंसी या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की।

सरकार ने कहा (फरवरी-2015) कि रा.रा.क्षे.दि.स. के पास अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा विंग है और वार्षिक आधार पर अलग से स्कीम की लेखापरीक्षा कराए जाने के मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. लेखापरीक्षा निदेशालय के साथ लिया जा रहा है।

2-4-8-3 fuxjkuh i z kkyh

योजना के अन्तर्गत परियोजनाएँ शहर के विभिन्न भागों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही थीं। हालाँकि, कोई संस्थावार प्रणाली परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए श.वि.वि. में स्थापित नहीं पायी गई जैसा कि नीचे वर्णित है:

- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा श.वि.वि. को अपेक्षित तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति की निगरानी तथा इसे सुनिश्चित करने तथा जैसा कि स्कीम दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित है, उनका मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई गई।
- श.वि.वि. द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना विभाग को मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा कि संस्वीकृति पत्रों में विनिर्दिष्ट है।
- श.वि.वि. ने कार्यान्वयन एजेंसियों से क्रियान्वित कार्यों का विवरण तथा कार्यों की संतोषजनक ढंग से पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र कभी प्राप्त नहीं किया जैसा कि संस्वीकृतियों में विनिर्धारित है। ऐसे मामले पाए गए जिनमें कई संस्वीकृत कार्यों को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु अभिलेख दर्ज नहीं किया गया था। दि. न.नि. ने यह भी पुष्टि की कि कोई आश्वासन प्राप्त नहीं था कि प्रत्येक संस्वीकृत कार्य उनके द्वारा क्रियान्वयन के लिए लिया ही गया हो और किसी संस्वीकृत कार्य को चिह्नित किए बिना नहीं छोड़ा गया।

इस प्रकार, श.वि.वि. में योजना के लिये कोई निगरानी तंत्र विद्यमान नहीं था। स्कीम के क्रियान्वयन की अपर्याप्त निगरानी के संबंध में मामला भी पिछले प्रतिवेदन में उठाया गया। यद्यपि, श.वि.वि. ने निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कोई कार्यवाही शुरु नहीं की।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों की समुचित निगरानी की जाती है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उठाए गए मुद्दों में से किसी की भी चर्चा नहीं करता है।

2-4-9 I kołtfud I ɣuk iz.kkyh

2-4-9-1 vi wkl I kołtfud I ɣuk iz.kkyh

केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेशों के अनुसार, श.वि.वि. एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के अन्तर्गत संस्वीकृत और निष्पादित किए गए कार्यों का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि श.वि.वि. ने सूचना अपलोड करने के लिये अपनी वेबसाइट अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों की वेबसाइट पर किसी प्रारूप को निर्धारित नहीं किया। श.वि.वि. अपनी वेबसाइट पर केवल संस्वीकृत आदेशों की प्रति अपलोड कर रहा था। यद्यपि, दि.न.नि. और दि.ज.बो. ने अपनी वेबसाइटों पर कुछ विवरण अपलोड किए, सार्वजनिक हित के लिये महत्वपूर्ण जानकारी को अपलोड नहीं किया गया था जैसे कि संस्वीकृत आदेशों की संख्या, संविदागत राशि और कार्य के समापन की निर्धारित तिथि।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (फरवरी 2015) कि वह अपनी वेबसाइट पर संस्वीकृत कार्यों की सूचना को नियमित रूप से अपलोड कर रहा था। कार्यान्वयन एजेंसी से भी कहा जा चुका है कि वे अपनी वेबसाइट पर नियमित रूप से सूचना का अद्यतन करें। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल श.वि.वि. ने अपनी वेबसाइट पर संस्वीकृतियों की प्रति अपलोड की थी।

2-4-9-2 dltæh; I ɣuk vk; ks ds vkn's kka dh xj &vuq kyuk

शिकायतों का निपटान करते समय, मुख्य सूचना आयोग (मु.सू.आ.) ने रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया था (फरवरी 2011), जिसमें एमएलएलैड योजना के अन्तर्गत संबंधित विधानसभा सदस्यों द्वारा व्यय का ब्यौरेवार वर्णन हो और बोर्ड पर भी विभाग की वेबसाइट के पेज से सही लिंक/यू.आर.एल का उल्लेख हो, जहाँ पर सूचना देखी जा सके। बोर्ड पर पूर्व वर्ष के समापन के छः माह के अन्दर सूचना का प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाना था। श.वि.वि. ने इस कार्य को सिर्फ 2009-11 की अवधि के लिये ₹ 86.80 लाख की लागत पर जनवरी 2012 में पूरा किया। हालाँकि, इन बोर्डों पर 2011-14 की अवधि के लिये व्यय का विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया था और वेबसाइट के पेज के लिये कोई लिंक/यू.आर.एल उल्लिखित नहीं था। वास्तव में, श.वि.वि. की वेबसाइट पर इस प्रकार का कोई पेज उपलब्ध नहीं था। 32 मामलों में, व्यय का विवरण निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर के स्थानों में प्रदर्शित किया गया था।

अपने उत्तर में, श.वि.वि. ने कहा (फरवरी 2015) कि मु.सू.आ. के आदेश का पालन किया जाएगा।

2-4-10 fu"d"kl

श.वि.वि. ने अपनी भूमिका को किसी भी कार्यों के लिए केवल संस्वीकृति एवं निधियों के जारी करने तक सीमित रखा, जो कोई कार्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा सिफारिश किया जाता था। सिफारिश किये गये कार्यों की स्वीकार्यता के संबंध में श.वि.वि. में प्रस्तावों की संवीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य निर्माण कार्यों की संस्वीकृति पर कोई जाँच नहीं की गई थी। योजना की शुरुआत नई स्थायी परिसंपत्तियों और अवसंरचना के सृजन के लिये की गयी थी, लेकिन 60 प्रतिशत निधियाँ चालू परिसम्पत्तियों की मरम्मत व रखरखाव के लिए उपयोग की गई जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित था। निधि प्रबंधन अपर्याप्त था क्योंकि कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास अव्ययित राशि व्यर्थ पड़ी हुई थी। यद्यपि योजना दिशा निर्देशों में योजना निधियों के व्ययगत न होने का उल्लेख है, योजना निधियों पर विचार करने एवं उसे गैर-व्ययगमनीय बनाने के लिये कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप, एक वित्तीय वर्ष की अप्रयुक्त निधियाँ आगामी वर्षों में योजना के लिए उपलब्ध नहीं थीं। निधियाँ जारी होने के पश्चात, श.वि.वि. और कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य बिल्कुल कोई संबंध नहीं था। यहाँ यह जानने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी कि क्या श.वि.वि. के द्वारा समस्त संस्वीकृत निर्माण कार्यों को निष्पादन के लिए ले लिया गया है तथा पूरा कर दिया गया है। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर निगरानी के लिए निगरानी तंत्र नहीं था।

2-4-11 fl Qkfj'ka

सरकार को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए:

- (i) एमपीलेड योजना के संगत प्रावधानों को ध्यान में रखकर स्कीम दिशानिर्देशों की समीक्षा करना।
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के अंतर्गत कार्यों के चयन से सरकार की विकास प्राथमिकताओं का हल होता हो, साथ ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
- (iii) निधि प्रबंधन में सुधार, निधियों को गैर-व्ययगमनीय बनाने की प्रणाली का निर्माण तथा स्कीम के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को बाद में रखरखाव प्रयोक्ता एजेंसियों को सौंपना, और
- (iv) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी मूलभूत अभिलेखों के रखरखाव, स्कीम निधियों की लेखापरीक्षा तथा उ.प्र. की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु एम.आई.एस. की स्थापना द्वारा श.वि.वि. में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

रा.रा.क्षे.दि.स. सफाई व्यवस्था तथा स्वच्छता सेवाओं की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत सफाई के स्तरों के सुधार हेतु पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने हेतु दिल्ली के नगर निगमों (दि.न.नि.) को निधि प्रदान करती है। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नोक्त है:

विशिष्टताएं

- दि.न.नि. में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त किए जाने वाले स्वच्छता सेवाओं के नियत लक्ष्यों के साथ कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। वार्षिक योजनाएँ भी वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।
(पैराग्राफ 2.5.2)
- 2013-14 के दौरान कचरे के प्रभावी एकत्रीकरण व पृथक्करण हेतु दि.न.नि. की उपलब्धि मात्र 17.44 तथा 25.30 प्रतिशत थी।
(पैराग्राफ 2.5.3.2 एवं 2.5.3.3)
- 2013-14 के दौरान मात्र 41 प्रतिशत कचरे का तथा 47 प्रतिशत निर्माण व विध्वंस अवशिष्ट का ही प्रसंस्करण किया गया था, जबकि बाकी कचरा भराव क्षेत्रों में डाल दिया गया।
(पैराग्राफ 2.5.3.6 (i) एवं (ii))
- दि.वि.प्रा. द्वारा, क.भ.क्षे. के लिए 600 एकड़ की भूमि की आवश्यकता के प्रति केवल 324.60 एकड़ भूमि ही आबंटित की गई थी जिसमें से 150 एकड़ भूमि ही क.भ.क्षे. के लिए उपयुक्त थी।
(पैराग्राफ 2.5.3.6 (iv))
- लगभग ₹22.96 करोड़ के 567 निर्जल मूत्रालयों के निर्माण के बावजूद दि.न.नि. साधारण जनता को गुणवत्तापूर्ण शौच सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहे।
(पैराग्राफ 2.5.3.10)
- दि.न.नि. में इनके दिन प्रतिदिन स्वच्छता क्रियाकलापों जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाना, नालों की गाद साफ किया जाना, शौचालयों की सफाई, इत्यादि की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।
(पैराग्राफ 2.5.7. (i))

2-5-1 iLrkouk

‘सफाई व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवाओं का यंत्रीकरण’ (स्वास्थ्य सेवाएँ) रा.रा.क्षे.दि.स. का योजनागत शीर्ष है जिसके अंतर्गत दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) तथा न.दि.न.प. को स्वच्छता स्तरों की पुनर्व्यवस्था के सुधार द्वारा पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने, कचरे की सफाई, एकत्रण, परिवहन तथा निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को

न्यून करना, इत्यादि क्रियाकलापों हेतु निधि प्रदान करती है। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन करीब 7172 टन कचरा पैदा होता है। दिल्ली कैण्टोनमेन्ट बोर्ड, मछली बाजारों, सब्जी मण्डियों, बूचड़खानों, इत्यादि से कचरे को सीधे भराव क्षेत्र (क.भ.क्षे.) में पहुँचाया जाता है। दि.नि.न. क्षेत्रों से घरेलू कचरे को पहले 3204⁴⁶ ढलावों⁴⁷ और मुक्त क्षेत्रों में एकत्र करने के बाद उसे क.भ.क्षे. या प्रसंस्करण संयंत्रों को पहुँचाया जाता है। दिल्ली में मात्र चार कचरा प्रसंस्करण संयंत्र हैं जिनकी कुल दैनिक प्रसंस्करण क्षमता 2929 टन है। कचरे के साथ-साथ दिल्ली में 2773 टन निर्माण व विध्वंस अवशेष (सी एण्ड डी वेस्ट) व 664 टन गाद दैनिक रूप से उत्पन्न होता है, बुरारी के एक प्रसंस्करण संयंत्र में 1290 टन प्रसंस्करण किया जाता है तथा बाकी क.भ.क्षे. में डाल दिया जाता है।

2-5-1-1 | ँBukRed <kpk

शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.), जिसका अध्यक्ष सचिव होता है, दि.न.नि. का प्रशासकीय विभाग है। उत्तरी दि.न.नि. की स्वच्छता शाखा का अध्यक्ष प्रमुख निदेशक (स्वच्छता) होता है जिसकी सहायता मुख्य अभियंता (डीईएमएस) तथा निरीक्षक अभियंता (डीईएमएस तथा ऑटो), करते हैं दक्षिण व पूर्वी निगमों में, स्वच्छता शाखा का अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त होता है। सभी तीन क्षेत्रों में उपायुक्त अपने संबंधित क्षेत्रों के अध्यक्ष होते हैं और उनकी सहायता स्वच्छता अधीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक व अन्य स्वच्छता स्टाफ करते हैं।

2-5-1-2 ys[kki jh{kk y{;

लेखापरीक्षा के मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- स्वच्छता सेवाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वार्षिक योजनाएँ समयसीमा के साथ बनाई गई थी,
- स्वच्छता सेवाओं के विभिन्न घटकों का क्रियान्वयन व प्रबंधन संपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रभावी थे,
- संसाधन (वित्त, श्रम शक्ति एवं यंत्र) का दक्षतापूर्वक, प्रभावी रूप से व इष्टतम उपयोग किया गया था, तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्ष व प्रभावी थी।

2-5-1-3 ys[kki jh{kk dk; [ks= o dk; fof/k

2009-14 की अवधि को सम्मिलित करते हुए फरवरी से सितम्बर 2014 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा संपन्न की गई। ठोस अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर तीन नगर निगम, चार क्षेत्रों⁴⁸ तथा उनके अंतर्गत विभागों के चयनित अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त, आटो डिवीजनों व कचरा भराव क्षेत्रों (क.भ.क्षे.) के अभिलेखों को भी जाँचा गया। दि.न.नि. द्वारा प्रदान की जा रही स्वच्छता सेवाओं के संबंध में सार्वजनिक धारणा का निर्धारण करने के लिए चयनित क्षेत्रों में 33 प्रतिशत आ.क.स. के बीच एक सर्वेक्षण किया गया। आ.क.स. का चयन, बदलाव के बिना सरल यादृच्छिक नमूना के माध्यम से किया गया।

⁴⁶ न.दि.न.प. क्षेत्र के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि विवरण उपलब्ध नहीं थे

⁴⁷ कचरे हेतु अस्थायी भंडारण

⁴⁸ उत्तरी दि.न.नि. के रोहिणी क्षेत्र, दक्षिणी दि.न.नि. के मध्य क्षेत्र एवं पूर्वी दि.न.नि. के उत्तरी शाहदरा व शाहदरा दक्षिण क्षेत्र

न.दि.न.प. को आरंभ में पी.ए. में सम्मिलित किया गया परन्तु उन्होंने अध्यक्ष के स्तर पर सशक्त अनुपालन के बावजूद किसी भी लेखापरीक्षा टिप्पणी का उत्तर नहीं दिया। इसलिए न.दि.न.प. को इस लेखापरीक्षा में कवर नहीं किया जा सका।

निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, लक्ष्यों और कार्यविधि पर प्रवेश सम्मेलन, आयुक्त (उत्तरी दि.न.नि.), मुख्य अभियंता (दक्षिण दि.न.नि.) और अवर आयुक्त (पूर्वी दि.न.नि.) के साथ किए गए (29 मई तथा 25 और 26 जून 2014)। ड्राफ्ट प्रतिवेदन सरकार को जनवरी 2015 को भेजा गया और इस पर अवर सचिव, श.वि.वि. और दि.न.नि. के अधिकारियों के साथ समाप्ति सम्मेलन में चर्चा की गई। समाप्ति सम्मेलन (4 मार्च 2015) में सरकार के विचारों को व्यक्त किया गया तथा प्राप्त किया गया, तदन्तर उन्हें प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

2-5-1-4 ys[kki jh{kk ekun.M

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से व्युत्पन्न थे:

- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 व नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निर्वहन) नियमावली, 2000
- भा.स. के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्तरीय बेंचमार्क की नियम पुस्तिका, तथा
- सामान्य वित्तीय नियमावली, समय-समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश तथा निर्देश।

ys[kki jh{kk fu"d"kl

2-5-2 fu; kst u

स्वच्छता सेवाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यह बाध्यकारी है कि प्रत्येक घटक के अन्तर्गत दीर्घावधि लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु गतिविधियों के विवरण के साथ एक परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाए। यह परिप्रेक्ष्य योजना सम्पूर्ण लक्ष्यों को योजनाबद्ध ढंग से प्राप्त करने हेतु पुनः क्रियान्वयन योग्य योजनाओं व लक्ष्यों में विभाजित की जाती है।

यद्यपि ऐसी कोई परिप्रेक्ष्य योजना तीन भागों में विभाजन किए जाने से पूर्व दि.न.नि. द्वारा न ही 2012 में विभाजन होने के बाद तीनों में से किसी भी दि.न.नि. द्वारा बनाई गई। फिर भी दि.न.नि. एक नैतिक कार्य की भांति शहरी विकास विभाग (श.वि.वि.) को वार्षिक योजनाएँ प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन वार्षिक योजनाओं में आवश्यक प्रस्तावित निधि वास्तविक निर्धारण पर आधारित नहीं थी क्योंकि समेकित वार्षिक आवश्यकता निकालने हेतु प्रत्येक गतिविधि हेतु आवश्यक निधि क्षेत्रीय शाखाओं से एकत्रित नहीं की गई थी। पू.दि.न.नि. में श.वि.वि. को इसकी वार्षिक योजनाओं के रूप में मात्र गतिविधियों की सूची व उनके लिए आवश्यक निधियों को निधियों की प्रस्तावित आवश्यकता के लिए प्राप्त किए जाने वाले किन्हीं भौतिक लक्ष्यों की वचनबद्धता के बिना वार्षिक तौर पर भेजा गया था।

उत्तरी व पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) की उन्होंने वर्ष 2004 में सी.ओ.डब्ल्यू. आई. द्वारा एक कार्ययोजना तैयार कराई तथा उस पर कार्यवाही वर्ष 2012 में दि.न.नि. के तीन खण्डों में विभाजन होने तक चल रही थी। उत्तरी दि.न.नि. ने आगे यह बताया कि दिल्ली के पर्यावरण सुधार हेतु उत्तरी निगम कार्य योजना प्रक्रियाधीन थी जबकि पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि भौतिक लक्ष्यों के विवरण के साथ वार्षिक योजनाएँ तैयार कर ली गई थीं। यह

उत्तर इस तथ्य को दर्शाता है कि दि.न.नि. द्वारा दीर्घावधि योजनाएँ नहीं बनाई गई थीं। पूर्वी दि.न.नि. का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक योजनाओं में मात्र निधि आवश्यकताएँ थीं, जो नियोजन व निर्धारण की वास्तविक प्रक्रिया पर आधारित नहीं थी।

2-5-3 LoPNrk I 0kvk9 dk f0; k|o; u

2009-14 की अवधि के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ-साथ दि.न.नि. में योजना विभाग की वार्षिक योजनाओं में स्वच्छता सेवाओं के प्रमुख घटक⁴⁹ सम्मिलित थे। अधिकतर घटकों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर बल दिया गया था जिससे स्वच्छता स्तर में सुधार होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में मुख्यतः ठोस अपशिष्ट अर्थात् घरेलू व अन्य कचरा, नालों की गाद व निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट का एकत्रण, परिवहन तथा निपटान सम्मिलित है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पाई गई कमियों पर आने वाले पैराग्राफो में चर्चा की गई है:

2-5-3-1 LoPNrk I 0kvk9 ea dfe; k|

स्वच्छता सेवाओं का प्रमुख लक्ष्य स्वच्छता स्तरों के सुधार द्वारा पर्यावरणीय गुणवत्ता को बढ़ाना था। तथापि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार को किस प्रकार मापा जाए इसके लिए वहाँ कोई मानदण्ड/बेंचमार्क नहीं था।

इसके उत्तर में दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि स्वच्छता सेवाओं के क्रियान्वयन जैसे कचरा एकत्रण व परिवहन के कारण स्वच्छता स्तरों में सुधार हुआ। इस उत्तर में सुधार को मापने हेतु बेंचमार्क व प्रणाली न होने की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

2-5-3-2 vi Hkkoh dMk , d=.k

नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन व निर्वहन) नियमावली, 2000 (एम. एस. डब्ल्यू. नियमावली) की अनुसूची II के अनुसार दि.न.नि. को सामुदायिक कूड़ादान एकत्रण या घर-घर एकत्रीकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को एकत्र करना है। वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के मात्र दो क्षेत्रों (रोहिणी व सिविल लाइन्स) में ही घर-घर से कूड़ा एकत्र किया जाता है। जबकि सभी तीन दि.न.नि. में तंग गलियों तथा सड़कों से कूड़ा एकत्र करने हेतु उलटाऊ गाड़ियाँ (छोटे वाहन) तैनात की गई, जो कूड़ा घर-घर जाकर एकत्र नहीं कर रही थी।

इस प्रकार, दिल्ली में प्रतिदिन पैदा होने वाले 7172 टन कचरे में से मात्र 1251 टन (17.44 प्रतिशत) ही रोहिणी तथा सिविल लाईन क्षेत्रों से प्रभावी ढंग से एकत्र किया जा रहा था।

जबाब में, उत्तरी और पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि दि.न.नि. अधिनियम में कचरे को अस्थायी रूप से जमा करने के लिए केवल पात्र, कचरेदान आदि के प्रावधान की आवश्यकता है। पूर्वी दि.न.नि. ने आगे कहा कि इकपहिया टेला, साईकिल रिक्शा आदि को घरों/सड़कों से कचरा एकत्र करने के लिए नियुक्त किया गया था। दक्षिण दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि अनौपचारिक सैक्टरों से घर-घर कचरा एकत्र किया जाता था। उत्तर दर्शाता है कि एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के कार्यान्वयन को उचित प्राथमिकता के अनुसार नहीं अपनाया गया था।

⁴⁹ (i) 'कूड़ा-कचरा रहित समाज' की उन्नति सहित स्वच्छता स्तरों के सुधार से पर्यावरणिक गुणवत्ता को बढ़ाना, (ii) कचरे की सफाई, एकत्रण, परिवहन तथा निपटान, (iii) नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निर्वहन) नियमावली 2000 (एमएसडब्ल्यू नियमावली) तथा प्लास्टिक बिल, (iv) ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को न्यून करना, (v) प्रबोध कार्यक्रम करने में सामुदायिक व सार्वजनिक भागीदारी तथा निजी उद्यमियों व गै.स.सं. की भागीदारी, तथा (vi) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र ई-गवर्नेंस का कार्यान्वयन।

2-5-3-3 दमः dk i FkDdj .k u fd; k tkuk

एमएसडब्ल्यू नियमावली की अनुसूची II की शर्तों के अनुसार कचरा भराव अजैविक कूड़े के अपघटन, अवस्थित अपशिष्ट तथा अन्य अपशिष्ट पर रोक लगाएगा जो न तो पुनः चक्रण और न ही जैविक प्रक्रिया हेतु उपयुक्त है। इस दिशा में पहला कदम यह है जैविक कूड़े के अपघटन, पुनः प्रयोग योग्य/पुनः चक्रण योग्य में कूड़े का पृथक्करण विभिन्न घटकों के पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, शोधन तथा वैज्ञानिक निपटान को समर्थ बनाना।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 2013-14 के दौरान कूड़े का पृथक्करण उत्तरी दि.न.नि. में 57 प्रतिशत तथा दक्षिणी दि.न.नि. में 17 प्रतिशत था। पूर्वी दि.न.नि. व अन्य एजेंसियों जैसे न.दि.न.प., दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, इत्यादि में कचरा पृथक्करण नहीं हुआ। 2013-14 में सृजित किए गए कुल 26.18 लाख टन के कुल कचरे में से मात्र 6.62 लाख टन (25.3 प्रतिशत) को ही जैविक व अन्य श्रेणियों में पृथक किया गया। अपृथक कचरे को डम्प करना प्रभावी ठोस कचरा प्रबंध के लिए हानिकारक है क्योंकि पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण योग्य कचरे को भी, क.भ.क्षे. में डाल दिया जाता है। भराव क्षेत्रों में जैविक कूड़े के अपघटन से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा ग्रीनहाऊस गैसों भी उत्पादित होती हैं।

अपने उत्तर में, उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि 90 प्रतिशत कचरा उनके द्वारा तैनात छूट ग्राहियों द्वारा पृथक किया जाता है तथा शेष को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा पृथक किया जाता है। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं जो यह दर्शाये कि 57 प्रतिशत से अधिक कचरे का पृथक्करण हुआ है। दक्षिण और पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि ज्यादातर पृथक्करण अनौपचारिक सैक्टरों द्वारा ही किया गया था। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र भी दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो पूर्वी दि.न.नि. से प्रतिदिन 1300 टन कचरा प्राप्त करेगा। तथ्य यह है कि पृथक्करण का वर्तमान स्तर आवश्यक स्तर से कहीं नीचे है।

2-5-3-4 eja Hk.Mkj .k I fo/kk, j

एमएसडब्ल्यू नियमों के अनुसार, अस्थायी भण्डारण सुविधाओं से आसपास अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा होने से बचने हेतु इन्हें इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि इनमें भण्डारित अपशिष्ट मुक्त वातावरण में खुला न रहे। दि.न.नि. द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की जाँच से देखा गया कचरा एकत्रण के पहले चरण हेतु प्रयोग में लाई जा रही 3204 भण्डारण सुविधाओं में से 499 (15 प्रतिशत) मुक्त क्षेत्र थे।

मुक्त क्षेत्रों में कचरे के एकत्रण व भण्डारण एमएसडब्ल्यू नियमों के अनुसार नहीं है और यह स्वास्थ्यकर पर्यावरण के लिए अहितकर था, विशेषतः तब जब वे घने बसे क्षेत्रों में अवस्थित थे।

अपने उत्तर में, उत्तरी और दक्षिण दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि लोग कचरे को खुले स्थान पर फेंक देते हैं, जहाँ पर ढलावों के निर्माण के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे यह भी कहा गया कि इन स्थलों की नियमित सफाई और कीटाणु रहित होना भी सुनिश्चित किया जा रहा था तथा कचरे के खुले ढेर लगाने को रोकने हेतु डिब्बे प्रदान किए गए। उत्तर केवल लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है।

2-5-3-5 vif'k"V dk ifjogu

अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि पूर्वी दि.न.नि. ने अपशिष्ट एकत्रण स्थलों से प्रतिदिन कचरे को उठाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए 'ई.म्यूनिसिपलटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम' (अक्टूबर 2013) स्थापित किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत, ढलावों/खुले स्थलों/कचरादानों के कचरा उठाने से पहले और बाद में फोटोग्राफ लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। ढलावों/कचरादानों/खुले स्थलों की संख्या के हिसाब से प्रतिदिन वेबसाइट पर 336 फोटोग्राफ शाहदरा दक्षिण क्षेत्र से (प्रत्येक स्थल की प्रतिदिन दो फोटोग्राफ) और 232 शाहदरा उत्तर क्षेत्र से अपलोड होनी चाहिए। जुलाई 2014 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच दर्शाती है कि दक्षिण शाहदरा के 121 और उत्तर शाहदरा के 68 ढलावों/खुले स्थलों को छोड़कर, दक्षिण शाहदरा और उत्तर शाहदरा ने क्रमशः प्रतिदिन 94 और 95 फोटोग्राफ अपलोड की थी। इस प्रकार, प्रतिदिन कचरे का उठाया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि डाइवर को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और स्वच्छता अधीक्षकों को फोटोग्राफों की अपलोडिंग की निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे।

2-5-3-6 vif'k"V dk fui Vku

अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु जैव व पुनः प्रयोग योग्य अपशिष्ट के प्रसंस्करण द्वारा कंपोस्ट, अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन इत्यादि को तैयार करना है। नवंबर 2014 को केवल पाँच अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र थे जैसा कि rkfydk 2-5-1 में वर्णित है।

rkfydk 2-5-1 % vif'k"V id l dj . k l a = dk foj . k

Ø- l a	l a = dk uke	{kerk %A/hi hMh½	LFkki uk dk o"K	buiψ	mRi kn
1	उर्जा संयंत्र, ओखला को अपशिष्ट	1950	2010-11	कचरा	विद्युत
2	नरेला-बवाना में परिशोधित कचरा भराव क्षेत्र	ला.न.*	2011-12	कचरा	खाद तथा कचरे से उत्पन्न ईंधन
3	कम्पोस्ट संयंत्र ओखला	200	2007-08	कचरा	खाद
4	कम्पोस्ट संयंत्र भालसवा (बंद)	500	1999-2000	कचरा	खाद
5	सी एवं डी संयंत्र, बुराडी	1290	2009-10	सी एवं डी अपशिष्ट	ईंटे टाइल्स इत्यादि
dy		5190			

*इस संयंत्र की क्षमता उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक निजी एजेंसी द्वारा संचालित है जो कुल कचरा रोहिणी तथा सिविल लाईंस क्षेत्रों से प्रसंस्कृत करती है।

लेखापरीक्षा में दिल्ली में अपशिष्ट के प्रसंस्करण में कई कमियाँ देखी गई हैं जिसे अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है।

(i) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधिनियम 6 (1), 6 (3) और 7 (1) के अनुसार नगर निगम प्राधिकारी को कचरा भराव क्षेत्रों पर बोझ को कम करने हेतु अपशिष्ट का प्रयोग करने हेतु उपयुक्त तकनीक अपनानी चाहिए। नियम 4 की अनुसूची I में आगे दि.न.नि. को 31 दिसंबर 2003 तक अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधाओं को स्थापित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि प्रसंस्कृत कचरे की मात्रा 2009-10 में चार प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 41 प्रतिशत हो गई, यह 100 प्रतिशत के वांछित स्तर से बहुत कम रही क्योंकि संयंत्रों की क्षमता दिल्ली में उत्पन्न सारे कचरे के प्रसंस्करण हेतु अपर्याप्त थी। यद्यपि, सितम्बर 2014 तक केवल चार कचरा प्रसंस्करण संयंत्र प्रचालन में थे। इनमें से, (500 ट.प्र.दि. क्षमता वाले) भलस्वा संयंत्र को पर्यावरण मानदण्डों का अनुपालन न करने के कारण दि.प.नि.स. द्वारा मार्च 2014 में बंद कर दिया गया।

दिल्ली सरकार ने गाजीपुर में एक 1300 ट.प्र.दि. क्षमता के अपशिष्ट से उर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु मैसर्स ईस्ट डेल्ही प्रासर्सिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया जिसे अगस्त 2010 में चालू होना था जबकि स्थल की सुपुर्दगी में देरी के कारण दिसंबर 2014 तक यह संयंत्र चालू न हो सका।

उत्तर में, उत्तरी और दक्षिण दि.न.नि. ने (मार्च 2015) दि.वि.प्र. से भूमि प्राप्त करने के लिए लगातार प्रत्यनों के बावजूद भी भूमि प्राप्त करने में असक्षमता व्यक्त की। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि गाजीपुर में अपशिष्ट शक्ति संयंत्र, (मार्च 2015) में परिचालन होने वाला था और इस तरह के और संयंत्र भूमि की उपलब्धता के अनुसार ही स्थापित किये जायेंगे। उत्तर दि.न.नि. द्वारा यह स्वीकारना है कि विद्यमान संयंत्र दिल्ली में उत्पन्न संपूर्ण अपशिष्ट की प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त है। आगे, गाजीपुर का ऊर्जा संयंत्र मई 2015 तक प्रचालनीय नहीं था।

(ii) उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने अपने जवाब (मार्च 2015) में बताया कि कुछ नि.व.वि. अपशिष्ट को कूड़ा कचरा ढँकने के लिए क.भ.क्षे. पर भेजा जा रहा था जैसा कि एम.एस.डब्ल्यू. नियमों में प्रावधान है। आगे यह भी कहा कि नये नि.व.वि. अपशिष्ट संस्करण संयंत्रों की स्थापना (तीन उत्तरी व दो दक्षिणी दि.न.नि. में) प्रक्रियाधीन थी।

उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने अपने जवाब (मार्च 2015) में बताया कि कुछ नि.व.वि. अपशिष्ट को कूड़ा कचरा ढँकने के लिए क.भ.क्षे. पर भेजा जा रहा था जैसा कि एम.एस.डब्ल्यू. नियमों में प्रावधान है। आगे यह भी कहा कि नये नि.व.वि. अपशिष्ट संस्करण संयंत्रों की स्थापना (तीन उत्तरी व दो दक्षिणी दि.न.नि. में) प्रक्रियाधीन थी।

(iii) उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगर निगमों ने अपने जवाब (मार्च 2015) में बताया कि कुछ नि.व.वि. अपशिष्ट को कूड़ा कचरा ढँकने के लिए क.भ.क्षे. पर भेजा जा रहा था जैसा कि एम.एस.डब्ल्यू. नियमों में प्रावधान है। आगे यह भी कहा कि नये नि.व.वि. अपशिष्ट संस्करण संयंत्रों की स्थापना (तीन उत्तरी व दो दक्षिणी दि.न.नि. में) प्रक्रियाधीन थी।

जानी है। वर्ष 2010-11 से दि.न.नि. ने अपनी वार्षिक योजनाओं में क.भ.क्षे. के सुधार का प्रस्ताव नियमित रूप से रखा था। फिर भी, किसी भी क.भ.क्षे. के सुधार का कार्य जुलाई 2014 तक शुरू नहीं हुआ था।

जबाब में उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि भलस्वा क.भ.क्षे. के सुधार के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए एक सलाहकार को मार्च 2014 में नियुक्त किया गया था और परियोजना के लिए निविदाएँ इनके तैयार होने के बाद ही आमंत्रित की जानी चाहिए थीं, पूर्वी और दक्षिणी दि.न.नि.ने बताया (मार्च 2015) कि गाज़ीपुर और ओखला स्थित क.भ.क्षे. का सुधार कार्य संशोधित सामग्री के भरण के लिए स्थल की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सके। क.भ.क्षे. को वापस प्रयोग की स्थिति में लाने में दि.न.नि. की अक्षमता एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष तौर पर तब जब वह नये क.भ.क्षे. हेतु, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

(iv) *id idj .k l a =ka vkj HkwHkj .k LFkyk dsfy, Hkfe dh vuq yC/krk%* माननीय उच्चतम न्यायालय ने (फरवरी 2000) पाया कि दिल्ली को स्वच्छ रखना सरकार का कार्य है और यह देखना सभी सम्बंधितों का कर्तव्य है कि भू भरण स्थल जन स्वास्थ्य के हित में उपलब्ध कराए जाएँ तथा उसने चार अतिरिक्त कम्पोस्ट संयंत्र निर्माण हेतु 1996 के दिशानिर्देशों का पालन न होने पर भी चिन्ता व्यक्त की। उच्चतम न्यायालय ने दि.वि.प्रा. भारत सरकार व अन्य एजेन्सियों को चार सप्ताह के अन्दर भू भरण स्थलों को चिह्नित करने व उन्हें स्थानीय निकायों को सौंपने हेतु निर्देशित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दि.न.नि. की 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता के बदले, दि.वि.प्रा. द्वारा केवल 324.60 एकड़ को आबंटित किया गया था जिसमें से नरेला-बवाना रोड पर 150 एकड़ भूमि को अभियंत्रित क.भ.क्षे. के लिए प्रयुक्त किया जा सका तथा शेष क.भ.क्षे. के लिए उपयुक्त नहीं थे। इन तीनों स्थलों में से दक्षिण दि.न.नि. द्वारा दो को सी एवं डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु संयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तावित किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में क.भ.क्षे. के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए एक समिति का गठन किया (अप्रैल 2014) और पूर्वी दि.न.नि. के अंतर्गत समिति ने कुल 785.5 एकड़ के आठ स्थलों और दक्षिणी दि.न.नि. के 2138 एकड़ के 14 स्थलों का अनुमोदन किया था जिन्हें अभी दि. वि.प्रा. द्वारा सौंपा जाना था।

इस प्रकार, अतिरिक्त भूमि की कमी के कारण दि.न.नि. नये अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र प्रतिष्ठापित करने में असफल रही। चूंकि निर्माण और नये संयंत्रों को लागू करने में समय लगता है, ऐसा लगता है कि क.भ.क्षे. में कचरो का बिना प्रसंस्करण किए, आने वाले वर्षों में इसी प्रकार डाले जाना जारी रहेगा। दि.प्र.नि.क. द्वारा मार्च 2012 में तीनों क.भ.क्षे. के आसपास कराये गये परीक्षण दर्शाते हैं कि पीने के पानी में कैलशियम की मात्रा व इसकी कठोरता, क्लोरीन तत्व व कुल विलयित विलेय निर्धारित सीमाओं से बहुत अधिक थे। अशुद्धता का स्तर अप्रैल 2009 की परीक्षण रिपोर्ट की तुलना में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

उत्तरी व दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के

आदेशों के अधीन सचिव (श.वि.वि) रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में गठित समिति ने 31 स्थानों को चिन्हित किया है लेकिन अभी कोई स्थान सौंपा नहीं गया है। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि दि.वि.प्रा. ने दो स्थान कचरा व नि.व.वि. अपशिष्ट हेतु संस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए उपलब्ध कराए हैं।

2-5-3-7 द-ह्क-{ks ij HkwHkj.k x9 fu; æ.k rFkk l æg izkkyh dk vHkko

एम.एस.डब्लू नियमावली की अनुसूची III में क.भ.क्षे. में भू-भरण गैस नियंत्रण व एकत्रण तन्त्र की स्थापना व गैस का ताप अनुप्रसंगो या विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग और अगर सम्भव न हो तो गैसों को हवा में जला देने का प्रावधान है। गैस सीधे वातावरण में नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इससे क.भ.क्षे. में तथा इसके आस-पास वातावरण में वायु की गुणवत्ता बनी रहेगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गयी सूचनानुसार भू-भरण भलस्वा में कोई गैस नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जबकि भू-भरण ओखला, 50 मीटर की वृद्धि उँचाई के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। गाजीपुर क.भ.क्षे. तन्त्र में, भू भरण गैस निकालने/भीतर बंद करने हेतु एक प्रणाली है परन्तु वह सक्रिय नहीं थी।

क.भ.क्षे. क्षेत्रों को उचित गैस नियंत्रण प्रणालियों का तथा वायु में गुणवत्ता का अभाव न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक था बल्कि आस पास के क्षेत्र में रह रही आबादी के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है।

उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि जैसे ही भूमि उपलब्ध होती है, उचित गैस नियंत्रण तन्त्र के साथ अभियंत्रित क.भ.क्षे. स्थापित करा दिए जाएँगे। पूर्वी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि भू भरण गैस का संग्रह व नियंत्रण नहीं किया जा सकता क्योंकि कचरा अभी भी गाजीपुर क.भ.क्षे. पर फेंका जा रहा था।

2-5-3-8 द-ह्क-{ks LFkyka ij fu{kkyd ds ,d=hdj.k o mi pkj ds fy, dk; 7 z.kkyh dk vHkko

एम.एस.डब्लू. नियमों की अनुसूची-II यह निर्धारित करती है कि अपशिष्ट निपटान क्षेत्र के आधार तथा दीवारों पर एक गैर पारगम्य परत प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कि निक्षालक⁵⁰ गढ़दे के भीतर ही रहे। निक्षालक के भूजल के साथ मिश्रण से स्थानीय समुदायों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, विशेषकर जब निक्षालक में खारिज बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या घरेलू सफाई वाले पदार्थ आदि के अपघटन से बनने वाले हानिकारक रसायन हों।

इन सभी तीनों क.भ.क्षे. सभी प्रकार के अपशिष्ट जैसे घरेलू समान, सी एंड डी, सब्जी मंडियों के अपशिष्ट, कसाई घरों आदि के लिए मुक्त निक्षेप स्थल है। नियमों के प्रभाव में आने के पहले से ही ये स्थल अस्तित्व में थे, इसलिए क.भ.क्षे. के स्थान पर निक्षालक के एकत्रण संसाधन की कोई प्रणाली नहीं थी।

उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. ने उत्तर में (मार्च 2015) बताया कि एकत्रित निक्षालक कचरे पर फ़ैल जाती थी। तथापि क.भ.क्षे. में अपारगम्य परत न होने की दशा में निक्षालक के एकत्रीकरण पर उनका कोई जबाव नहीं था। पूर्वी दि.न.नि. (मार्च 2015) ने बताया कि सतह

⁵⁰निक्षालक एक तरल पदार्थ है जो कि सामान्यतः घरेलू अपशिष्ट के प्राकृतिक अपघटन के परिणामस्वरूप एक कचरे के ढेर या व्यवस्थित कूड़ा संग्रहण स्थल के भीतर या इससे होकर बाहर निकलकर बहता है।

पर निक्षालक के शोधन हेतु एक शोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

2-5-3-9 Bkl vif'k"V ds i:dku ea vi ; klr bLxou

स्वच्छता सेवाओं के अन्तर्गत, दि.न.नि. को टोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से कार्यान्वित करना था।

दि.न.नि. के अभिलेखों की जाँच और वेबसाइट ने दर्शाया कि किसी भी दि.न.नि. में कोई भी प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं थी जिसमें टोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित सभी डाटा को विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के लिए एकत्र किया जा सके। इसी प्रकार, जी.आई.एस. क.भ.क्षे. में एकत्रित, पहुँचाये गये और निपटाए गए अपशिष्ट से संबंधित भौगोलिक सूचना को एकत्रित करता है। हालांकि, कचरे के संग्रह के लिए तैनात किये गये आटो टिपर ही जी.पी.एस.⁵¹ उपकरण से लैस थे। पूर्वी दि.न.नि. में यद्यपि विभागीय ट्रकों में जी पी एस उपकरण प्रतिष्ठापित किया गया था, लेकिन डाटा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

उत्तरी एवं दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि सभी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बाह्य सेवा प्रदाता हेतु टेण्डर प्रक्रिया जारी थी, जिसमें टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एम.आई.एस भी शामिल था। पूर्वी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) में बताया कि समस्या प्रबंधन, वाहन प्रबंधन, बायोमैट्रिक उपस्थिति आदि जैसे बहुत से सूचना तन्त्र मौजूद थे। तथापि लेखा परीक्षा के दौरान वाहन प्रबंधन तन्त्र या टोस अपशिष्ट प्रबंधन तन्त्र के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं पाया गया।

2-5-3-10 futy e#ky; k dk i:dku

जनवरी 2011 में दि.न.नि. ने दो निजी ग्राहियों को 567 मूत्रालयों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा। एजेंसियों को निःशुल्क मूत्रालयों की दैनिक सफाई तथा अनुरक्षण करने के अलावा मूत्रालयों की दीवारों पर विज्ञापन के अधिकारों के बदले दि.न.नि. को रियायत शुल्क (एक नियत राशि प्रति माह प्रति मूत्रालय) का भुगतान करना था। दि.न.नि. ने मई 2011 में एजेंसियों की सेवाओं को असंतोषजनक बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् ठेके को निरस्त कर दिया। तथापि एजेंसियों ने समझौतों के निरस्तीकरण के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए। दि.न.नि. ने न्यायालय को संचालक समूह के सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्ताव रखा (जून 2011) जिसमें 530 में से 379 मूत्रालयों का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था जिसके पश्चात् नयायालय ने स्थागन को जारी रखने की अनुमति देते हुए मामला मध्यस्थ निर्णय हेतु भेज दिया (मई 2013)। अनुसरण में दि.न.नि. ने दिसंबर 2003 में एक मध्यस्थ की नियुक्ति की।

लेखापरीक्षा ने ठेके के प्रबंधन में निम्नलिखित कमियाँ पाईं:

(i) एजेंसियों के साथ किए गए समझौते के अनुसार दि.न.नि. को एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की निगरानी हेतु समझौते के 15 दिनों के भीतर दि.न.नि. और ग्राहियों के सदस्यों को सम्मिलित कर एक संचालक समूह का गठन करना था। तथापि संचालक समूह का

⁵¹ भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली

गठन जून 2011 में ही अर्थात् समझौते के निरस्तीकरण के पश्चात् किया गया।

(ii) समझौतों के अनुसार स्वच्छता अधीक्षकों को अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए परियोजना प्रभारी होना था तथा उन्हें संचालक समूह को निर्जल मूत्रालयों के अनुरक्षण तथा सफाई की रिपोर्ट देनी आवश्यक थी। तथापि लेखापरीक्षा में इस तथ्य के लिए अभिलेखों में कोई प्रमाण नहीं मिल सका कि ऐसी रिपोर्टें किसी भी समय संचालक समूह को प्रस्तुत की गई थीं।

(iii) दि.न.नि. अपने ग्राहियों से लाइसेंस शुल्क लेने में असफल रहा। केवल एकमात्र दक्षिणी दि.न.नि. के मामले में ही इस संदर्भ में ₹ 2.72 करोड़ का लाइसेंस शुल्क (जनवरी 2011 से सितम्बर 2014) बकाया था। उत्तरी व पूर्वी दि.न.नि. के मामले में बकाया लाइसेंस शुल्क उपलब्ध नहीं था।

(iv) जैसाकि संचालक समूह को सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्रमाणित है कि अधिकतर मूत्रालयों का अनुरक्षण ग्राहियों द्वारा उचित रूप से नहीं किया जा रहा था परन्तु दि.न.नि. ने इन मूत्रालयों के रख-रखाव हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार लगभग ₹ 22.96 करोड़⁵² की लागत से निर्मित ये मूत्रालय जनवरी 2011 से अप्रयुक्त रहे।

उत्तर में उत्तरी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि मूत्रालयों का अब अधिग्रहण कर लिया गया है, उन्हें परम्परागत स्वरूप में बदल दिया गया है तथा विभागीय स्तर से उनका रखरखाव किया जा रहा है। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि मूत्रालयों को जनवरी 2011 से मार्च 2015 के दौरान प्रयोग में नहीं लाया गया। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि बकाये की गणना की जा रही थी। मूत्रालयों के रखरखाव पर कोई जबाब नहीं था।

2-5-4 foYkh; i xdku

2009-14 की अवधि के लिए दि.न.नि. को निधियों की आवश्यकता, आबंटित निधियाँ, दि.न.नि. के संबंध में प्राप्त और व्यय निधियाँ (दि.न.नि. के तीन भाग होने से पूर्व की अवधि को सम्मिलित करते हुये) rkfydk 2-5-2 में दी गई है।

rkfydk 2-5-2% ctV vkoW/u vk\$ 0; ;

(₹ करोड़ में)

c"l	ifj; kftr dk vko'; drk	fuf/k; ka dk vkoW/u	vkoVr i fr'krk	i klr fuf/k; k	okLrfod 0; ;
2009-10	378.15	170.00	44.96	170.02	170.02
2010-11	459.90	182.55	39.69	172.80	172.28
2011-12	480.00	255.80	53.29	256.32	246.32
2012-13	510.00	279.00	54.71	287.01	289.37
2013-14	591.60	344.99	58.31	345.00	331.34
dy	2419.65	1232.34	50.91	1231.15	1209.33

स्रोत : जैसा कि दि.न.नि. द्वारा मुहैया कराया गया था

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि आबंटित निधियाँ दि.न.नि. द्वारा परियोजित आवश्यकता से बहुत कम थी। 31 मार्च 2014 को उत्तरी तथा दक्षिणी दि.न.नि. में क्रमशः ₹ 43.26 करोड़ तथा ₹ 52.95 करोड़ की बकाया देयताएँ थीं। उत्तरी तथा दक्षिणी दि.न.नि.

⁵² ₹ 22.96 करोड़ = 567 निर्जल मूत्रालय x ₹ 4.05 लाख प्रति इकाई (औसत लागत)

के पास उसी तिथि तक क्रमशः ₹ 27.11 करोड़ तथा ₹ 50.71 करोड़ की प्रतिबद्ध देयताएँ भी थीं। इसके अतिरिक्त उत्तरी दि.न.नि. के पास सितम्बर 2014 तक विलंबित भुगतानों पर देय ब्याज के रूप में ₹ 4.75 करोड़ की देयता भी थी।

इसके उत्तर में, उत्तरी व दक्षिणी दि.न.नि. ने (मार्च 2015) बताया कि आबंटित निधियाँ केवल आकस्मिक कार्यों को करने हेतु ही पर्याप्त थीं तथा योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सम्भव नहीं था। तथापि, ये उत्तर दोषपूर्ण बजट प्रक्रिया के मामले का हल नहीं करते। विलंबित भुगतानों पर ब्याज के संबंध में उत्तरी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि उन्होंने इस कारण से कोई भुगतान नहीं किया है। तथापि तथ्य यह है कि देयता बकाया है।

2-5-5 mi dj .k dk i c/ku

2-5-5-1 d-Hk-{ks ea xj dk; kRed e' khuka rFkk mi dj .kka dh deh

मशीनों और उपकरण जैसे बुलडोजर, हाईड्रोलिक एक्सकेवेटर, बैकहोभारक इत्यादि को क.भ.क्षे. पर कचरा को समतल और ड्रेसिंग के काम पर लगाया जाता है। लेखा परीक्षा ने सभी तीन क.भ.क्षे. में उपकरणों की कमी पायी जैसा कि rkfydk 2-5-3 में दिया गया है।

rkfydk 2-5-3% d-Hk-{ks ea mi dj .k dh mi yC/krk

Øa I a	mi dj .k	HkyLok		vks[kyk d-Hk-{ks		xktthij d-Hk-{ks	
		vko' ; d	dk; kRed	vko' ; d	dk; kRed	vko' ; d	dk; kRed
1	बुलडोजर	6	3	5	1	6	2*
2	एक्सकेवेटर	2	1	2	0	3	0
3	लोडरस	1	0	1	1	1	0

*तीन शिफ्टों में कार्यरत किराए के बुलडोजर

जैसाकि देखा जा सकता है, भलस्वा क.भ.क्षे. में छः बुलडोजर की आवश्यकता के प्रति केवल तीन उपलब्ध थे जबकि ओखला क.भ.क्षे. में आवश्यक पाँच के प्रति केवल एक ही उपलब्ध था। गाजीपुर क.भ.क्षे. में 6 की आवश्यकता के प्रति किराए के दो बुलडोजर कार्य कर रहे थे। वहाँ सभी तीन क.भ.क्षे. में एक्सकेवेटरों तथा लोडरस की भी कमी थी।

इसके अतिरिक्त, क.भ.क्षे. भलस्वा में लगाई गई मशीनों और उपकरणों की स्थिति दर्शाती है कि जून 2013 को 5 से 26 महीने की अवधि तक मशीनें अकार्यशील थी। दो बुलडोजर अपनी खरीद से दो वर्ष की अल्प अवधि में ही टूट गये। यद्यपि ये मशीन वार्षिक अनुरक्षण ठेके के अन्तर्गत थी, उत्तरी दि.न.नि. ने मशीनों की मरम्मत कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

इसी प्रकार, कचरा और अन्य अपशिष्ट को विभिन्न क.भ.क्षे. में निक्षेपण के प्रबन्धन के लिये दि.न.नि. ने नौ बुलडोजर तथा पाँच एक्सकेवेटर मैसर्स बी.ई.एम.एल. से कुल ₹ 9.38 करोड़ की कीमत में खरीदे। ये सभी यंत्र 6 वर्ष की अवधि के लिये व्यापक रखरखाव संविदा (व्या. र.सं.) के अंतर्गत थे। जिसके बाद मैसर्स बी.ई.एम.एल. ने उन्हें कार्यशील करके दि.न.नि. को सौंपना था। दि.न.नि. को तीन भागों में बाँटने के बाद पाँच बुलडोजर, तीन एक्सकेवेटर, पूर्वी दि.न.नि. के अधिकार में क.भ.क्षे. गाजीपुर में तैनाती के लिये आए। एक बुलडोजर जिसकी नमूना जाँच की गई थी, अक्टूबर 2011 से मार्च 2014 तक औसत 12 दिन प्रति माह तक

गैर कार्यात्मक रहा और इसी प्रकार एक एक्सकेवेटर जुलाई 2009 से मार्च 2014 तक 12 दिन प्रति माह गैर कार्यात्मक रहा। यह दर्शाता है कि ये मशीनें विस्तृत अनुरक्षण ठेके के लगभग एक तिहाई समय में गैर कार्यात्मक रही। इसके अतिरिक्त, जब व्या.र.सं. का समय मई 2014 में समाप्त हो गया था, सभी उपकरण मैसर्स बी.ई.एम.एल. द्वारा गैर कार्यात्मक स्थिति में छोड़ दिये गये।

जबाब में उत्तरी दि.न.नि ने (मार्च 2015) बताया कि फर्म को बहुत से कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं था। फर्म अतिरिक्त पुर्जों की भी आपूर्ति करने को तैयार नहीं थी। इसमें आगे बताया गया कि फर्म को ब्लैकलिस्ट करने तथा उपकरणों की मरम्मत हेतु खुली निविदाओं का आमंत्रण किया जाना प्रक्रियाधीन था। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया (मार्च 2015) कि फर्म पर समझौते के अनुसार जुर्माना लगाया गया है और फर्म के जोखिम तथा लागत पर उपकरण की मरम्मत का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था। तथापि तथ्य यह है कि वा.अनु.ठे./वि.अनु.ठे. के अंतर्गत होने के बावजूद उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

2-5-5-2 fdjk; s ds Vdka ds fy; s Hkqxrku djus l s iwl r; dh xbl njh dk xj-l R; ki u

गाजीपुर के क.भ.क्षे. को कचरा पहुँचाने के लिए पूर्वी दि.न.नि. प्रथम 100 किलोमीटर के लिये ₹ 3268.50 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर प्रति ट्रक प्रति दिन के लिए ₹ 23.82 की दर पर 73 किराया ट्रकों (38 उत्तर शाहदरा में तथा 35 दक्षिण शाहदरा क्षेत्र में) की सेवाओं का उपयोग करती थी। वर्ष 2012-14 के दौरान इसके कारण कुल खर्च ₹ 22.66 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि किराये के ट्रकों द्वारा तय की गयी दूरी को मापने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दूरी, प्रत्येक ट्रक द्वारा क.भ.क्षे. तक तय की गयी यात्राओं की संख्या के आधार पर मापी जाती थी। उनके द्वारा तय की गई यात्राओं की संख्या के समर्थन में दावों के साथ क.भ.क्षे. द्वारा जारी टोल पर्चियाँ नहीं लगाई गई थीं अपितु केवल टोल पर्चियों की क्रमांक संख्या दी गई। इन क्रमांकों के आधार पर से.प्र. यात्राओं की संख्या सत्यापित करता है। यह पाया गया कि स्वच्छता खण्ड में इसके अपने ट्रकों को डीजल वितरण करने हेतु टोल पर्ची माँगी जाती है, जबकि किराए के ट्रकों के संबंध में बिलों के समय ऐसा नहीं किया गया।

ट्रक संचालकों द्वारा प्रस्तुत दावों की सत्यता निश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा में वेब आधारित ठोस अपशिष्ट परिवहन प्रबन्ध प्रणाली (प्रणाली) को अपनाया गया जिसमें प्रत्येक ट्रक द्वारा क.भ.क्षे. तक की गई यात्राओं के विवरण उपलब्ध माने जाने थे। 2012-14 के दौरान लेखापरीक्षा में विभिन्न महीनों में पाँच ट्रकों द्वारा की गई यात्राओं की नमूना जाँच की गई तथा दावों और प्रणाली में उपलब्ध सूचना के बीच असंगतियाँ पाई गईं जो निम्नोक्त हैं:

कुछ ट्रकों ने 6-7 घण्टों में 200 कि.मी. से अधिक दूरी तय की जिस दौरान उन्हें भण्डार स्थलों से भी कूड़ा उठाना पड़ा था। उदाहरणस्वरूप एक ट्रक ने चार यात्राएँ (लगभग 160 कि.मी.) 4 घण्टे 50 मिनट में पूरी की, जिसमें क.भ.क्षे. में बिताए 28 मिनट शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य ट्रक ने आठ यात्राएँ (करीब 320 कि.मी.) 10 घंटे 45 मिनट में की, जिसमें क.भ.क्षे. में बिताए 55 मिनट शामिल हैं। दिल्ली की यातायात स्थिति, स्थल पर ट्रकों की अधिकता तथा प्रवेश व निर्गम दोनों पर लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लंबी दूरी

इतनी छोटी अवधि में तय करना संशयपूर्ण है, विशेषकर तब जब कि पूर्वी दि.न.नि. के अपने ट्रकों ने मात्र 39 से 65 कि.मी. प्रतिदिन ही तय किए।

इसके अतिरिक्त तीन नमूना जाँच किए ट्रकों के संबंध में वेब आधारित सिस्टम में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। एक ट्रक ने मार्च 2014 के दौरान 145 यात्राएँ कीं, जिसमें 4163.5 कि.मी. दूरी तय की गई तथा अप्रैल 2014 में 162 यात्राएँ की गई जिसमें 4630.50 कि.मी. (28 दिन) की दूरी तय की गई। इसी प्रकार दो ट्रकों ने अप्रैल 2013 में 132 तथा 152 यात्राएँ कीं जिनमें क्रमशः 3960 व 4560 कि.मी. दूरियाँ तय कीं। सिस्टम में सूचना के अभाव में पू.दि.न.नि. के पास दावों के सत्यापन हेतु कोई उपाय नहीं था।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि इन ट्रकों द्वारा तय दूरियों की निगरानी अपर्याप्त थी।

जबाब में, पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि जिससे किराये के ट्रकों द्वारा तय की गयी दूरी कार्य पंजिका में दर्ज और स्वच्छता अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किए जाने हेतु एक प्रणाली है। किराये के ट्रकों के लिए बिलों के साथ टोल पर्चियाँ संलग्न होना और कार्य पंजिका प्रविष्टि द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। पुनः यह सूचित किया गया कि किराये के ट्रकों में जी.पी.एस स्थापित किया गया। उत्तर तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाता क्योंकि बिलों की नमूना जाँच में कार्य पंजिका और टोल पर्ची नहीं पायी गयी।

2-5-6 ekuo l d k/ku i cdku

2-5-6-1 LVkQ dh deh

लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त सूचना और रिकार्ड की जाँच दर्शाती है कि सभी तीन निगमों में विभिन्न संवर्गों में स्वच्छता स्टाफ की कमी थी $\frac{1}{2}$ । उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. में दो तिहाई स्वीकृत स्वच्छता अधीक्षक पद खाली थे। पूर्वी दि.न.नि. के पास 31 मार्च 2014 को स्व.अ. के छः पदों में से दो पद रिक्त थे। अन्य संवर्गों में कमी, उत्तरी दि.न.नि. में 10 से 64 प्रतिशत, दक्षिण दि.न.नि. में 4 से 42 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. में 11 से 75 प्रतिशत की रेंज में थी।

2-5-6-2 LVkQ dh vko' ; drk dk xj -fu/kkj .k

मार्च 2012 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्टाफ निरीक्षण इकाई द्वारा एकीकृत दि.न.नि. के दक्षिणी क्षेत्र में स्वच्छता स्टाफ की आवश्यकता के निर्धारण हेतु अध्ययन किया गया। अध्ययन में यह अनुशंसा की गई कि दि.न.नि. द्वारा स्वयं अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के अध्ययन किए जाने चाहिए। यद्यपि इस अध्ययन के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक, दि.न.नि. ने इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि यद्यपि प्रतिवेदन पर कई फोरमों में विचार-विमर्श किया गया, परंतु इसकी प्रयोज्यता ज्ञात नहीं की जा सकी। पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि निगमों द्वारा स्वीकृत होने पर प्रतिवेदन को कार्यान्वित किया जायेगा। तथापि तथ्य यह है कि दि.न.नि. ने स्वच्छता सेवाओं के लिए स्टॉफ की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया।

2-5-7 vkrfjd fu; U=.k

आंतरिक नियंत्रण, लागू नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करता है। रिपोर्ट में पहले से इंगित किए मामलों के अलावा आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थी:

(i) fnu i frfnu dh xrfrof/k; ka grq fuxjkuh iz kkyh dk vHkko% लेखापरीक्षा में यह पाया गया है कि कोई भी निर्धारित रिपोर्टिंग कार्यप्रणाली चयनित दक्षिणी और पूर्वी दि.न.नि. क्षेत्र में नहीं हैं। पदानुक्रम के किसी भी स्तर पर कोई भी निर्धारित रिपोर्ट कार्यप्रणाली नहीं है यह पूर्वी दि.न.नि. द्वारा सूचित किया गया कि यद्यपि ढलाव, सीटीसी⁵³ इत्यादि पर्यवेक्षी स्टाफ द्वारा निरीक्षित किये जाते हैं, ऐसे किसी निरीक्षण अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वहाँ ढलावों/सी.टी.सी./कूड़ेदानों इत्यादि की स्थिति को बताने के लिए कोई निर्धारित प्रणाली नहीं थी जिससे स्वच्छता सेवाओं की नियमित मरम्मत तथा अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

जवाब में उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि, ठोस कचरे को उठाने और ले जाने के लिए ठेके सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। पूर्वी दि.न.नि. ने बताया कि (मार्च 2015) अधिकारियों का एक दल स्वच्छता और ढलावों और कूड़ेदानों से नियमित कचरा हटाने की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। यद्यपि अधिकारियों की नियुक्ति स्वच्छ भारत मिशन का भाग था और निगरानी तंत्र में सन्निहित नहीं माना जा सकता था।

(ii) Hkkfrd vkj foYkh; ixfr fj ikM dk xj-iLrphdj.k% दि.न.नि. ने कोई भौतिक-सह-उपलब्धि रिपोर्ट अथवा मासिक व्यय विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जैसाकि श.वि. वि. से अनुदानों के लिए संस्वीकृत आदेशों में निर्दिष्ट था। केवल व्यय विवरणियाँ श.वि.वि. को भेजी गयीं थीं जिसमें स्वच्छता सेवाओं के तहत किया हुआ कुल व्यय प्रत्येक गतिविधि के तहत प्रगतिशील व्यय को स्पष्ट किए बिना शामिल था। श.वि.वि. ने भी दि.न.नि. को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह नहीं किया और अपना कार्य केवल अनुदान के निर्गमन तक सीमित रखा।

जवाब में, उत्तरी और दक्षिणी दि.न. नि. ने कहा कि (मार्च 2015) भविष्य में यह सुनिश्चित किया जायेगा। दि.न.नि. ने कहा कि श.वि.वि. को उचित जानकारी के साथ नियमित रिपोर्ट भेजी गई। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षा के दौरान या उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी।

(iii) f'kdk; r fuokj.k dk; iL kkyh% चयनित क्षेत्रों में शिकायत रजिस्ट्रों की जाँच ने दर्शाया कि सभी प्रकार की शिकायतें एक ही रजिस्टर में दर्ज की जाती थीं। विभिन्न श्रेणियों जैसे सफाई, जल निकासी, अनधिकृत निर्माणों इत्यादि की शिकायतों को अलग-अलग दर्ज नहीं किया जाता था। चयनित क्षेत्रों के नियंत्रण कक्ष में शिकायतों की नमूना जाँच में पता चला कि 37 से 71 प्रतिशत मामलों में शिकायतों पर कार्यवाही को रिकार्ड नहीं किया गया। इस प्रकार उचित अभिलेखों के अभाव में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि सभी शिकायतों पर कार्यवाही शीघ्रता के साथ हुई।

⁵³ सामुदायिक शौचालय परिसर

जवाब में, उत्तरी और दक्षिणी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि प्राप्त शिकायतों को निवारण हेतु सम्बन्धित क्षेत्र स्टाफ को अग्रेषित कर दिया गया था, जबकि पूर्वी दि.न.नि. ने कहा (मार्च 2015) कि शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रचलन में है। रिकार्डों के रखरखाव में कमी पर कोई उत्तर नहीं दिए गए थे।

2-5-8 LoPNrk l o kvka ds i ko/kku ij turk dh /kkj .kk

दि.न.नि. द्वारा प्रदान की जा रही स्वच्छता सेवा की गुणवत्ता पर जन धारणा सुनिश्चित करने के लिये लेखा परीक्षा में 946 में से यादृच्छिक रूप से चयनित 316 निवासी कल्याण संघों से, एक प्रश्नावली के माध्यम से सड़क की सफाई और नालियों से गाद निकालना, ढलावों की स्वच्छता, मूत्रालय, सामुदायिक शौचालय परिसर आदि पर राय जानने हेतु उनके विचार मांगे। रोहिणी क्षेत्र में 87 में से 80, दक्षिण क्षेत्र में 61 में से 36 तथा दक्षिण और उत्तर शाहदरा क्षेत्र के 168 में से 113 प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। सर्वेक्षण के परिणाम संक्षेप में vuy\ud 2-4 में दिये गये हैं, जिसका विश्लेषण नीचे है:

- रोहिणी के नि.क.सं. के 43 प्रतिशत के अनुसार सड़क प्रतिदिन साफ नहीं होती थी। आंकड़ा मध्य क्षेत्र में 44 प्रतिशत तथा दि.न.नि. में 35 प्रतिशत था। 45 प्रतिशत नि.क.स. रोहिणी, 58 प्रतिशत मध्य क्षेत्र और 56 प्रतिशत पूर्वी दि.न.नि. का मत था कि सफाई के तुरन्त बाद अपशिष्ट पदार्थ नहीं उठाया गया।
- रोहिणी में 80 प्रतिशत, मध्य क्षेत्र में 82 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. में 67 प्रतिशत नि.क.सं. का कहना है कि नालियाँ प्रतिदिन साफ नहीं की जाती थीं। 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोहिणी में, 92 प्रतिशत ने मध्य क्षेत्र में और 66 प्रतिशत ने पूर्वी दि.न.नि. में, कहा कि नालियों से निकाला गया अपशिष्ट तुरन्त नहीं हटाया गया।
- रोहिणी से 39 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 55 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. से 32 प्रतिशत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कचरा घरों से एकत्र ही नहीं किया गया।
- रोहिणी से 45 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 33 प्रतिशत और पूर्वी दि.न.नि. से 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कचरे को इन्हीं स्थानों पर खुले स्थल में ढेर लगा दिया गया।
- रोहिणी से 80 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र से 81 प्रतिशत पूर्वी दि.न.नि. से 68 प्रतिशत नि.क.सं. ने कहा कि कचरा उनके क्षेत्र के ढलावों/खुले स्थानों से प्रतिदिन नहीं उठाया गया। जबकि रोहिणी से 72 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 41 प्रतिशत और पूर्व डी.एम.सी. से 73 प्रतिशत ने कहा कि यह लाने ले जाने के दौरान ढका नहीं गया। सभी चयनित क्षेत्रों से 70 प्रतिशत से अधिक आर.डब्ल्यू.ए ने भी कहा कि कचरा उठाने के बाद ढलावों को साफ और रोगाणु मुक्त नहीं किया गया।
- रोहिणी से 84 प्रतिशत, केन्द्रीय क्षेत्र से 95 प्रतिशत और पूर्व डीएमसी से 64 प्रतिशत ने कहा कि इन क्षेत्रों के सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स प्रतिदिन साफ और रोगाणुमुक्त नहीं किये गये।

सर्वेक्षण का परिणाम दिल्ली नगर निगम की तरफ से जनता को मुहैया करायी गयी स्वच्छता सुविधाओं के प्रति उनके शिथिल संतोषजनक स्तर का सूचक है। फिर भी, यह

पूर्ववर्ती पैराग्राफों और उप-पैराग्राफों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मजबूत बनाती है कि वर्तमान में दिल्ली में स्वच्छता सेवायें स्वीकार्य मानकों से काफी नीचे हैं और तीनों नगर निगमों द्वारा एक प्रतिबद्ध दृष्टिकोण के साथ ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

इस मामले पर पू. दि. नि. ने कहा (मार्च 2015) कि साफ-सफाई के लिये निगम पर आरोप लगाना आम बात है। जबकि इसके लिये कारण निगमों द्वारा प्रदान की गयी जगह के अतिरिक्त अन्य जगह पर निरंतर गन्दगी और कूड़ा फेंकना है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिकतर लेखापरीक्षा निष्कर्ष जनता की धारणा के अनुरूप नहीं हैं।

2-5-9 fu"d"kl

दि.न.नि. के पास दिल्ली में स्वच्छता सेवाओं के लिए कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। वार्षिक योजनाओं ने वास्तविक निधि आवश्यकता को व्यक्त नहीं किया। केवल एक चौथाई कचरे को ही जैव-अवशिष्ट और गैर जैव-अपशिष्ट में पृथक किया गया जबकि 2013-14 में उत्पन्न आधे से अधिक कचरे तथा सी व डी अपशिष्ट की संसाधित किए बिना क.भ.क्षे. में निक्षेपित कर दिया गया। तीन क.भ.क्षे. में से एक में भी गैस और निक्षालक एकत्र करने और संसाधित करने की उपयुक्त प्रणाली नहीं थी। भूमि की अनुपलब्धता ही नये क.भ.क्षे. तथा संसाधित संयंत्रों के विकसित न होने का मुख्य कारण है। खराब ठेका प्रबंधन के कारण दि. न.नि. निर्जल मूत्रालयों के अनुरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सका। निधियाँ क्रियाकलापवार उद्दिष्ट न होने के कारण बजट नियंत्रण ढीला था। सभी क.भ.क्षे. में उपकरण जैसे बुलडोजर, लोडर इत्यादि की बहुत अधिक कमी थी और उनमें से अधिकतर गैर-कार्यात्मक थे यद्यपि वे अनुरक्षण ठेके के अंतर्गत आते थे। सड़कों की सफाई, गद्वों से गाद खत्म करना, ढलावों, आदि से प्रतिदिन कूड़ा करकट उठाना, इत्यादि के लिए कोई निश्चित निगरानी प्रणाली नहीं थी। दक्षिण और पूर्व डी एम सी में विभिन्न स्तर पर किया गया दैनिक निरीक्षण का दस्तावेज़ नहीं था। आर डब्ल्यू ए के सर्वेक्षण भी यह दर्शाते हैं कि दि.न.नि. द्वारा मुहैया करायी गई स्वच्छता सेवाओं से जनता संतुष्ट नहीं थी।

2-5-10- fl Qkfj 'ka

सरकार को निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए:

- (i) स्वच्छता सेवाओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना बनायी जाये और योजना के कार्यान्वयन योग्य छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें वार्षिक रूप से प्राप्त किया जाये,
- (ii) अधिसूचित स्वच्छता मानकों का अनुरक्षण दि.न.नि. द्वारा किया जाए,
- (iii) कचरे के एकत्रण व पृथक्करण में कार्यक्षमता में सुधार किया जाए,
- (iv) वर्तमान क.भ.क्षे. के सुधार हेतु तत्काल कार्यवाही की जाए तथा क.भ.क्षे. में गैस नियंत्रण, निक्षेपण एकत्रण व संसाधित सिस्टमों को अधिष्ठापित किया जाए, और
- (v) विस्तृत एमआईएस तथा जीआईएस की स्थापना करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को लागू किया जाये